लोक-सभा

मंगलवार,
३० अगस्त, १९५५

वाद-विवाद

1st Lok Sabha

(भाग १--प्रश्नोत्तर)

खंड ५, १९५५

(२२ अगस्त से १६ सितम्बर, १९५५)

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

दशम सत्र, १९५५

(खंड ५ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

(खंड ५, अंक २१ से ४०, दिनांक २२ अगस्त से १६ सितम्बर १९५५

अंक २१—सोमवार, २२ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ९७७, ९७८, ९८१, ९८३, ९८४, ९८६, ९८८ से ९९२, ९९४ से ९९६, ९९९ से १००१, १००३, १००४, १००८ से १०१०, ९८५, १००५ और १००७ . . . १४३९–७८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . . . १४७८–८३

प्रश्नों क लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९७६, ९७९, ९८०, ९८२, ९८७, ९९३, ९९७, ९९८, १००२ और १००६ . . . १४८३–८८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१४ से ५३४ . . . १४८९–१५००

अंक २२—मंगलवार, २३ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१३,१०१५, १०१७, १०१९ से १०२ , १०२४ से १०२८,१०३०, १०३१, १०३२,१०३४ से १०३६, १०३८, १०४१ से १०४६, १०४८, १०४९, १०५३ और १०५४ से १०५६ . . १५०१–४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०११, १०१२, १० ४, १०१६, १०१८, १०२२, १०२३, १०२९, १०३३, १०३७, १०३९, १०४०, १०४७, १०५०, १०५१, १०५२ और १०५७ से १०६४ . . . १५४४–५७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३५ से ५६३ . . . १५५७–७२

अंक २३—बुधवार, २४ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६५, १०६६, १०६८ से १०७२, १०७४, १०७५, १०७९, १०८१,१०८३, १०८५,१०८९ से १०९१, १०९३ से १०९५, १०९८ से ११००, ११०२ से ११०६ और ११०८ . . १५७३–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १०६७, १०७३, १०७६ से १०७८, १०८०, १०८२,
१०८४, १०८६. १०८८, १०९२, १०९६, १०९७, ११०१, ११०७ १६२१-३९
और ११०९ से ११२३
अतारांकित प्रश्न संख्या ५६४ से ५८४ और ५८४ और ५८६ से ६०४ १६३९-६८

अंक २४--गुरुवार, २५ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२४, ११२५, ११२९, ११३१, ११३२, ११३५,
११३७ से ११३९, ११४१, ११४५, स ११४७, ११४९, ११५०, ११५२
११५४ से ११५६, ११५८, ११३३, ११२६, ११४८, ११४४, ११५३ ११६९-१७०९
और ११५७ १७०९-११

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२७, ११२८, ११३०, ११३४, ११३६, ११४०, १७११-१६
११४२, ११४३ और ११५१ १७१६-२२
अतारांकित प्रश्न संख्या ६०५ से ६१८

अंक २५--शुक्रवार, २६ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११५९ से ११६१, ११६४ ११६७, ११६८, १७२३-१७६३
११७०, ११७१, ११७३, ११७५, ११७८, ११८१, ११८४, ११८५,
११८९, ११९०, ११९४, ११९५ और ११९६
तारांकित प्रश्न संख्या ११६४ क उत्तर में शुद्धि १७६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११६२, ११६३, १ ६५, ११६६, ११६९, ११७२,
११७४, ११७६, ११७७, ११७९, ११८०, ११८२, ११८३, ११८६ से
११८८, ११९१ से ११९३, ११९७ से १२०३ . . १७६३-७८
अतारांकित प्रश्न संख्या ६१९ से ६३६ . . . १७७८-८८

अंक २६--मंगलवार, ३० अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२०४ से १२०६, १२११, १२१२, १२१४ से १२१६,
१२२१, १२२४ से १२२८, १२३१, १२३२, १२३४ से १२३९ और १७८९-१८३२
१२४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १२०७ से १२१०, १२१३, १२१७ से १२२०, १२२२, १८३२–४८
१२२३, १२२६, १२३०. १२३३, १२४० और १२४२ से १२५४ ....
अतारांकित प्रश्न संख्या ६३७ से ६६८ . . १८४८–७०

अंक २७—बुधवार, ३१ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५५, १२५६. १२५८, १२६२ से १२६४, १२६६.
१२६८ से १२७०, १२७२, १२७४; से १२७७, १२७९ से १२८३,
१२८८ से १२९०, १२९२, १२९३. १२९५ से १२९९. १३०१ और
१३०२ १८७१—१९१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७, १२५९ से १२६१, १२१५, १२६७, १२७१
१२७३, १२७८, १२८४ से १२८७, १२९१ से १२९४ और १३०० १९१५–२१
अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ स ६७९ १९२१-२८

अंक २८—गुरुवार १ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०३, १३०६, १३०७, १३०९, १३१० से १३१२,
१३१५, १३१७, १३१८, १३२०, १३२२ से १३२४, १३२६ से १३३०,
१३४१, १३३१, १३३३, १३३५ से १३३७, १३४० और १३४२... १९२९-७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०४, १३०५, १३०८, १३१३, १३१४, १३१६,
१३१९, १३२१, १३२५, १३३४, १३३८, १३३९ और १३४३ से
१३४५ . . . . . १९७२–८०
अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७९१ १९८०–९०

अंक २९— शुक्रवार २ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रस्न संख्या, १३४६, से १३५५, १३५९ से १३६२, १३६४, १९९१–२०३६
१३२५, १३६७, से १३७४, १३७६, १३७८, से १३८३ और १३८६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . . २०३६–३८

प्रश्नों क लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५६ से १३५८, १३६३, १३६६, १३७७, १३८४,
१३८५, १३८७, से १३९१ . . २०३८–४५
अता ंकित प्रश्न संख्या ७०२ स ७४० २०४५–७०

302 LSD—13

अंक ३०—शनिवार ३ सितम्बर, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९४, १४०३, १३९५ से १३९७, १३९९, १४००, १४०४ से १४०७, १४०९, १४१०, १४१३, १४१४, १४१६, १४१८, १४१९, १४२३, १४२४, १४२६ से १४२८, १४३०, १३९२ और १४१२ . . . . २०७१-२११२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९३, १३९८, १४०१, १४०२. १४०८, १४११, १४१५, १४२१, १४२२, १४२५, १४२९ और १४३१ . . २११२-२११८
अतारांकित प्रश्न संख्या ७४१ से ७५३ . . २११८-२१२४

अंक ३१—सोमवार ५, सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३३, १४३६, १४३७, १४४०, १४४१, १४४३, १४४४, १४४७, १४४८, १४५० से १४५३, १४५५, १४५६, १४५८, १४५९, १४६१, १४६४, १४३८, १४४६ और १४४९ . २१२५-२१५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३२, १४३४, १४३५, १४३९, १४४२, १४४५, १४५४, १४५७, १४६०, १४६२, १४६३ और १४६५ . . २१५७-२१६२
अतारांकित प्रश्न संख्या ७५४ से ७८० २१६२-२१७८

अंक ३२—मंगलवार, ६ सितम्बर १९५५

प्रश्नों क मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६६, १४६७, १४६९ से १४७१, १४७४ से १४८१' १४८५' १४८६' १४८८ स १४९४, १४९६' १४९८ से १५००' ५०२' १५०३' और १५०५ से १५०७ . . २१७९-२२२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६८, १४७२, १४७३, १४८२, १४८३, १४८४, १४८७, १४९५, १४९७, १५०१, १५०४ और १५०८ से १५१५ २२२७-३६
अतारांकित प्रश्न संख्या ७८१ से ८१०, ८१२ और ८१३ २२३६-५६

अंक ३३—बुधवार, ७ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५१६ से १५२२, १५२४ से १५२७, १५४७, १५२८ से १५३३, १५३६, १५३७ और १५३९ से १५४५ २२५७-२३०४

प्रशनों के लिखित उत्तर– स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १५२३, १५३४, १५३५, १५३८, १५४६ और १५४८ से १५५४ २३०४–१०

अतारांकित प्रश्न संख्या ८१४ से ८२३ २३१०–१८

अंक ३४ --गुरुवार, ८ सितम्बर १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर–

तारांकित प्रश्न संख्या १५५५, १५५६, १५५८ से १५६०, १५६२ से १५६६, १५६८, १५७०, १५७१, १५७३ से १५७६, १५७८ से १५८३, १५८५, १५८७ से १५८९, १५९१ और १५९२ २३१९–६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर–

तारांकित प्रश्न संख्या १५५७, १५६१, १५६७, १५६९, १५७२, १५७७, १५८४, १५८६, १५९०, और १५९४, से १५९६ . . २३६४–७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८२४ से ८४१ २३७२–८४

अंक ३५ – शुक्रवार ९ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर–

तारांकित प्रश्न संख्या १५९७, १५९८, १६०० से १६०६, १६१० से १६१३, १६१५, १६२०, १६२२ से १६२५, १६२७ से १६३० १६३२ से १६३९ और १६४१ . . २३८५–२४३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर–

तारांकित प्रश्न संख्या १५९९, १६०७ से १६०९, १६१४, १६१६, १६१८, १६१९, १६२१, १६२६, १६३१, १६४० और १६४२ से १६५३

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४२ से ८७४ २४३२–४७

अंक ३६—सोमवार, १२ सितम्बर, १९५५ २४४७–७२

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६५४ से १६५७, १६६१, १६६३, १६६६, १६६७, १६६९, १६७१, १६७३, १६७५, १६७७ से १६८०, १६८२, ६८४, १६८५, १६६८ और १६५९ . . २४७२–२५११

प्रश्नों के लिखित उत्तर–

तारांकित प्रश्न संख्या १६५८, १६६०, १६६२, १६६४, १६६५, १६७० १६७२, १६७४, १६७६, १६८१, १६८३, और १६८६ से १६८८ . २५१२–१८

अतारांकित प्रश्न संख्या ८७५ से ८८४ . २५१८–२४

अंक ३७--मंगलवार, १३ सितम्वर, १९५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १६८९ से १७१८ . . . २५२५-४२
अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ९०२, ९०४ और ९०५ . . २५४२-५६

अंक ३८--बुधवार १४ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७१९ से १७८७ . २५५८-२६०२
अतारांकित प्रश्न संख्या ९०६ से ९४१ . . २६०२-२२

अंक ३९--गुरुवार, १५ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७९० से १७९२, १७९४ से १८०१, १८०३ से १८११, १८१३ से १८१६, १८१९ से १८२१ और १७८८ . २६२३-७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७८९, १७९३, १८०२, १८१२, १८१७ और १८१८ . . . २६७१-७४
अतारांकित प्रश्न संख्या ९४२ से ९५३ २६७५-८२

अंक ४०--शुक्रवार, १६ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों क मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १८२२, १८२४ से १८२६, १८२८, १८२९, १८३१, १८३२, १८३४, १८३५, १८३७, १८३८, १८४०, १८४१, १८४३ स १८५३, १८५५ और १८५७ से १८६० . . २६८३-२७२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १८२३, १८२७, १८३०, १८३३, १८३६, १८३९, १८४२, १८५४, १८५६ और १८६१ से १८६७ . . २७२८-३७
अतारांकित प्रश्न संख्या ९५४ से ९७६ और ९७८ से ९९१ २७३७-६०
अनुक्रमणिका . १-१८०

GIPND—302 LSD—N.H.S.—18—4—57.—190.

लोक सभा

मंगलवार, ३० अगस्त, १९५५

——

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली में यातायात की सुविधायें

*१२०४. **श्री राधा रमण** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री द्वारा ५ अप्रैल, १९५४ को सभा में दिये गये वक्तव्य के अनुसार सरकार ने दिल्ली में ओखला और निज़ामुद्दीन के बीच में सड़क पर एक ऊपरी पुल बनाने के लिये कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) पुल के बनने में क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). वस्तुतः निज़ामुद्दीन और ओखला के बीच सड़क के दो ऊपरी पुलों की ज़रूरत है। पुलों के डिज़ाइन और निर्माण आदि के विवरणों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। पुल के बनने तक यातायात के लिये एक अलग सड़क बनाने का काम मंजूर किया जा चुका है और इसे लगभग दो महीनों में पूरा करने के लिये पूरी कोशिश की जा रही है। इस अलग सड़क के बनते ही पुलों पर काम शुरू कर दिया जायेगा।

246 LSD.

श्री राधा रमण : माननीय मंत्री ने बताया कि'यह पुल कुछ और पुलों से सम्बद्ध है। वे कौन-कौन हैं और कहां पर होंगे ?

श्री अलगेशन : पहले यह विचार था कि जहां रेलवे लाइन और सड़क का चौराहा है, वहां सड़क का एक ऊपरी पुल बनाया जाये। पर सफदरजंग वाली लाइन के एक उपनगरीय लाइन बन जाने के बाद वहां पर भी एक ऊपरी पुल बनाना जरूरी हो गया है। इसलिये रेलवे लाइन सड़क के जिन दो धरातल-चौराहों को ऊपरी पुल में बदलना है, वे दिल्ली-मथुरा रोड पर (१) सफ़दरजंग की ओर, और (२) जंगपुरा की ओर हैं।

श्री राधा रमण : क्या मैं जान सकता हूं कि काम वास्तव में कब शुरू होगा। माननीय उपमंत्री ने बताया है कि यह दो महीनों में पूरा होगा। मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह शुरू हो चुका है ?

श्री अलगेशन : शायद माननीय सदस्य ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा था कि अलग सड़क दो महीनों में बन जायेगी। उसके बाद मुख्य पुलों पर काम शुरू हो जायेगा।

श्री राधा रमण : क्या मैं जान सकता हूं कि इन पुलों के बनने में कितना समय लगेगा ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या नई दिल्ली और शाहदरा के बीच के प्रस्तावित पुल के साथ इन पुलों का कोई सम्बन्ध होगा ?

श्री अलगेशन : मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य दोनों प्रश्नों को कैसे सम्बद्ध समझते हैं। यदि माननीय सदस्य चाहें, तो

दूसरे पुलों के बारे में अलग प्रश्न पूछ सकते हैं मैं यह नहीं बता सकता कि इन ऊपरी पुलों के बनने में कितना समय लगेगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि यह ऊपरी पुल मथुरा रोड के रेल सड़क के उसी धरातल चौराहे के स्थान पर बनेगा, जहां भीड़ से यातायात रुक जाता है ?

श्री अलगेशन : वस्तुतः सारी बात ही उस के कारण शुरू हुई थी ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या ऊपरी पुल वहीं पर बनेगा ?

श्री अलगेशन : रेल-सड़क के उसी चौराहे पर तो पुल बनने जा रहा है ।

विकास ऋण

*१२०५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार ने १९५४ में पुलों और लाइनों के नीचे के पुलों के बनाने के लिये कितने अनुदान या ऋण के लिये आवेदन दिया है ; और

(ख) अब तक कितनी राशि मंजूर की गयी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) पंजाब सरकार ने सड़क के पुलों के हेतु २०·१४ लाख के अनुदानों के लिये और अम्बाला नगरपालिका को रेल-सड़क के विद्यमान धरातल-चौराहे के स्थान पर एक ऊपरी पुल बनाने के लिये १·२५ लाख का ऋण देने के लिये आवेदन किया था ।

(ख) भारत सरकार ने सड़क के पुलों के लिये ७·३९ लाख रुपये के अनुदानों और अम्बाला में ऊपरी पुल के लिये १·२५ लाख रुपये के ऋण को मंजूर किया है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि पंजाब सरकार ने किन किन पुलों के लिये अनुदान मांगा था ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पूरे राज्य के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : माननीय मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार ने चार पुलों के लिये अनुदान मांगा था ; मैं चारों पुलों के नाम पूछ रहा हूं ?

श्री अलगेशन : 'मैंने सड़क के पुल' कहा था ; माननीय सदस्य ने शायद गलती से चार पुल सुना ।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं नहीं जानता, शायद मेरे कानों में कुछ नुक्स हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने 'सड़क के पुल' कहा था, संख्या नहीं दी थी ।

श्री अलगेशन : वे पुल बराड़ा-सधौड़ा कला अम्ब नाहन सड़क पर हैं ।

परिवहन की कठिनाइयां

*१२०६. **श्री डाभी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी रेलवे की नैरोगेज लाइन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को गर्मी में भी खुले माल के डिब्बों और सवारी डिब्बों में यात्रा करनी पड़ती है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ऐसे माल के डिब्बों में कुछ लोग विशेषतः छोटा उदयपुर-जम्बूसर और छोटा उदयपुर-प्रतापनगर विभागों पर यात्रा करते हैं ।

(ख) छोटी लाइनों के डिब्बों आदि की सर्वत्र कमी होने और इस वर्ष विवाहों के समय सवारी डिब्बों में होने वाली विशेष भीड़ के कारण ।

(ग) पुराने डिब्बों आदि को यथासम्भव चलाते रहना ही इस समय एक व्यावहारिक क़दम है ।

श्री डाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि और सवारी डिब्बे कब तक आयेंगे ?

श्री अलगेशन : जैसा मैंने बताया हम नैरो-गेज लाइनों के डिब्बे आदि अधिक नहीं मंगा रहे हैं, अतः हम पुराने सामान से काम चला रहे हैं और उनकी मरम्मत करके काम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस प्रकार माल के डिब्बों में यात्रा करने की इजाज़त नहीं दी गई है, पर लोग शायद तमाशे के लिये इन गाड़ियों में बैठ जाते हैं ।

श्री डाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार द्वारा इस 'अधिकार' यात्रा को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ।

श्री अलगेशन : हम इसे यथासम्भव रोकना चाहते हैं पर भीड़ भी अधिक होती है ।

श्री डाभी : मैं जान सकता हूं कि क्या इन नैरो-गेज लाइनों पर इंजिन भी खराब होते रहते हैं और इसके कारण गाड़ियां कभी-कभी पांच-पांच घंटे तक लेट चला करती हैं ।

श्री अलगेशन : मुझे इन लाइनों पर इंजिनों की खराबी के बारे में कुछ विदित नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इंजिनों की खराबी से ये लोग माल के डिब्बों में घुस जाते हैं, यह प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया । मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

वैद्य

*१२११. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा वैद्यों, हकीमों और होम्योपैथ-डाक्टरों की प्रैक्टिस के विनियम और शिक्षण के बारे में नीति बनाने के लिये बनायी गयी समिति में मद्रास राज्य के मलाबार ज़िले के वैद्यों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) जी हां ।

(ख) समिति केन्द्रीय स्वास्थ्य समिति के एक संकल्प द्वारा बनायी गयी थी और इसकी सदस्यता पांच राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों तक ही सीमित है ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं जान सकता हूं कि उस समिति में किन-किन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : सौराष्ट्र के स्वास्थ्य-मंत्री समिति के सभापति हैं और बम्बई, पश्चिमी बंगाल, हैदराबाद और त्रावनकोर कोचीन के स्वास्थ्य मंत्री अन्य सदस्य हैं ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार की नीति उन गैर-सरकारी संस्थाओं से सम्पर्क करने की नहीं है, जो इन चिकित्सा प्रणालियों के विकास के लिये उत्साहपूर्वक काम कर रही हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : उन्हें अन्य समितियों में लिया जाता है, पर मंत्रियों की यह समिति नीति बनाने के लिये नियुक्त की गयी थी ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस समिति के निर्देश-पद क्या हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : समिति के निर्देश-पद ये हैं :—

(१) आयुर्वैदिक, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणालियों में शिक्षा की विद्यमान सुविधाओं का सर्वेक्षण करना ;

(२) इन प्रणालियों में प्रशिक्षण की सुविधाओं में सुधार करने और शिक्षा के एकरूपी स्तर को स्थापित करने के लिये विशिष्ट कार्यवाहियों की सिफारिश करना ; और

(३) इन चिकित्सा प्रणालियों में प्रैक्टिस के विनियमन के लिये और विशेषत: राज्य-नियंत्रण की वांछनीयता के बारे में सुझाव देना ।

श्री धुलेकर : क्या मैं जान सकता हूं कि इस समिति की राजकोट में हुई बैठक में इन सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : यह समिति त्रिवेन्द्रम् में हुई परिषद् की बैठक में गतवर्ष नियुक्त की गयी थी । इस समिति ने अभी अपना प्रतिवेदन नहीं भेजा है । जैसे ही वह प्रतिवेदन भेजेगी, उस पर विचार करने के लिये कार्यवाही की जायेगी ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन मंत्रियों में से कोई या सभी डाक्टर, हकीम या वैद्य हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : वे डाक्टर, हकीम या वैद्य नहीं हैं । पर वे इन चिकित्सा-प्रणालियों के समर्थक हैं ।

श्री धुलेकर : क्या मैं जान सकता हूं कि आयुर्वैदिक चिकित्सा प्रणाली के विकास के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई योजना रखी गयी है, और यदि हां, तो क्या वह सभा पटल पर रखी जायेगी ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : जी हां । हमने एक योजना बनायी है और माननीय सदस्य को उसका पता है ।

माल के डिब्बे

*१२१२. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की कौन-कौन फर्में भारतीय रेलों को माल के डिब्बे देती हैं ;

(ख) क्या ये फर्में कई प्रकार के माल के डिब्बे दे सकती हैं ; और

(ग) १९५६–५७ के इंजिन डिब्बा निर्माण कार्यक्रम में डिब्बों के स्थानीय उत्पादन का कुल सम्भावित सामर्थ्य कितना है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). इस समय आठ फर्में भारतीय रेलों को माल के डिब्बे दे रही हैं, और इनमें से अधिकांश फर्में कई प्रकार के माल डिब्बे दे सकती हैं ।

(ग) लगभग १५००० से १६००० ।

श्री भागवत झा आज़ाद : इस समय यह फर्में हमारी आवश्यकता का कितना प्रतिशत अंश पूरा करती हैं?

श्री अलगेशन : मुझे कहना चाहिये कि सामान्य खुले या ढके डिब्बों की प्राय: सारी मांग इन फर्मों से पूरी हो जाती है । केवल कुछ विशेष प्रकार के डिब्बों का हम आयात करते हैं । वह भी इसलिये कि हम सामान्य डिब्बों के निर्माण की परिसामर्थ्य में विघ्न नहीं डालना चाहते ।

श्री भागवत झा आज़ाद : हमारी मांग के कितने प्रतिशतक की पूर्ति बाहर से आयात द्वारा की जाती है ?

श्री अलगेशन : जो यह प्रश्न भी वही है। माननीय सदस्य यही चाहते हैं कि हमारी मांग के अधिकांश की पूर्ति स्थानीय निर्माण में हो और वही हो रहा है।

श्री ए० एम० थामस : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या रेलवे मंत्रालय ने डिब्बों के निर्माण के लिये एक राज्य-उपक्रम बनाने का प्रस्ताव योजना आयोग के सामने रखा है और यदि हां, तो उसकी परिसामर्थ्य कितनी होगी ?

श्री अलगेशन : हमारा विचार यह है कि डिब्बों के निर्माण के लिये गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में प्रयत्न किया जायेगा। उपयोग में न आने वाली परिसामर्थ्य का पता लगाने के बारे में और निर्माताओं को रेलवे के हेतु आवश्यक पदार्थों के संभरण के लिए प्रोत्साहित करने के बारे में इस समय एक समिति काम कर रही है। हमारा विचार इसके लिये सरकार आयत्त-कारखाना बनाने का नहीं है।

श्री सारंगधर दास : डिब्बे बनाने वाली इन फर्मों में कितनी भारतीय फर्में हैं और कितनी यूरोपियन ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारतीय फर्मों में पूरा डिब्बा बनाने के लिये अपेक्षित सभी मशीनों आदि ?

श्री अलगेशन : इस समय आठ फर्मों को आर्डर दिये गये हैं। मुझे सूचना मिली है कि पुराने नामों वाली फर्में भी, जो पहले अभारतीयों के स्वामित्व में थीं, अब भारतीयों के स्वामित्व में हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : डिब्बों की कमी की दृष्टि में, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार डिब्बे बनाने के लिये सरकारी स्तर पर एक कारखाना चला रही है और यदि हां, तो हमारी मांग के कितने प्रतिशत की पूर्ति सरकारी स्तर पर होती है और कितने की असरकारी स्तर पर ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह पहले ही उत्तर दे चुके हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री राधेलाल व्यास : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विजगापटम् ने रेलवे-अधिकारियों से निवेदन किया है कि डिब्बे बनाने के लिये एक आर्डर उन्हें दें, और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अलगेशन : जैसा सभा को पता है, हिन्दुस्तान शिपयार्ड जहाज बनाता है। वह रेलवे के डिब्बे नहीं बनाता।

श्री राधेलाल व्यास : बनाता है।

श्री भागवत झा आजाद : भारतीय फर्मों द्वारा दिये गये ये डिब्बे मूल्य में आयातित डिब्बों की तुलना में कैसे रहते हैं ?

श्री अलगेशन : मेरे पास तुलनात्मक आंकड़े नहीं हैं। माननीय सदस्य अलग सूचना दें, तो मैं मूल्य बता दूंगा।

न्यूनतम मजूरी

*१२१४. **डा० सत्यवादी** : क्या श्रम मंत्री यह दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के कारखानों को दी जा रही न्यूनतम मजूरी दरों के पुनर्विर्तन के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित मंत्रणा समिति ने क्या कार्य किया है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : एक विवरण लोक सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १४]**

डा० सत्यवादी : क्या मैं जान सकता हूं कि फिरोज़पुर, जालंधर और अम्बाला के कंटोनमेंट्स बोर्डस् जो कि पंजाब की हद्द में वाकया है, वहां पर काम करने वाले चौथे दर्जे के मुलाज़मीन की तनख्वाह पर भी इस कमेटी ने गौर किया है, क्योंकि इन मकानात

पर म्युनिसिपल कमेटी के मलाज़मीन को बोर्ड के मुलाज़मीन से ज्यादा तनख्वाह मिलती है ?

श्री आबिद अली : यह सवाल तो उनके सम्बन्ध में था जिन का कि वेतन इस कमेटी ने बदला है । जो सवाल माननीय सदस्य ने पूछा है उस के बारे में अगर वह दूसरा सवाल पेश करें तो मैं जवाब दे दूंगा ।

डा० रामा राव : विवरण में नियुक्तियों तथा नियुक्त व्यक्तियों के नाम और पते दिये हैं । मैं जान सकता हूं कि क्या इस समिति की सिफारिशें कानपुर के चमड़ा कारखानों के श्रमिकों तथा मैसूर के सड़क निर्माण श्रमिकों के सम्बन्ध में हैं ?

श्री आबिद अली : यदि माननीय सदस्य पूर्व-सूचना देंगे तो वह भी सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

डा० रामा राव : प्रश्न इस समिति द्वारा किये गये काम के सम्बन्ध में था । सभा-पटल पर रखे गये विवरण में संस्थाओं के नाम तथा उनके पते दिये हुये हैं । परन्तु सिफारिशों का मुख्य विषय न्यूनतम मजूरी के पुर्नावर्तन के सम्बन्ध में है । विवरण में यह नहीं दिया हुआ है कि वे सिफारिशें क्या थीं । मेरा प्रश्न न्यूनतम मजूरी के संशोधन की सिफारिशों के सम्बन्ध में है ।

श्री आबिद अली : मुख्य प्रश्न पुर्नावर्तन के सम्बन्ध में है । माननीय सदस्य किस मद के ब्यौरे चाहते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या विवरण में केन्द्रीय कारखानों के न्यूनतम मजूरी की दरों के सम्बन्ध में मंत्रणा समिति द्वारा की गई कार्यवाही का वर्णन भी है ?

श्री आबिद अली : सभी कार्यों के सम्बन्ध का, मैं एक दूसरा विवरण सभा-पटल पर रख दूंगा । यह एक लम्बा विवरण होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : उसमें अभी तक किए गए सभी काम का वर्णन हो ।

डा० रामा राव : मैं प्रार्थना करता हूं कि आप देखें . . . .

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : मैं जानना चाहता हूं कि प्रश्न क्या है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि इसमें कुछ ही बातें हैं तथा मजूरी के संशोधन के सम्बन्ध में समिति द्वारा किये गये सभी कार्य का वर्णन नहीं है तो उसके लिये माननीय मंत्री वायदा करते हैं कि एक सविस्तार विवरण सभा-पटल पर रख देंगे ।

डा० रामा राव : क्या मैं कानपुर के चमड़े के कारखानों सम्बन्धी सिफारिशें जान सकता हूं ?

श्री आबिद अली : यह मद तो इसमें दिखाई नहीं पड़ती ।

डा० रामा राव : जी नहीं यह इसमें है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह विवरण में है ?

डा० रामा राव : जी हां, परन्तु सिफारिशें नहीं हैं ।

श्री आबिद अली : इस समय यहां मेरे पास बम्बई पत्तन-न्यास, कलकत्ता पत्तन-न्यास इत्यादि के सम्बन्ध में सूचना है । मैं वायदा कर चुका हूं कि एक पूर्ण ब्यौरे का विवरण सभा-पटल पर रख दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा, अगला प्रश्न ।

सुरक्षा तथा प्रतिपालन कर्मचारी

*१२१५. **श्री गिडवानी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने १५ अप्रैल १९५५ को एक अधि-सूचना निकाली

है, जिससे सुरक्षा तथा प्रतिपालन कर्मचारियों को कार्मिक संघ बनाने के अधिकारों से वंचित कर दिया है ;

(ख) क्या भारतीय रेलवे कर्मचारियों के राष्ट्रीय फेडरेशन ने २९ मई १९५५ के सम्मेलन ने रेलवे बोर्ड से इस अधिसूचना को रद्द करने को कहा है ; और

(ग) यदि हा, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १५–४–५५ को प्रख्यापित अधिसूचना से उन्हें यह अनुमति दी गई है कि वे, केवल रेलवे सुरक्षा दल के सदस्यों की ही संस्था में सम्मिलित हो सकते हैं तथा यह संस्था अन्य किसी संघ तथा संस्था से अपना सम्बन्ध नहीं रखेगी ।

(ख) मई १९५५ में रेलवे कर्मचारियों के राष्ट्रीय फेडरेशन का कोई सम्मेलन हुआ ही नहीं है । भारतीय रेलवे-कर्मचारियों के राष्ट्रीय फेडरेशन से सम्बन्धित कुछ रेलवे संघ तथा कुछ अमान्य और अ-सम्बद्ध रेलवे संघों की मद्रास में २७, २८ और २९ मई १९५५ को निश्चय ही सभा हुई थी तथा तब उन्होंने एक संकल्प पारित किया था जिसमें अधिसूचना को रद्द करने के लिये रेलवे बोर्ड को कहा गया था ।

(ग) इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं की गई है क्योंकि यह प्रख्यापित नियम पुलिस दल के लिये निर्धारित नियमों के अनुरूप हैं तथा दोनों संस्थाओं के कार्य के सादृश्य पर आधारित हैं ।

श्री गिडवानी : मैं प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को नहीं समझा । इन कार्मिक संघों और सुरक्षा तथा प्रतिपालन के कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियम पुलिस नियमों जैसे ही हैं ।

श्री अलगेशन : मैंने यह कहा था कि १५–४–५५ प्रख्यापित अधिसूचना से उन्हें यह अनुमति दी गई है कि वे, केवल रेलवे सुरक्षा दल की ही संस्था में सम्मिलित हो सकते हैं तथा यह संस्था अन्य किसी संघ तथा संस्था से अपना सम्बन्ध नहीं रखेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : उनके लिये अपनी अलग और स्वतन्त्र संस्था होगी ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्रालय ने किन नियमों के आधार पर इन सुरक्षा तथा प्रतिपालन को कोई फेडरेशन अथवा संघ में सम्मिलित होने से **क्यों** वंचित कर दिया है जबकि यह उनका अन्तर्निहित अधिकार है ?

श्री अलगेशन : यह अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद ३०९ के अधीन जारी की गई थी ।

श्री भागवत झा आज़ाद : किन कारणों से सरकार ने, सुरक्षा तथा प्रतिपालन को किसी दूसरे संघ अथवा फेडरेशन में सम्मिलित होने से रोका है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य संविधान के अनुच्छेद ३०९ का अध्ययन करें ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या सरकार का विचार सुरक्षा तथा प्रतिपालन को सुरक्षा दल का रूप देने का है ?

श्री अलगेशन : जी हां । इसी प्रसंग में यह अधिसूचना जारी की गई है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि सरकार ने मद्रास का रेलवे कार्मिक संघ के मद्रास सम्मेलन, सरकार ने किस श्रेणी में रखा है ? क्या यह रेलवे-कर्मचारी राष्ट्रीय फेडरेशन की शाखा अथवा भाग हैं अथवा इससे अलग संस्था है ?

श्री अलगेशन : मेरे विचार से अब इस मामले में जाने की आवश्यकता नहीं है ।

में प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर दे चुका हूं तथा मैंने बताया था कि यह भारतीय रेलवे कर्मचारी राष्ट्रीय फेडरेशन का नियमित सम्मेलन नहीं था परन्तु उसमें कुछ मान्यता प्राप्त तथा अमान्यता संघ थे तथा उनकी बठक हुई और उन्होंन कुछ संकल्प पारित किये ।

श्री साधन गुप्त : क्या सरकार कार्मिक संघवाद को सुरक्षा के लिए अहितकर समझती है ? अन्यथा इस अधिसूचना को जारी करने के क्या कारण थे ?

श्री अलगेशन : कुछ समय से रेलवे के सुरक्षा तथा प्रतिपालन का पुनर्गपठन करने का प्रश्न विचाराधीन था तथा बहुत अधिक चोरियों तथा दावों के द्वारा अधिक धन के भुगतान के कारण यह निश्चय किया गया कि इसको अधिक क्रियाकारी दल बनाया जाये तथा इसी कारण यह नियम प्रख्यापित हुए ।

डाक-सेवायें

*१२१६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ के आय-व्ययक प्राक्कलन में नये डाक-घरों, तारघरों और सार्वजनिक टेलीफोन के खोलने के लिये अलग-अलग कितनी धन राशि निर्धारित की गई है ; और

(ख) प्रत्येक सर्किल के लिये अलग-अलग कितना धन स्वीकृत किया गया है अथवा किये जाने का विचार है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख)। जानकारी प्राप्त की जा रही है और उचित समय पर यह सभा-पटल पर रक्खी जायगी ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जब कि मैंने यह प्रश्न पूछा है कि बजट में डाक तथा तार घर और टेलीफोन आदि के लिए कितना रुपया रखा गया है, तब कहा जा रहा है कि जानकारी प्राप्त की जायगी ? क्या हैडक्वार्टर्ज़ में ये आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ?

श्री राज बहादुर : किंचित मात्र भी आश्चर्य की बात नहीं है और उसका कारण यह है कि जो एक लाख रुपए से ऊपर के काम होते हैं, उन का तो बजट में अलग अलग ब्यौरा होता है और एक लाख रुपए से कम खिर्चे के कामों के लिए सामूहिक रूप से कोई नधि निश्चित की जाती है और उसमें से अलग अलग पोस्टल सर्किलों को रकमें दी जाती हैं । जो रकम सामहिक रूप से किसी सर्किल को दी जाती है, उससे न सिर्फ नए डाक-घर खोलने की व्यवस्था होती है, बल्कि इस सम्बन्ध म रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और कैनाल डिपार्टमेंट इत्यादि से भी मालूम करना आवश्यक होता है कि कितने तार घर खोले जायें । इसलिये विभागीय तारघरों में कितना व्यय हुआ यह सूचना इकट्ठी करने में समय लगेगा । यही बात आती है पब्लिक काल आफ़िस और पोस्ट आफ़िस के बारे में भी और इस लिए मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य को कोई आश्चर्य नहीं होगा ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक कितने डाक तथा तार घर, कितने टेलीफोन एक्सचेंज और कितने पी० सी० ओज० खोलने का टारगट रखा गया था और क्या उसके पूरा होन की आशा है ?

श्री राज बहादुर : इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि कितने ज़िले के हैड-क्वार्टर बाकी हैं, जहां टेलीफोन नहीं खोला गया है ? क्या सरकार का यह विचार है कि तहसील हैड-

क्वार्टर में भी टेलीफोन खोले जायें ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राज बहादुर : यह प्रश्न इससे तो नहीं उठता है । मैं पहले सूचना दे चुका हूं अगर माननीय सदस्य चाहेंगे, तो फिर दे सकता हूं ।

श्री भागवत झा आजाद : कुछ दिन हुये माननीय उपमंत्री ने गर्व से जतलाया था कि उन्होंने ज़िला मुख्य कार्यालय में कार्य आरम्भ कर दिया है तथा वे अभी थाना मुख्य कार्यालयों तक अभी नहीं आये हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अब भी कुछ उपखण्डीय मुख्य कार्यालय हैं जिनसे टेलीफोन द्वारा सम्पर्क स्थापित नहीं हुआ है ?

श्री राज बहादुर : मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे कथन की शक्ति का आभास पा लिया परन्तु मैं उनको आश्वासन देता हूं कि सभा में समय समय पर कार्यक्रम की घोषणा की गई है । हम धीरे धीरे उसे पूरा कर रहे हैं ।

गाड़ियों के आने जाने का समय

*१२२१. **श्री मातन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पूना तथा बंगलौर के बीच चलने वाली पूना मेल (दक्षिण रेलवे) हुबली में ३॥ घंटे रुकती है ; और

(ख) यदि हां, तो इतनी देर का क्या औचित्य है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १९**]

श्री मातन : विवरण से मुझे ज्ञात होता है कि वर्तमान गाड़ी को यदि हुबली में दीर्घकाल तक न रोका जाये तो यह रात्रि में बहुत देर से पूना तथा बंगलौर पहुंचेगी । गाड़ी का समय न बदलने का यह मुख्य कारण दिया हुआ है क्या इन गाड़ियों को एक ओर बंगलौर नगर के निकट तथा दूसरी ओर पूना नगर के निकट किसी अन्य स्थान पर नहीं रोका जा सकता जिससे मध्यवर्ती स्टेशनों के यात्री अपने घर पहुंच सकें, खाना खा सकें तथा सो सकें ?

श्री अलगेशन : यदि उन्होंने सम्पूर्ण विवरण को ध्यान से पढ़ा होता तो उनको और भी कारण मिल जाते । हुबली में इतने अधिक समय तक गाड़ी के रुकने से जनता को पूना नगर से तथा बंगलौर नगर से आती है अपना कार्य पूरा करके दूसरी गाड़ी से चली जाती है । यह एक लाभ है जिसको माननीय सदस्य ने देखा नहीं । विवरण में यह भी दिया गया है यह विषय निश्चय रूप से प्रादेशिक रेलवे प्रयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सम्मुख प्रस्तुत की थी तथा उन्होंने कहा था कि यह व्यवस्था ठीक है ।

श्री मातन : माननीय मंत्री ने मेरे द्वारा एक पूछी गई बात को छोड़ कर सभी का उत्तर दे दिया है । हुबली में ही ३ १/२ घंटे की देरी क्यों रखी गई तथा एक ओर पूना नगर तथा दूसरी ओर बंगलौर नगर के निकट किसी गाड़ी को क्यों नहीं रोका गया जिससे यात्रियों . .

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सुझाव दे रहे हैं । माननीय मंत्री ने अभी बताया कि जनता हुबली में रुक काम करे, तथा वापस घर चली जाये ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : यही मुख्य प्रश्न है ।

श्री मातन : हुबली में कितने यात्री उतरते हैं ? हो सकता है सौ में एक ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं? यह रेलवे आय-व्ययक सम्बन्धी भाषण नहीं है । यह केवल सूचना है। परन्तु मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा ताकि वे इस विषय पर ध्यान दें । यदि कोई माननीय सदस्य कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्रश्नों के द्वारा सुझाव देने का लाभ न उठायें । वह माननीय मंत्री को लिख सकते हैं अथवा स्वयं भेंट कर सकते हैं तथा इस प्रकार की बातों को जिस प्रकार इच्छा हो तथा उपयुक्त हो करा सकते हैं ।

चिकना रेलवे हाल्ट स्टेशन

*१२२४. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या रेलवे मंत्री ३० सितम्बर, १९५४ के दिये गए अतारांकित प्रश्न संख्या ९५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से उत्तर-पूर्व रेलवे के चिकना हाल्ट स्टेशन को एक फ्लैग स्टेशन बनाने का, निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) इस हाल्ट की औसतन मासिक आय क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस स्टेशन पर एक यात्री शैड बनाने तथा यहां से अन्य रेलों के टिकट बांटने के सम्बन्ध में स्थानीय जनता ने मांग की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस विषय में क्या फैसला किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) विषय की पुनः जांच की जा रही है ।

(ख) १३३३ रुपये ५ आने ४ पाई ।

(ग) जी हां ।

(घ) इस हाल्ट को अन्य रेलों के यातायात के लिये खोलने के मामले की जांच की जा रही है। इस हाल्ट को फ्लैग स्टेशन का रूप देने के सम्बन्ध में निश्चय करने के पश्चात ही चिकना हाल्ट पर यात्री शैड की व्यवस्था पर विचार किया जायेगा ।

श्री एल० एन० मिश्र: क्या यह सच है कि अन्य रेलों के टिकट बिकने की सुविधा न होने के कारण, इस रेलवे स्टेशन को अन्य सुविधाओं से वंचित रखा जाता है क्योंकि अन्य रेलों द्वारा एकत्रित धन का हिसाब नहीं रखा जाता तथा इसकी आय कम दिखाया जाता है ?

श्री अलगेशन : यह एक ठेकेदारों के कार्य सम्बन्धी हाल्ट है तथा ऐसे हाल्ट पर केवल स्थानीय बूकिंग की अनुमति दी जाती है । परन्तु जब इसको फ्लैग स्टेशन का रूप देने के विषय पर विचार किया गया था तो यह ज्ञात हुआ कि १०,००० रुपये की हानि होगी। तथा हानि को कम करने के लिये रेलवे से यह पूछा गया है कि क्या यह हानि अन्य रेलों के टिकट बांटने को अनुमति पर कुछ कम हो सकती है । वह रेलवे इसकी जांच कर रही है ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या सरकार जानती है कि कोसी की बाढ़ से सबसे अधिक पीड़ित क्षेत्रों में एकमात्र यही स्टेशन है तथा क्या सरकार इसको स्थायी स्टेशन बनाने का विचार कर रही है अथवा नहीं ?

श्री अलगेशन : स्टेशन रहेगा । इसे बन्द करने का प्रश्न ही नहीं है, परन्तु इस हाल्ट को एक स्थाई फ्लैग स्टेशन का रूप देने के प्रश्न पर रेलवे पुनः जांच कर रही है ।

विश्राम गृह

*१२२५. **श्री आर० एस० तिवारी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारत के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थानों पर विश्राम

गृह बनाने के लिए एक योजना बनाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कितने स्थानों पर विश्राम गृह बनाने का विचार है ; और

(ग) क्या विन्ध्य प्रदेश के खजुराहों में वीर क्षत्रसाल की समाधि के निकट भी एक विश्राम गृह बनाया जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग)। महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों, ऐतिहासिक स्थानों आदि पर विश्राम गृह बनाने के प्रश्न पर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विचार किया जा रहा है । परन्तु तब तक जैसा कि लोक सभा में तारांकित प्रश्न संख्या १०५ के उत्तर में सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया है, वर्तमान वित्तीय वर्ष में, श्रावस्ती (सहेत सहेत) को छोड़ कर अन्य सभी महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थों पर विश्राम गृह बनाये जा रहे हैं।

खजुराहों में वर्तमान विश्राम गृह को, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है।

श्री आर० एस० तिवारी : इन विश्राम गृहों के बनाने के लिये कुल कितना खर्चा तय किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : २,५०,००० रुपया।

श्री आर० एस० तिवारी: खजुराहों के पास और छत्रसाल की समाधि के पास विश्राम गृह बनवाने में कितना व्यय किया जायगा ?

श्री एल० बी० शास्त्री : इतना पूरा ब्यौरा तो मौजूद नहीं है ।

श्री ए० एम० थामस : इसका सम्बन्ध महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थानों के विश्रामगृहों से है । मैं जान सकता हूं कि क्या शिकार के स्थानों पर भी विश्रामगृह बनाये जायेंगे क्योंकि पर्यटन यातायात के दृष्टिकोण से वह स्थान भी महत्वपूर्ण हैं ।

श्री अलगेशन : जी हां । ऐतिहासिक स्थानों में वे सभी स्थान आ जाते हैं जो पर्यटकों के लिये महत्वपूर्ण हैं ।

श्रीमती कमलेंदु मति शाह : क्या मैं जान सकती हूं कि यह जितना रुपया स्वीकार हुआ है, यह केन्द्रीय सरकार देगी या प्रान्तीय सरकार ? ये रेस्ट हाउस कहां कहां बनेंगे और क्या पहाड़ों में भी बनेंगे या नहीं ।

श्री अलगेशन : सम्पूर्ण विषय अभी योजना आयोग के विचाराधीन है ।

पंडित सी० एन० मालवीय : क्या सांची भी इस सूची में है ?

श्री अलगेशन : जी हां, सांची को अवश्य स्थान दिया गया है ।

श्री सारंगधर दास : क्या कोणार्क भी इस सूची में है।

श्री अलगेशन : यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य स्थान भी हैं ।

तार घर

*१२२६. **श्री राम दास** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार प्रत्येक राज्य के थानों को जिला के मुख्य कार्यालय से, तार द्वारा मिलाने का विचार कर रही है ;

(ख) किन राज्यों में अभी तक तार सुविधायें नहीं दी गई हैं ; और

(ग) इस कार्य के लिये बनाये गये कार्य क्रम के क्या ब्यौरे हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नही प्रस्ताव यह है कि जिन राज्यों

के प्रशासन में तहसील नहीं है, उन राज्यों के थाना मुख्य कार्यालयों में तार सुविधा दी जायेंगी ।

(ख) और (ग). इस प्रकार राज्यों में इस योजना को पूरा करने में अभी कुछ वर्ष लगेंगे । कार्यक्रम निधि तथा सामग्रियों की प्राप्यता पर आधारित है।

श्री राम दास : जिला होशियारपुर में अम्ब और नूरपुर के दो ऐसे थाने हैं कि जिनके हेडक्वार्टर तक बरसात के दिनों में आदमी कई कई दिनों तक नहीं पहुंच सकता है । क्या मैं जान सकता हूं कि उनके टेलीग्राफ कनेक्शन का इन्तिज़ाम क्यों नहीं किया गया ?

श्री राज बहादुर : ऐसे ही मुकामों के लिये हमने अपने नुकसान की सीमा १५०० रुपये तक बढ़ा दी है, और आशा करता हूं कि जिन दो स्थानों का नाम माननीय सदस्य ने लिया है उन पर यदि वह नियमों के अन्तरगत आते हैं तो विचार किया जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या तहसील हैडक्वार्टर्स के लिये सरकार ने यह निश्चय किया है कि चाहे कितना ही नुकसान हो वहां तारघर खोले जायेंगे, या उसके लिये भी कोई सीमा है ?

श्री राज बहादुर : उसके लिये एक हज़ार रुपये तक की सीमा है ।

श्री ए० एम० थामस : माननीय मंत्री ने तारघर आदि को खोलने के सम्बन्ध में संशोधित योजना की ओर निर्देश किया है । क्या मैं जान सकता हूं कि प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताओं का निर्धारण किया गया है तथा यदि हां, तो संशोधित योजना की आवश्यकताओं का पूरा करने में कितने धन की आवश्यकता होगी ?

श्री राज बहादुर : हमारी नीति, विभिन्न राज्य सरकारों की तथा जनता की मांगों पर आधारित रहती है तथा उसी सीमा तक मैं बता सकता हूं कि आवश्यकतायें निश्चित हो चुकी है । इसके अतिरिक्त, हमारा अनुभव यह है कि हमारे कार्यक्रम में उससे अधिक क्षेत्र नगर तथा स्थान आ गये हैं जितने वास्तविक रूप से हमसे मांगे गये थे ।

श्री राघवैया : क्या मैं जान सकता हूं कि इन थानों का ज़िला मुख्य कार्यालयों से सम्बद्ध करने में सरकार का क्या उद्देश्य है ?

श्री राज बहादुर : तार सुविधायें देने से सरकार का यह उद्देश्य है कि जनता को अच्छी संचार व्यवस्था से लाभ हो ।

अध्यक्ष महोदय : पुलिस, जनता को सहायता देने के लिये है ।

आन्ध्र में कुष्ट रोगोपचार केन्द्र

*१२२७. **डा० रामा राव** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र के, पूर्वी गोदावरी ज़िले के रामचन्द्रपुरम के कुष्ट रोगोपचार केन्द्र के लिए उसके प्रारम्भिक तथा आवर्तक व्यय के लिये अभी तक कितनी धन राशि स्वीकृत की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि एक मोटर गाड़ी तथा जीप जो कि योजना को आवश्यक सामग्रियां हैं, केन्द्र को अभी नहीं दी गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा समय पर सभापटल पर रख दी जायेगी ।

डा० रामा राव : डाक्टर तथा औषधियां और सामग्रियों की संयुक्ति में जो लगभग छ माह का इतना अधिक विलम्ब हुआ उसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : सामान्यतः यह होता है कि राज्य सरकार इन गाड़ियों, मोटर

गाड़ियों को अपने धन से खरीद लेती हैं तथा केन्द्रीय सरकार उस धन को लौटा देती है। यदि राज्य सरकारों ने उन्हें नहीं खरीदा तो केन्द्रीय सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है।

डा० रामा राव : क्या इस केन्द्र में डाक्टरों, अन्य कर्मचारियों, तथा सामाजिक कर्मचारियों के साथ साथ कोई सांख्य शास्त्री भी है?

श्रीमती चन्द्रशेखर : यह राज्य सरकारों से सम्बन्धित है।

श्री बी० एस० मूर्ति : रामचन्द्रपुरम् के कुष्ट रोगोपचार केन्द्र के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित करने के साथ साथ क्या आन्ध्र के अन्य कुष्ट रोगोपचार गृहों तथा शरणालयों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है?

श्रीमती चन्द्रशेखर : यह प्रश्न आन्ध्र में स्थापित दो केन्द्रों के सम्बन्ध में है जिनको केन्द्रीय सरकार सहायता देती है। इसलिये हमें अन्य सूचना क्यों एकत्रित करनी चाहिये।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं केन्द्रीय सरकार तथा विशेषतया स्वास्थ्य मंत्रालय की नीति, स्वास्थ्य मंत्रालय की अन्य योजनाओं जिनकी आलोचना देश के प्रभावशाली व्यक्ति करते हैं जैसे एक की आलोचना भारत के एक गवर्नर जनरल ने की थी; के सम्बन्ध में जान सकता हूं?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या बी० सी० जी० का टीका कुष्ट रोगोपचार के लिये प्रयोग किया जाता है?

श्री मुनिस्वामी : यह स्वास्थ्य मंत्रालय की एक योजना है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। यह प्रश्न कुष्ट रोग के सम्बन्ध में है। क्या बी० सी० जी० कुष्ट रोग के लिये है?

श्री ए० एम० थामस : जांच की जा रही है।

सफ़र की हालत

***१२२८. श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्व रेलवे के तेजपुर मनिहारीघाट तथा तेज़पुर अमीनगांव क्षेत्र में होने वाली सफ़र सम्बन्धी बातों के विरुद्ध जनता की शिकायतों के सम्बन्ध में तेज़पुर में कुछ दिन पूर्व हुई एक सभा की कार्यवाही की सूचना सरकार को मिली है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) शीघ्र ही एक उच्च अधिकारी को पाण्डू क्षेत्र में नियुक्त किया जायेगा। छोटे-छोटे दावों का फैसला करने के लिये एक दावा कार्यालय पाण्डू में खोलने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है। उस सार्वजनिक सभा में उठाये गये अन्य प्रश्नों पर भी सक्रिय विचार हो रहा है।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह सच है कि माननीय उपमंत्री इस क्षेत्र का अभी दौरा करके आये थे तथा यदि हां तो क्या उनको कुछ अभ्यावेदन दिये गये थे जिन पर उन्होंने कुछ वायदे किये थे? क्या उन वायदों पर कार्यवाही की गई है तथा दशा सुधारी गई है अथवा यह वायदे पूरे नहीं किये गये?

श्री अलगेशन : ऐसा विश्वास करने के मेरे पास कोई कारण नहीं कि वायदे पूरे नहीं किये गये हैं। यह ठीक है कि रंगिया-तेज़पुर क्षेत्र में चलने वाली गाड़ी बहुत धीरे चलती है। एक अभ्यावेदन का विषय यह था कि इसकी रफतार बढ़ा दी जाये। इस मास की प्रथम तिथि से मुझे ज्ञात हुआ है कि गाड़ियां अधिक रफ़्तार से चलने लगी हैं; तथा समय अनुसूची में लगभग दो घंटे का संशोधन कर दिया गया है।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह सच है कि इस लाइन का स्थैर्य भारी करण नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र, जो कि लगभग २० मील है, में गाड़ी पांच मील प्रतिघंटा की रफ्तार से चलती है, जबकि शेष सम्पूर्ण क्षेत्र में जोकि लगभग ६० मील है, यह दस मील प्रतिघंटा की रफ्तार से चलती है ? यदि ऐसा है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस लाइन का स्थैर्यभार का किया जायेगा ?

श्री अलगेशन : यह सच है कि इसका पूर्णतया स्थैर्यभारी करण नहीं किया गया था तथा गाड़ी के धीरे धीरे चलने का एक यह भी कारण है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : कुछ दिन हुये, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया था कि यह मनगढ़न्त कहानी थी । इसके पश्चात मुझे मेरे एक मित्र का पत्र प्राप्त हुआ था जिसने उत्तर-पूर्व रेलवे के सामान्य प्रबन्धक को इस प्रकार नोटिस दिया है कि मैं इस गाड़ी से आ रहा था, गाड़ी रास्ते में रुक गई तथा मुझे अपने स्थान पर पहुंचने में १३ घंटों की बजाय २० घंटे लगे; यदि इस प्रकार फिर हुआ तो मैं हानि का दावा सरकार पर कर दूंगा ?' क्या सरकार को इसकी सूचना है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : हमें ऐसी कोई सूचना नहीं है, परन्तु हम किसी भी दावे का स्वागत करेंगे तथा न्यायालय में निर्णय करेंगे ।

आन्ध्र राज्य पदाधिकारियों का विदेशों में प्रतिनियुक्ति

*१२३१. **श्री रामचन्द्र रेड्डी :** क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र सरकार के कृषि तथा पशु-पालन विभाग के ऐसे कितने पदाधिकारी हैं जिनके आवेदन पत्रों की सिफारिश सरकार ने, कोलम्बो योजना के अधीन अन्य देशों में गवेषणा तथा प्रशिक्षण की प्रतिनियुक्ति के लिये की है ;

(ख) उनके आवेदन पत्र कितने समय से लम्बित थे ; और

(ग) इस विषय में क्या निश्चय किया जायेगा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) १९५५ में चार ।

(ख) और (ग). राज्य सरकार को सूचना दी गई है कि इनमें से दो पदाधिकारी उपयुक्त नहीं समझे गये तथा अन्य दो की सिफारिश फैलोशिप के लिये की गई है । इन फैलोशिप पर कम से कम ३ माह में निर्णय होगा ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : किन व्यक्तियों की सिफारिश की गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जिन दो व्यक्तियों की मंत्रालय ने सिफारिश की है उनके नाम श्री एम० वी० कृष्णाराव, आस्ट्रेलिया भेजने के लिए भेड़ फार्मिंग के लिये तथा श्री टी० वी० सुब्बा राव, बांस के उपयोग के लिये, जापान तथा हिंदेशिया भेजने के लिए हैं ।

रेलवे बुकिंग

*१२३२. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जन १९५५ में कलकत्ता से मुगलसराय तक के स्टेशनों के लिये कई बार सामान

मंत्री महोदय का मूल उत्तर निम्नोलिखित है :

"जिन दो व्यक्तियों की मंत्रालय ने सिफारिश की है उनके नाम श्री एम० सी० कृष्णराव भेड़ फार्मिंग के लिए और श्री टी० वी० सुब्बा राव बांस के उपयोग के जापान और मलाया भेजने के लिए हैं"

उपर लिखित उत्तर मंत्री ने मूल उत्तर के स्थान पर रखने के लिए बाद में भेजा था ।

के बुकिंग को बन्द करने के क्या कारण हैं; और

(ख) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) वगनों की सीमित प्राप्यता के कारण आवश्यक सामग्री, कोयला समेत, के यातायात का प्रबन्ध ठीक रखने के लिये यह आवश्यक हो गया कि, जून १९५५ के कुछ समय में अन्य कम आवश्यक वस्तुओं के आने जाने का विनियमन किया जाये ।

(ख) वैगनों की प्राप्यता सुधारने के लिये भरसक कार्यवाही की जा रही है जिससे नियंत्रण की आवश्यकता न रहे ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि विशेषज्ञ व्यक्तियों द्वारा कथित इस कथन के सम्बन्ध में सरकार ने अभी कोई जांच की है कि मुगलसराय के पश्चिमी क्षेत्रों को पूर्व रेलवे से अलग करने से मुगलसराय की कार्यपटुता में कुछ कमी आ गई है तथा यदि हां, तो वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

श्री अलगेशन : सरकार ने यह दृष्टिकोण स्वीकार नहीं किया है ।

जल का संभरण

*१२३४. **श्री संगण्णा** : क्या रेलवे मंत्री २९ जुलाई, १९५५ को पूछे गए तारांकित मंत्री संख्या २४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किया झोला परियोजना से दिया गया जल, में कीड़े, मकौड़े हैं जिससे यह मनुष्य के पीने योग्य नहीं रह जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह इस कारण है कि यह चश्में का जल है ; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

श्री संगण्णा : क्या इस जल को हानिरहित रखने के सम्बन्ध में किसी विशेषज्ञ की सम्मति मांगी गई है ?

श्री अलगेशन : हमें पूर्ण विश्वास है कि जल ठीक है । कोई शिकायत नहीं है ।

श्री संगण्णा : क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय मंत्री ने किस आधार पर यह सम्मति दी है कि इस जल का प्रयोग करने में कोई खतरा नहीं है ?

श्री अलगेशन : मैं नहीं जानता कि मैं इस प्रश्न का किस प्रकार उत्तर दूं । कोई शिकायत नहीं है । लोग स्वस्थ हैं । तथा इस जल को पी रहे हैं ।

बिना टिकट यात्रा

*१२३५. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन बिना टिकट यात्रियों की रोकथाम के लिये कोई उपाय किये गये हैं जो बड़े-बड़े स्टेशनों के पूर्व सिगनल न गिराये जाने के कारण गाड़ियों के खड़े होते ही चम्पत हो जाते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे बिना टिकट यात्रियों को जो बीच के स्टेशनों पर पकड़े जाते हैं उन्हें चलते फिरते न्यायाधीशों के स्थायी न्यायालयों तक बिना टिकट ले जाया जाता है ; और

(ग) क्या वे यात्री जिन्हें दंड दिया गया है मुक्त होने पर धनाभाव के कारण फिर बिना टिकट यात्रा करने लगते हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) कोई खास कार्रवाई नहीं की गयी है, लेकिन गार्ड और टिकट जांचने वाले कर्मचारियों से आशा की जाती है कि वे सावधान रहें और जहां तक हो सके बिना टिकट चलने वाले मुसाफिरों को पकड़ें ।

(ख) जी हां, जब मैजिस्ट्रेट जांच करने वाली पार्टी के साथ नहीं रहते ।

(ग) इस तरह का कोई मामला नोटिस में नहीं आया है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या यह सच है कि क़रीब क़रीब सभी बड़े रेलवे स्टेशनों के पूर्व सिगनल्स के पास रेलगाड़ियां रुक जाती हैं और जिसकी वजह से हज़ारों की संख्या में बिना टिकट मुसाफिर उत्तर पड़ते हैं और यदि यह सच है तो सरकार ने इस बारे में क्या कोई प्रबन्ध नहीं किया जिससे बिना टिकट सफ़र करने वाले यात्री वहां पर न उतर सकें, जैसे कि एक रेलवे स्टेशन से तब ही गाड़ी छोड़ी जाये जबकि सिगनल किलयर हो और जिससे उसको अगले स्टेशन के पहले सिगनल पर खड़ा न होना पड़े ?

श्री अलगेशन : गाड़ी के साथ जाने वाले रेल-कर्मचारियों को ये हिदायतें हैं कि वे गाड़ी को सिगनल के पहले न खड़ा करें परन्तु कुछ अनिवार्य कारणों से वे गाड़ी को सिगनल से पहले खड़ा कर देते हैं । ऐसे मामलों में यह सत्य है कि बहुत से बिना टिकट व्यक्ति अवसर का पूरा लाभ उठा बच निकलने का प्रयत्न करते हैं । टिकट देखने वाले कर्मचारियों की संख्या कम होती है तथा उनके लिए बिना टिकट अधिक संख्या मुसाफिरों से निपटना कठिन हो जाता है, विशेषतः जब उनकी संख्या बहुत ही अधिक हो ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या यह सच है कि विद्यार्थियों में बिना टिकट चलने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और क्या यह सच है कि बिहार में अभी हाल में कई सौ लड़के बिना टिकट सफर करने के जुर्म में गिरफ्तार किये गये हैं तो सरकार विद्यार्थियों में जिनको कि कन्सेशन भी दिया जाता है, उनमें इस बिना टिकट सफ़र करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या प्रबन्ध कर रही है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : यह अफ़सोस की बात है कि विद्यार्थियों के सम्बन्ध में इस तरह की शिकायत आवे । अभी हाल में बिहार से कुछ विद्यार्थी देहली प्रधान मंत्री जी से और और लोगों से मिलने आये थे उस वक्त भी मुझे मालूम हुआ कि कुछ बिना टिकट आये और यह भी पता चला कि उनको सजा हो गई जिसका कि मुझे रंज है, लेकिन कानून है क्या किया जाये । उनको शायद सात दिन का इम्प्रिज़नमेंट हुआ । बिहार में मालूम होता है कि कुछ ज्यादा इस मामले में आसानी है लेकिन दिल्ली में वह आसानी नहीं मिली । हम यह आशा करते हैं कि विद्यार्थी खास तौर पर इस तरह के कामों में हिस्सा नहीं लेंगे ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इन बिना टिकट यात्रियों में से कितने विद्यार्थी थे ?

श्री एल० बी० शास्त्री : किसी प्रतिशतता का बताना तो कठिन है, परन्तु पश्चिम बंगाल के बारे में स्थिति का माननीय सदस्य को पता है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं कैसे जान सकती हूं मैं टिकटों को तो नहीं देखती ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय को यह पता नहीं है कि टिकट चेकर्स की संख्या रेलों पर पर्याप्त नहीं है और क्या मंत्री महोदय यह आवश्यक नहीं समझते कि इस बिना टिकट सफ़र करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए और अधिक टिकट चेकर्स रखे जाने आवश्यक हैं ।

श्री एल० बी० शास्त्री : जी नहीं, जहां ज़रूरत होगी वहां टिकट चेकर्स बढ़ाये जायेंगे, लेकिन खाली टिकट चेकर्स से काम ज़्यादा चलने वाला नहीं है, अपनी तबियत अगर सच्चाई से काम करने की होगी तभी काम ज़्यादा चलेगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मुझे आपकी अनुमति से एक प्रश्न और पूछना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं ।

हैलीकोप्टर

*१२३६. **श्री अजित सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में हैलीकोप्टर विमानों के बनाने के लिए कोई उपाय कर रही है ;

(ख) क्या किसी पक्ष या समवाय ने देश में ऐसी उद्योग की स्थापना सम्बन्धी कोई योजना प्रस्तुत की है ; और

(ग) यदि ऐसा है तो सरकार ने इस मामले में क्या फैसला किया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). सरकार ने हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड में हैलीकोप्टर विमानों के बनाने के प्रश्न पर हाल में ही विचार किया था तथा इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि ये वहां तभी बनाए जायं जब यह एक मितव्ययी समस्या हो । इस बीच हिन्दुस्तान फैक्टरी में हैलीकोप्टर विमानों की सफ़ाई का विभाग खोला जाये ।

सरकार को एक निजी पक्ष से उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत हैलीकाप्टरों के बनाने के सम्बन्ध में आवश्यक लाइसेंस के लिए एक प्रार्थनापत्र मिला है । इस पर विचार हो रहा है ।

श्री अजित सिंह : इस अनुमति के लिए प्रार्थना करने वाले समवाय का नाम क्या है ।

श्री राज बहादुर : सर्वश्री एयरोनाटीकल लिमिटेड आफ कलकत्ता ।

श्री अजित सिंह : क्या आजकल के बाढ़ और टिड्डी दलों के हमलों के दिनों में सरकार हैलीकोप्टर को एक लाभदायक वस्तु समझती है ?

श्री राज बहादुर : जी हां । परन्तु जहां तक इस देश का सम्बन्ध है, हैलीकोप्टर का सीमित प्रयोग ही किया जा सकता है । इसमें टिड्डी के नियन्त्रण तथा अन्य कृषि सम्बन्धी प्रयोजन, खोज और बचाव तथा इसी प्रकार की बातें आती हैं । वैमानिक सफ़र में इन पर खर्च कम आता है ।

श्री अजित सिंह : इस समवाय को हैलीकाप्टरों के बनाने की अनुमति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री राज बहादुर : माननीय सदस्य को १९४८ के नीति संकल्प का स्मरण होगा । जिसके अनुसार केवल राज्य ही विमानों को बना सकता है । हां राज्य को अनुमति है कि वह इस कार्य के असरकारी पक्ष को सौंपे जाने की सम्भावना पर विचार कर सकता है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह सच है कि ब्रिटिश सरकार ने यात्री यातायात के प्रयोजनों से तथा विशेषतः दो इंजनों वाले ६ हैलीकौप्टर का हाल में क्रयादेश दिया है ? यदि ऐसा है तो क्या सरकार यात्रियों के लाने ले जाने और जिन पहाड़ी स्थानों पर रेल नहीं वहां डाक के ले जाने के लिए इन विमानों के चलाने का विचार कर रही है ?

श्री राज बहादुर : हमने इसकी जांच की है तथा हैलीकौप्टर द्वारा परिवहन मितव्ययी नहीं पाया गया है ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार ने हॅलीकाप्टर के सारे प्रश्न पर गौर किया है, विशेषतः इस तथ्य के विचार से कि इंगलैण्ड के हॅलीकाप्टरों के निर्माताओं के अनसार इस विमान पर सफ़र करने के व्यय में उस समय तक कमी नहीं हो सकती जब तक दो इंजन न लगाए जायं, दूसरे शोर को कम से कम किया जाये और इसकी रफ्तार तीन गुना न की जाये ?

श्री राज बहादुर : हॅलीकाप्टरों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य को काफ़ी जानकारी है । परन्तु जहां तक हमारे देश का मम्बन्ध है, हमने इसकी जांच की है तथा जैसा कि मैंने पहले कहा है, हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट हॅलीकाप्टर बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है । इस समय उन्होंने हॅलीकाप्टरों की सफ़ाई के ही प्रबन्ध किए हैं ।

आसाम रेल सम्पर्क

*१२३७. **श्री विमलाप्रसाद चालिहा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आसाम तक रेलों का जाना किस तिथि तक फिर आरम्भ हो जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : जुलाई में बाढ़ आने से आसाम को भारत के अन्य भागों से मिलाने वाली रेलवे लाइन सात जगहों पर टूट गयी थी । एक स्थान को छोड़ कर सभी जगह पर लाइन फिर बना दी गयी है । उस स्थान पर अक्तूबर के मध्य तक लाइन की मरम्मत होने की आशा है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : यह लाइन प्रत्येक वर्ष टूट जाती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार दूसरी लाइन बनाने के विषय में सोच रही थी जिससे कि यह लाइन टूटने वाली बात न रहे । क्या इस दूसरी लाइन की योजना पूरी कर ली गयी है जिससे कि इसका काम अगली सरदी में शुरू हो सके ?

श्री अलगेशन : आसाम रेल लाइन का एक भाग बहुधा बाढ़ग्रस्त हो जाता है । हम उस भाग के स्थान में दूसरी लाइन बनाने के बारे में सोच रहे हैं । इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

भोजन आदि की व्यवस्था

*१२३८. **श्री डाभी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्होंने अपने आय-व्ययक भाषण में जो यह सुझाव दिया था कि रेलों पर भोजन व्यवस्था करने वालों को भोजनालयों आदि का निरीक्षण करने में ग़ैर-सरकारी लोगों का भी सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए जिससे कि भोजन अच्छा और उचित ढंग से मिल सके, क्या वह कार्यरूप में परिणत कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा किन किन रेल खण्डों (ज़ोन) में किया गया है ।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). जी, हां । पश्चिम, पूर्व तथा उत्तर रेलवे पर ऐसा किया गया है ।

अन्य रेलों में इस सुझाव को कार्यरूप में परिणत करने के सुझाव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

श्री डाभी : क्या संसद सदस्यों को इन समितियों में लिया गया है ?

श्री अलगेशन : इन रेलों में प्रादेशिक और खण्डों (ज़ोन्स) की समितियों के सदस्यों को लिया गया है । पूर्व रेलवे में उस खण्ड (ज़ोन) की रेल प्रयोक्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्यों का सहयोग निरीक्षण कार्य के लिए प्राप्त किया गया है । इस समिति में संसद् सदस्य भी हैं ।

श्री डाभी : क्या भोजन आदि की व्यवस्था करने वाले इन होटलों आदि द्वारा दिए जाने वाले भोजन, विशेषतया निरामिष भोजन के

सम्बन्ध में सरकार को शिकायतें मिली हैं कि यह घटिया क़िस्म का होता है ?

श्री अलगेशन : कौन से स्थान पर ?

उपाध्यक्ष महोदय : किसी विशेष लाइन पर ऐसा होता है या सभी लाइनों पर ?

श्री डाभी : पश्चिम रेलवे पर।

श्री अलगेशन : निरामिष भोजन के सम्बन्ध में ही नहीं आमिष भोजन के सम्बन्ध में भी शिकायतें आती हैं। परन्तु मैं तत्काल ही नहीं कह सकता कि ये शिकायतें किसी विशेष ठेकेदार के बारे में या किसी विशेष स्टेशन के बारे में होती हैं।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह कृपा करके बतलायेंगे कि रीजनल और ज़ोनल रेलवे यूज़र्स कन्सलटेटिव कमेटी जो बनाई जाती है, वह किस असूल पर बनायी जाती है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : वह तो नियम बिल्कुल सब छपे हुए हैं, अगर माननीय सदस्य चाहें तो वह उन छपे हुए नियमों को देख सकते हैं और मैं उन्हें दे भी सकता हूं।

श्री डाभी : क्या यह सच नहीं है कि प्रश्नकर्त्ता ने स्वयं माननीय मंत्री से लिख कर शिकायत की थी कि घटिया किस्म का भोजन दिया जाता है ?

श्री अलगेशन : सम्भव है। परन्तु मेरे विचार में प्रश्न का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य बड़े सक्रिय हैं। वे शिकायतें लिख कर देते रहे हैं।

श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन : क्या दक्षिण रेलवे पर गैर-सरकारी समिति द्वारा यह निरीक्षण नहीं किया जा रहा ? यदि ऐसी निरीक्षण समिति बनाई जा रही है तो क्या उसमें किसी महिला को भी लिया जा रहा है ?

श्री अलगेशन : मैंने अपने उत्तर में कहा है कि अन्य रेलें, जिनमें दक्षिण रेलवे भी है बड़ी मुस्तैदी से इस प्रश्न पर विचार कर रही हैं। मैं चाहता हूं कि इस काम में महिलाओं का सहयोग भी प्राप्त किया जाय और मैं यह विचार दक्षिण रेलवे की प्रादेशिक समिति के सदस्यों तक पहुंचा दूंगा।

श्री एल० बी० शास्त्री : उपमंत्री ने जो कुछ कहा है मैं उससे भी आगे तक जाने के लिए तैयार हूं। मैं दक्षिण रेलवे को सुझाव दूंगा कि इस समिति की सदस्य केवल महिलाएं ही हों।

डा० रामा राव : रेलवे के डाक्टर आदि बरतनों की सफाई और अन्य सम्बन्धित बातों का निरीक्षण कब कब करते हैं ?

श्री अलगेशन : डाक्टरी कर्मचारियों और अधीक्षण कर्मचारियों से कहा गया है कि भोजन आदि की व्यवस्था करने वाले होटलों आदि का निरीक्षण अवश्य किया करें और जहां भी उन्हें कोई त्रुटि दिखाई दे कड़ी कार्यवाही करें।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या सरकार के पास ऐसी सूचना है कि निरीक्षण कार्य में गैर-सरकारी व्यक्तियों का सहयोग हो जाने के बाद कोई सुधार हुआ है या कि जैसे पहले था वही हाल अब भी है ?

श्री अलगेशन : इस प्रश्न का उत्तर देना बड़ा कठिन है। यह स्वाभाविक ही है कि जब गैर-सरकारी व्यक्तियों को भी इस काम में लिया गया है और निरीक्षण किया जा रहा है तो सरकार को यह आशा अवश्य है कि सुधार होगा।

श्री एम० एल० द्विवेदी : माननीय मंत्री ने कुछ दिन हुए ऐसी घोषणा की थी कि खाद्यान्नों के सस्ते होने के कारण रेलवे में भोजन की दरों में कमी की जायेगी ? मैं

जानना चाहता हूं कि यह घोषणा कब कार्यान्वित की जायेगी और रेलवे में कब से ठीक और सस्ता भोजन मिलने लगेगा ?

श्री एल० बी० शास्त्री : माननीय सदस्य को यह मालूम होगा कि रिफ़्रेशमेन्ट रूम्स में आज जो खाना मिलता है उसकी क़ीमत काफी कम कर दी गई है । १२ आ० और १४ आ० क़ीमत उसकी रक्खी गई है और फूड का भी स्टेन्डर्ड मुक़र्रर किया गया है । लेकिन इस वक्त हम तमाम चीज़ों पर फिर से विचार कर रहे हैं और शायद बहुत जल्दी हम नये क़दम लेंगे जिस से खाना भी अच्छा हो जायेगा और क़ीमत भी कम हो जायेगी ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या यह सच है कि बहुत से कंट्रैक्टर्स आज सैन्ट्रल रेलवे में हैं जिनके खिलाफ़ आप के पास बहुत सी शिकायतें पेश की गई हैं और उस के बाद भी वह लोग आज तक कंट्रैक्टर्स हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : माननीय मेम्बर की शिकायतों का मुझे ख्याल नहीं है । लेकिन अगर यह शिकायतें आप के इलाके में होती हैं तो आप को भी तो उस के रोकने में कुछ मदद करनी चाहिये ।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं आप को नाम बता सकता हूं । झांसी स्टेशन की शिकायतें आप के पास काफी अर्से से कई लोगों के बारे में हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य कह रहे हैं : 'आप के पास' मेरे पास कहां ?

सरदार ए० एस० सहगल : आप के पास नहीं, मिनिस्ट्री के पास हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों से आशा की जाती है कि वे सदा अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें । आपके पास में, तो मेरे पास में कैसे ?

श्री राघवैया : क्या सरकार को मालूम है कि चूंकि किसी एक कम्पनी को भारत की रेलों के सारे भाग पर नहीं तो मुख्य भाग पर भोजन आदि की व्यवस्था का एकाधिकार दे दिया जाता है, इसलिए भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करने के बारे में उतनी सावधानी नहीं की जाती जितनी कि अन्नपूर्णा या अन्य संस्थाओं द्वारा भोजन-व्यवस्था से हो सकती है ? क्या सरकार का विचार है कि वह भोजन व्यवस्था का काम स्वयं सम्भाल ले और इस के ठेके देना बन्द कर दे ?

श्री अलगेशन : किसी को एकाधिकार देने से जो बुराइयां उत्पन्न होती हैं उनका हमें भली-भांति पता है । अब हमारी नीति यह है कि भोजन की व्यवस्था करने वालों के क्षेत्र कम किये जायं और उन्हें अधिक सुसंगठित करके इस के योग्य बनाया जाय कि वे अच्छा भोजन दे सकें ।

मुसाफिर गाड़ियों के डिब्बे

*१२३९. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक उत्तर रेलवे पर तीसरे दर्जे के कितने डिब्बों में पंखे लगाये गये हैं ; और

(ख) उस खण्ड (ज़ोन) में तीसरे दर्जे के कितने प्रतिशत डिब्बों में पंखे लगे हुए हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ८०९ ।

(ख) ४४ प्रतिशत ।

श्री डी० सी० शर्मा : उत्तर रेलवे में सभी डिब्बों में कब तक पंखे लग जायेंगे ?

श्री अलगेशन : यह निश्चय किया गया था कि तीसरे दर्जे के सभी नये डिब्बों में, सभी उन डिब्बों जिन्हें चलते हुए २० वर्ष से कम हुए हैं और महिलाओं के सभी डिब्बों में, चाहे

उन्हें चलते कितना ही समय हो गया हो, पंखे लगाए जायं। इस कसौटी पर परखा जाय तो ८० प्रतिशत डिब्बों में पंखे लगाए जा चुके है। केवल उन डिब्बों में पंखे नहीं लगाए गए जिन्हें चलते २० वर्ष से अधिक हो गये हैं।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि जिन डिब्बों में पंखे लगाए गए हैं उनमें से अधिकतर मुख्य लाइन पर ही चलते हैं और शाखा लाइनों पर नहीं, और यदि यह ठीक है तो मुख्य लाइन और शाखा लाइनों में यह विभेद क्यों किया जाता है ?

श्री अलगेशन : मैं नहीं जानता कि यह बात ठीक है या नहीं परन्तु शायद मुख्य लाइन का अधिक महत्व रहता है और उन पर अधिक लोग यात्रा करते हैं।

श्री डी० सी० शर्मा: क्या महिलाओं के सभी डिब्बों में पंखे लगाए जायंगे चाहे उन्हें चलते हुए २० वर्ष से अधिक ही क्यों न हो गये हों ?

श्री अलगेशन : मैंने अपने उत्तर में यही कहा था।

श्री धुलेकर : क्या आनरेबल मिनिस्टर साहब को यह मालूम है कि छोटे छोटे क्या बड़े बड़े स्टेशनों पर भी इलेक्ट्रिशियन नहीं रहते हैं और पंखे बन्द हो जाते हैं और शिकायत करने पर भी कोई पंखों को नहीं चलाता और २६ तारीख को जी० टी० एक्सप्रेस इसलिए नई दिल्ली स्टेशन पर खड़ी रही कि वहां इलेक्ट्रिशियन नहीं था ?

श्री अलगेशन : मेरा विचार है कि बिजली तो दिल्ली के मकानों में भी बन्द हो जाती है।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : इस सभा में भी ऐसा होता है।

भारतीय नौवहन

***१२४१. श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अखिल भारतीय निर्यातकर्ता संस्था की १८ मई, १९५५ को हुई बैठक में संस्था के प्रधान द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर गया है कि जहाज़ सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण भारत से निर्यात में बड़ी बाधा पड़ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सरकार ने यह वक्तव्य देखा है।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १६**]

श्री भागवत झा आज़ाद : वितरण में कहा गया है कि माल बाहर भेजने के लिए जहाजों में स्थान नहीं मिलता; सरकार स्थान की कमी को दूर करने के लिये क्या कर रही है ?

श्री अलगेशन : जब भी हमें शिकायतें मिली हैं हमने नौवहन कम्पनियों से कहा है कि वे निर्यात करने वालों से मिलें और इस बात का ध्यान रखें कि ऐसी शिकायतें उत्पन्न न हों और वे निर्यात करने वालों की यथासम्भव सहायता करें।

श्री भागवत झा आज़ाद : जैसा कि वितरण में कहा गया है, सरकार के पास कोई संविहित शक्ति नहीं है, तो क्या सरकार का विचार है कि वह ऐसी शक्ति अपने हाथ में ले या सरकार विदेशी कम्पनियों की भेद-भाव की नीति को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अलगेशन : स्पष्ट है कि माननीय सदस्य का संकेत इस आरोप की ओर है कि विदेशी कम्पनियां भाड़ा लेने में भेद-भाव बरतती हैं। इस पर विचार किया जा रहा है और हमने ब्यौरा मांगा है। नौवहन के महानिदेशक के कार्यालय में एक विशेष कार्यायुत अधिकारी इस मामले की जांच कर रहा है और यह मालूम कर रहा है कि यह आरोप कहां तक सच है।

श्री भागवत झा आज़ाद : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत सरकार ने बन्दरगाहों पर अधिक अच्छी सुविधाओं की व्यवस्था की है, क्या कान्फ्रेंस कम्पनियों ने माल पर अधिभार लेने की धमकी देना बन्द कर दिया है ?

श्री अलगेशन : मेरा विचार है कि लगभग सभी विदेशी कम्पनियों ने—मेरा मतलब है कि शिप्पिंग कान्फ्रेंस लाइन्ज़ ने—अधिभार न लगाने का निर्णय किया है, यद्यपि यू० एस० ए०—इण्डिया लाइन इस निर्णय को प्रति मास स्थगित कर रही है। परन्तु मेरे पास यह सोचने का कारण है कि वह इसे अनिश्चित काल तक स्थगित नहीं करेगी।

श्री ए० एम० थामस : इन कम्पनियों पर एक गम्भीर आरोप यह है कि वे भाड़ा लेने में भेदभाव बरतती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम समुद्र पार व्यापार के सम्बन्ध में विधान नहीं बना सकते क्या सरकार ने इस प्रश्न पर दूसरी सरकारों के साथ बातचीत शुरू की है ?

श्री अलगेशन : सारी नौवहन कम्पनियां गैर-सरकारी कम्पनियां हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि नौवहन के महानिदेशक के कार्यालय में एक विशेष कार्यायुत अधिकारी आजकल इस काम में लगा हुआ है और यह जांच कर रहा है कि ये आरोप कहां तक ठीक है। उस की रिपोर्ट मिलने पर हम कोई ठोस कार्यवाही कर सकेंगे।

श्री धुलेकर : हाल ही में न्यूयार्क में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें ३५ प्रतिशत अधिभार का लागू किया जाना केवल एक महीने—अर्थात् १५ सितम्बर से १५ अक्तूबर तक के लिए स्थगित किया गया था। सरकार कौन सी कार्यवाही करेगी जिससे कि यह अधिभार सदा के लिये स्थगित कर दिया जाय ?

श्री अलगेशन : नौवहन कम्पनियों को इस सम्बन्ध में सरकार के विचारों का पता है और, जैसा कि मैंने कहा, मेरे पास यह विश्वास करने का कारण है कि वे इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नोत्तर काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

चीनी का उत्पादन

*१२०७. **श्री इब्राहीम** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गन्ने से चीनी निकलने की औसत प्रतिशतता इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी अधिक रही है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी, नहीं। १९५४–५५ में गन्ने से चीनी निकालने की औसत प्रतिशतता ८·९८ रही जबकि १९५३–५४ में यह १०·०७ प्रतिशत थी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उखाड़ी गयी रेलवे लाइनें

*१२०८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में कितने मील लम्बी रेलवे लाइनें फिर बिछाई गयीं जो कि पहले उखाड़ ली गयी थीं ; और

(ख) इस पर कुल कितना खर्च हुआ ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १७**]

अन्तरिक्षशास्त्र सम्बन्धी सम्मेलन

***१२०९. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २३ मई, १९५५ को ब्रिटेन में राष्ट्रमंडल के देशों का एक अन्तरिक्षशास्त्र सम्बन्धी सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो भारत ने उसमें क्या भाग लिया था ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) ये सम्मेलन समय समय पर किये जाते हैं और इनमें उन विशेष अन्तरिक्षशास्त्र सम्बन्धी समस्याओं की चर्चा की जाती है, जिनमें राष्ट्रमंडल की सब अन्तरिक्षशास्त्र सम्बन्धी सेवाओं को रुचि होती है । राष्ट्रमंडल में अन्तरिक्षशास्त्र सम्बन्धी मामलों में विशेषकर प्रक्रियाओं और तरीकों की गवेषणा और विकास के सम्बन्ध में सहयोग के बहुत विषय हैं ।

मई १९५५ में जो सम्मेलन हुआ था उसमें सामान्य रुचि की विभिन्न महत्वपूर्ण टैक्निकल समस्याओं पर चर्चा हुई थी, जैसी कि संख्यात्मक पुर्वानमान, वर्षा के अप्राकृतिक रूप से नियन्त्रण को ध्यान में रखते हुए अन्तरिक्षशास्त्रीय गवेषणा, पुर्वानुमान के चालू तरीके, उष्णदेशीय अन्तरिक्षशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय भूभौतिकीय वर्ष में राष्ट्रमंडल का भाग लेना, अन्तरिक्षशास्त्र सम्बन्धी उपकरणों का संभरण आदि । भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने इस चर्चा में पूरा भाग लिया था ।

वस्तु भाड़ा

***१२१०. श्री विभूति मिश्र**: क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का निर्यातों के सम्बन्ध में वस्तु भाड़े में संशोधन करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो वाणिज्य, वित्त और रेलवे मंत्रालयों से कोई परामर्श किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). सरकार को समुद्र पार के व्यापार में वस्तु भाड़े की दरों का नियन्त्रण या विनियमन करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है और निर्यातों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा वस्तु भाड़े में संशोधन करने का प्रश्न नहीं उठता । तथापि सरकार को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि नौवहन कम्पनियां कुछ वस्तुओं के लिए अत्यधिक या विभेदकारी वस्तु भाड़ा ले रही हैं जिस के कारण भारत के निर्यात व्यापार में बाधा पड़ रही है । इन शिकायतों की नौवहन महानिदेशालय द्वारा जांच की जा रही है । जिन मामलों के सम्बन्ध में वस्तु भाड़े की दरें प्रत्यक्षतः अत्याधिक या विभेदकारी समझी जाती हैं, उनके बारे में सम्बन्धित नौवहन कम्पनियों से कहा जाता है कि वे इन में उपयुक्त रूप से कमी करें ।

झंडा सम्बन्धी विभेद

***१२१३. श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्होंने मई १९ में टोकियो में अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल के १५वें सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था ;

(ख) क्या उसमें झंडा सम्बन्धी विभेद के बारे में भारत के विचारों पर चर्चा हुई थी ;

(ग) यदि हां, तो इस के क्या परिणाम थे; और

(घ) और कौन से भारत सम्बन्धी विषयों पर चर्चा हुई थी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १८]**

(ख) और (ग). जी हां, भारतीय जहाज मालिकों के प्रतिनिधि, जिन्होंने सम्मेलन में भाग लिया था, सम्मेलन में झंडा सम्बन्धी विभेद के सम्बन्ध में पारित किये गये संकल्प से असहमत थे और उन्होंने भारत पर लगाये गये आरोपों का खंडन किया था।

(घ) झंडा सम्बन्धी विभेद के अतिरिक्त जिन मुख्य विषयों पर चर्चा हुई थी, वे ये थे : (१) आर्थिक विकास में सरकारी और निजी विनियोग, (२) नौवहन और वायु परिवहन पर दोहरा कराधान, (३) परिवहन बीमे के सम्बन्ध में विभेद और (४) हवाई डाक पर यातायात सम्बन्धी प्रतिबन्ध।

पवन चक्कियां

***१२१७. डा० राम सुभग सिंह** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल संभरण के लिये पवन चक्कियां लगाने के वास्ते राज्य सरकारों को सहायता देने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकारों को जनवरी १९५४ के बाद कोई सहायता दी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो किस राज्य सरकार को और कितनी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

गन्ना

***१२१८. पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि चीनी के कारखानों के बन्द हो जाने के कारण गन्ना बेचा नहीं जा सका ; और

(ख) यदि हां, तो किस राज्य से ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख). जी हां, केवल दो: कारखानों के मामले में--एक आंध्र में और दूसरा मद्रास में। जहां तक मद्रास के कारखाने का सम्बन्ध है, गन्ना बन्धित नहीं था और आंध्र के कारखाने के मामले में, जो एक सहकारी समवाय है गन्ने के मालिक कारखाने के सदस्य थे।

रेलवे न्यायालय

***१२१९. श्री अमर सिंह डामर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य भारत में इस समय कितने न्यायालय हैं जहां भारतीय रेलवे अधिनियम के अन्तर्गत अपराधियों पर अभियोग चलाये जाते हैं; और

(ख) क्या इन न्यायालयों द्वारा इकट्ठा किया गया अर्थ दण्ड रेलवे राजस्व में दिया जाता है या राज्य सरकारों द्वारा रखा जाता है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) एक वैतनिक रेलवे मजिस्ट्रेट को छोड़ कर, जिसका सदर मुकाम इन्दौर में है, कोई दूसरी ऐसी अदालत नहीं है जिसमें केवल भारतीय रेलवे ऐक्ट के मामले देखे जाते हों।

(ख) जुर्माने की रकम राज्य सरकार रख लेती है ।

रेलवे लाइन

***१२२०. श्री एन० राचय्या :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का मैसूर नगर और मरकारा (कुर्ग राज्य) के बीच एक रेलवे लाइन बनाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चीनी के कारखाने

***१२२२. सरदार इकबाल सिंह :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष चीनी के कारखानों को यह सलाह दी गई है कि वे नियत समय से एक मास पहले ही गन्ना पेरना शुरू कर दें ; और

(ख) यदि हां, तो उस मास में गन्ने का मूल्य क्या होगा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख). १३ जुलाई, १९५५ को रांची में उत्तर प्रदेश और बिहार के संयुक्त चीनी नियन्त्रण बोर्ड की बैठक में गन्ना उगाने वालों के प्रतिनिधियों ने एक सुझाव यह दिया था कि यदि आवश्यक हो तो गन्ने में से कम अनुपात में चीनी निकालने की कमी को पूरा करने के लिये उपयुक्त रियायतें देकर कारखानों से पेरना जल्दी शुरू करने के लिए कहा जाय। केन्द्रीय सरकार इस मामले पर राज्य सरकारों और अन्य सम्बन्धित हितों के परामर्श से विचार कर रही है ।

अन्नपूर्णा केफेटीरिया

***१२२३. श्री एम० इस्लामुद्दीन :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना के अधीन प्रत्येक बड़े नगर में और ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक अन्नपूर्णा केफेटीरिया खोलने की प्रस्थापना है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : अखिल भारतीय महिला केन्द्रीय खाद्य परिषद् से एक प्रस्थापना प्राप्त हुई है, जो कि विचाराधीन है ।

त्रिपुरा में गन्ने की खेती

***१२२९. श्री दशरथ देव :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा की भूमि गन्ना उगाने के लिए उपयुक्त है ;

(ख) यदि हां, तो वहां गन्ने की खेती बढ़ाने के लिए सरकार का क्या पग उठाने का विचार है ; और

(ग) क्या त्रिपुरा राज्य में एक चीनी का कारखाना स्थापित करने का भी सरकार का विचार है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) त्रिपुरा में गन्ने की खेती के विकास के लिए राज्य सरकार से अब तक कोई प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) त्रिपुरा राज्य में चीनी का कारखाना स्थापित करने के लिए सरकार को कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

हैदराबाद की सोने की खानें

***१२३०. श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **श्रम** मंत्री ८ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद की सोने की खानों के अस्पताल में एक्स-रे संयन्त्र लगाने में विलम्ब का क्या कारण है ; और

(ख) यह कब तक लगाया जायेगा ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). हमारे खान विभाग को जो कि प्रबन्धकों के सम्पर्क में है, बताया गया है कि यद्यपि प्रबन्धकों ने एक्स-रे सामान की मंजूरी दे दी है, वह अभी तक उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि प्रशासन में परिवर्तन हुआ है और नये प्रबन्धक इस बात का पुनरीक्षण कर रहे हैं कि अस्पताल को कितने सामान की आवश्यकता है ।

रेलवे दुर्घटनाएं

***१२३३. मुल्ला अब्दुल्लाभाई** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १९५३–५४ में हुई रेलवे दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में रेलवे के मुख्य निरीक्षक की रिपोर्ट पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में इन दुर्घटनाओं के कारण रेलवे को लगभग कितनी हानि हुई है ; और

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १९५३–५४ में रेलवे निरीक्षणालय के संचालन के सम्बन्ध में रेलवे के मुख्य सरकारी निरीक्षक की रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है । इसमें केवल तथ्य दिये हुए हैं और सरकार द्वारा विचार का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ख) और (ग). अपेक्षित जानकारी भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित रिपोर्ट के पैरा २६ और परिशिष्ट में दी गई है । रिपोर्ट की प्रतियां लोक सभा के पुस्तकालय में मिल सकती हैं ।

अस्पतालों के रसोई घर

***१२४०. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री उन अस्पतालों की कुल संख्या बताने की कृपा करेंगी जिन्होंने सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से विशेष रसोई घर स्थापित किये हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : सात ।

इन्टेग्रल कोच फैक्टरी, पेराम्बूर

***१२४२. डा० राम सुभग सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री २३ मार्च, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्टेग्रल कोच फैक्टरी, पेराम्बुर कब तक कार्य शरू करेगी ; और

(ख) क्या पहले वर्ष के लिए इस कारखाने का उत्पादन कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अक्तूबर, १९५५ ।

(ख) जी हां ।

कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

***१२४३. श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना की अवधि के पहले ४ वर्षों में डाक और तार विभाग के कर्मचारियों के लिए केवल ७५० क्वार्टर (यूनिट) बनाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो योजना के अन्तिम वर्ष में कितने क्वार्टर (यूनिट) बनाये जाने की आशा है ;

(ग) इनका निर्माण पहली पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य से कितना कम होगा; और

(घ) कमी के मुख्य कारण ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं इस अवधि में १४०० से अधिक क्वार्टर (यूनिट) बनाये गये हैं।

(ख) लगभग ३०० यूनिट ।

(ग) लगभग ४२ प्रतिशत तक ।

(घ) मुख्य कारण यह है कि उपयुक्त स्थान प्राप्त करने में विलम्ब होता है, क्योंकि अर्जन कार्यवाही में बहुत समय लगता है ।

पण्यद्रव्य समस्याओं सम्बन्धी खाद्य और कृषि संगठन समिति

***१२४४. श्री राधा रमण** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २३ मई, १९५५ को रोम में पण्यद्रव्य समस्याओं सम्बन्धी खाद्य और कृषि संगठन समिति के २५वें अधिवेशन में आर्थिक और सांख्यिकीय सलाहकार ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य पहलू ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) एक नोट सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १९]** ।

दालचीनी

***१२४५. श्री ए० के० गोपालन** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्षों की तुलना में दालचीनी की खेती और पैदावार में इस वर्ष कमी हुई है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) भारत में दालचीनी की खेती को सुरक्षित रखने और उसके संरक्षण के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी एस० देशमुख) : (क) और (ख). जानकारी केवल मद्रास के सम्बन्ध में उपलब्ध है। उक्त राज्य में प्रमुख रूप से दालचीनी उत्पादों की मांग में कमी हो जाने के फलस्वरूप उसकी खेती ३०० एकड़ से घट कर २१७ एकड़ रह गई है। मांग में कमी हो जाने के कारण इसकी खेती अलाभप्रद हो गई है।

(ग) कुछ नहीं ।

कुरला रेलवे स्टेशन पर मुठभेड़

***१२४६. { श्री गिडवानी :**
श्री एम० डी० जोशी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १५ जुलाई, १९५५ को कुरला स्टेशन (बम्बई) पर यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों में मुठभेड़ हो गई जिसके परिणामस्वरूप कुछ यात्रियों और कर्मचारियों कें चोटें आईं और रेलवे सम्पत्ति को क्षति पहुंची;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों के चोटें लगीं और रेलवे सम्पत्ति की कितनी क्षति हुई;

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो मुठभेड़ के कारण क्या थे ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) घायल व्यक्ति १२

रेलवे सम्पत्ति को क्षति ....४,८१६ रुपये ।

(ग) हां ।

(घ) उपनगरीय रेल गाड़ी नम्बर एम० १८/१ अप से ज्यों ही वह कुरला से चली ४ व्यक्ति गिर पड़े, जिस पर यात्री नाराज हो गये ।

उक्त रेलगाड़ी असाधारण रूप से ठसाठस भरी हुई थी क्योंकि उसे पहली वाली गाड़ी के यात्री भी ले जाने थे जिसमें कल-पुर्जों की कोई खराबी हो गई थी ।

खण्ड सहकारी पदाधिकारी (ब्लौक लेबल कोआपरेटिव आफीसर्स)

**१२४७, { श्री एम० इस्लामुद्दीन :
श्री देवगम :**

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने खण्ड सहकारी पदाधिकारियों (ब्लाक लेबल कोआपरेटिव आफीसर्स) के लिये प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रों की संख्या क्या है और वे कहां पर स्थापित किये गये हैं ; और

(ग) प्रति वर्ष राज्यवार कितने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २०]**

जोतें

***१२४८. श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने लिखा है कि इस समय जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित करना वांछनीय नहीं होगा; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों में के नाम क्या हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) हां । एक राज्य विद्यमान जोतों की उच्चतम सीमा निर्धारित की जाने के विरुद्ध है ।

(ख) उत्तर प्रदेश ।

रेलों में अपराध

***१२४९. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में १९५४-५५ और १९५५-५६ में अब तक कितनी हत्यायें हुई हैं ;

(ख) कितने मामलों में अपराधियों का पता लग गया है ।

(ग) ऐसे कितने मामले थे जिनमें रेलवे और रेलवे पुलिस कर्मचारियों का हाथ था; और

(घ) ऐसी हत्याओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). एक विवरण

सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २१]**

(घ) रेलगाड़ियों में : प्रमुख रेलगाड़ियों में रक्षा की व्यवस्था, खतरे की जंजीर, डिब्बों में लोहे की छड़ें और दरवाजे की बाहर से न खुलने वाली सिटखिनी लगवा दी गई हैं ।

रेलवे की सीमा में : अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिये सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा कड़ा पहरा और निरीक्षण ।

समुद्र पार यात्री सेवायें

*१२५०. **श्री मात्तन** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौवहन समवायों द्वारा इंगलिस्तान, बर्मा, दक्षिण पूर्व और सुदूर पूर्वी देशों और पूर्वी अफ्रीका तथा जद्दा की हज यात्रा के लिये यात्री सेवाओं के सम्बन्ध में क्या प्रगति की गई है;

(ख) इन मार्गों पर कितने भारतीय यात्री जहाज़ चल रहे हैं ; और

(ग) विद्यमान यात्री सेवाओं में वृद्धि करने का तरीका पता लगाने के लिये क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २२]**

(ग) जहाज मालिकों की परामर्श समिति के अध्ययन दल ने अन्य विषयों के साथ साथ द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विद्यमान मार्गों पर अतिरिक्त यात्री सेवायें प्रारम्भ करने और नये मार्गों पर सेवायें चालू करने के लिये टन भार अधिग्रहण करने के लिये कुछ सिफारिशें की हैं मामला विचाराधीन है ।

बर्मा का चावल

*१२५१. **डा० रामा राव** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बर्मी सरकार से बर्मा का चावल खरीदने के लिये कोई आवेदन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो वह कितने मूल्य पर दिया जा रहा है ; और

(ग) इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

उत्तरी बिहार में खाद्य की स्थिति

*१२५२. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्री सरकार से वर्तमान वर्षा ऋतु के लिये चावल और गेहूं की मांग की है ;

(ख) इस वर्ष में अब तक कितने मन चावल और गेहूं बिहार को भेजा गया है ; और

(ग) उत्तरी बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आजकल खाद्य की क्या स्थिति है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) चावल १८-८-५५ तक ३.८ लाख मन ।

गेहूं १८-८-५५ तक ३.७ लाख मन

(ग) सन्तोषजनक ।

इंजन

*१२५३. **श्री राधा रमण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा भारतीय रेलों के लिये छोटी लाइन के १०० नये इंजनों के लिये आर्डर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो आर्डर दिये गये इंजनों का प्राक्कलित मूल्य क्या है; और

(ग) ३१ जुलाई, १९५५ तक वास्तव में कितने इंजन प्राप्त हुये और चालू वर्ष में कितने और प्राप्त होने की आशा की जाती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) चालू वित्तीय वर्ष में १०० छोटी लाइन के १०० नहीं वरन् ५६३ इंजनों के लिये आर्डर दिया गया है ।

(ख) प्राक्कलित तटागत् मूल्य लगभग १५·८ करोड़ रुपया है ।

(ग) १९५५-५६ में छोटी लाइन के ६१ इंजन प्राप्त हो चुके हैं और १७६ और प्राप्त होने की आशा की जाती है ।

पौधों का आयात

*१२५४. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार व्यापारियों, उद्यानविज्ञों और निजी व्यक्तियों को विमान द्वारा हरे पौधों और पौधों के सामान को आयात करने की सुविधायें देने का विचार कर रही है, जिस पर अभी तक कीट और नाशिकीट विनाश अधिनियम, १९१६ द्वारा प्रतिबन्ध लगा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क). और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २३]।**

अतिरिक्त लाभ में गन्ना उत्पादकों का अंश

६३७. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री १० मार्च, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मिलों को प्राप्त अतिरिक्त लाभ में से गन्ना उत्पादकों को अंश देने का प्रश्न अन्तिम रूप से तय हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या चीनी मिलों ने गन्ना उत्पादकों को भुगतान कर दिया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) सरकारी संकल्प संख्या एस वी--१०१ (५--१) / ५४ दिनांक २ अप्रैल, १९५५ (७ अप्रैल, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६४८ के उत्तर में लोक-सभा पटल पर प्रतिलिपि रखी गई) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके द्वारा एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति १९५३-५४ की फसल में अपनाये गये मूल्य श्रृंखलांकन सूत्र (प्राइस लिंकिंग फारमूला) की, अन्य विधियों के साथ, जांच करने के लिये की गई थी । सूत्र की प्रतिलिपि लोक-सभा पटल पर तारांकित प्रश्न संख्या १००७ के उत्तर में १० दिसम्बर, १९५४ को रखी गई थी । आशा की जाती है कि समिति अपना प्रतिवेदन अगले मास के अन्त तक प्रस्तुत कर देगी ।

(ख) गन्ना उत्पादकों को १९५३-५४ की फसल का भुगतान मिलों द्वारा वर्तमान सूत्र के अधीन किया जा रहा है । १३४ कारखानों में से जिन्होंने उस फसल में काम किया

था, ९५ कारखानों द्वारा कोई अतिरिक्त मूल्य का भुगतान नहीं किया जाना है । १३ कारखानों ने गन्ना उत्पादकों को देय अतिरिक्त मूल्य का पूरा भुगतान कर दिया है । १७ ने आंशिक भुगतान किया है और बकाया राशि के भी शीघ्र ही दिये जाने की आशा है । ९ कारखानों के मामलों में अभी पत्र व्यवहार हो रहा है ।

रेलों में भोजन आदि की व्यवस्था

६३८. श्री राघवैया : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र राज्य के (दक्षिण रेलवे पर) किन-किन स्टेशनों पर शाकाहारी उपाहार गृह हैं ;

(ख) क्या हाल ही में इन उपहार गृहों के द्वारा दूध के संभरण के लिये टेंडर मांगे गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो कितने टेंडर प्राप्त हुये हैं ; और

(घ) उनका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जानकारी देने वाला विवरण १ संलग्न है [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २४**]

(ख) हां, तेनालि के शाकाहारी उपहार गृह के अतिरिक्त ।

(ग) और (घ). जानकारी देने वाला विवरण २ संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २४**]

रेल सेवा

६३९. श्री तुषार चटर्जी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार को बांकुरा (पशिचमी बंगाल) के लोगों से यह अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि बांकुरा से यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए बांकुरा और हावड़ा के बीच अतिरिक्त गाडियों का चलना अत्यावश्यक है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) हावड़ा और बांकुरा के बीच अतिरिक्त गाड़ियों का चलाना न्यायोचित नहीं है हां, सवारी गाड़ी नम्बर ३१५ अप और ३१६ डाउन में तृतीय श्रेणी की एक-एक बोगी बढ़ा दी गई है ।

माल उठाने का ठेका

६४०. ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या रेलवे मंत्रीय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य यह सच है कि शालीमार के पारसल घर में सामान उठाने का ठेका किसी ठेकेदार को १ नवम्बर, १९५४ से तीन वर्षों के लिये दिया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ठेकेदार के निवेदन करने पर एक वर्ष के पश्चात ठेका समाप्त कर दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या उन्नत ठेकेदार को भविष्य में अन्य कोई भी रेलवे का ठेका न देने का सरकार का विचार है ; और

(ङ) क्या कुशलतापूर्वक कार्य संचालन के लिये सरकार माल उठाने का कार्य विभाग के द्वारा करने का विचार कर रही है ।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) हां, किन्तु १–६–५५ से ।

(ग) ठेकेदारों ने दरें बढ़ाने के लिये कहा, जिसके न किये जाने पर उन्होंने कार्य मुक्ति किये जाने का निवेदन किया।

(घ) नहीं।

(ङ) माल को उठाने का काम १–६–५५ से, अस्थायी तौर से, विभाग की ओर से ही किया जा रहा है।

नये टेंडर मांगे गये हैं क्योंकि विभाग की ओर से यह कार्य स्थायी रूप से करने का विचार नहीं है।

पार्सल उठाने वाले ठेकेदार

६४१. ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में रेलवे अधिकारियों ने हावड़ा रेलवे स्टेशन के पार्सल उठाने वाले ठेकेदार को, उसके ठेके की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही कार्य मुक्त कर देना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) क्या उपर्युक्त ठेकेदार के पास हावड़ा माल गोदाम का माल उठाने का अभी भी ठेका है ;

(ग) इस समय से पूर्व ठेके को समाप्त कर देने से रेलवे की अनुमानित हानि क्या है ; और

(घ) क्या ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख) हां।

(ग) इस मामले में समय से पूर्व ठेके को समाप्त कर देने के कारण रेलवे को हानि का कोई प्रश्न नहीं उत्पन्न होता।

(घ) नहीं।

रेलगाड़ी का ठीक समय पर आना जाना

६४२. श्री डी० सी० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे पर १९५४ में किन-किन गाड़ियों के ठीक समय पर आने-जाने का आन्दोलन ज़ोरों से चलाया गया है ; और

(ख) १९५४ में अकारण गाड़ियां रोकने के लिये कर्मचारियों के विरुद्ध कितने अवसरों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) मांगी गई जानकारी संलग्न सूची में दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २५]**।

(ख) ३९५० ।

भर्ती

६४३. श्री डी० सी० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५४–५५ में रेलवे सेवा आयोग, इलाहाबाद, द्वारा नौकरी की कितनी सूचनाएं निकाली गइ ;

(ख) इन सूचनाओं के आधार पर कितने व्यक्तियों ने आवेदन-पत्र भेजे ;

(ग) कितने उम्मीदवारों को भेंट (इन्टरव्यू) के लिये बुलाया गया ;

(घ) उनमें से कितनों को पास दिये गये ; और

(ङ) इनमें से कितने उम्मीदवारों को भर्ती किया गया ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) २३

(ख) १,९५,७४४

(ग) १७,९१४

(घ) श्रेणी	पासों की संख्या
द्वितीय श्रेणी (अब प्रथम श्रेणी)	८२
मध्यम श्रेणी (अब द्वितीय श्रेणी)	४३४
तृतीय श्रेणी	३,७८३
योग . .	४,२९९

(ङ) ३,२५३ ।

सरकारी कर्मचारियों के कार्मिक संघ

६४४. **श्री इब्राहीम** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों के कौन कौन से कार्मिक संघ भारत सरकार द्वारा अभिज्ञात हैं ;

(ख) कौन कौन से अन्य कार्मिक संघ तथा भारत सरकार के कर्मचारियों की संस्थाएं अभिज्ञात नहीं हैं ;

(ग) वर्ष १९५३–५४ और १९५४–५५ में अभिज्ञात कार्मिक संघों द्वारा कितनी हड़तालों की घोषणा की गई; और

(घ) इन हड़तालों के सम्बन्ध में किस प्रकार समझौता हुआ ?

श्रम मंत्री (श्री खंडुभाई देसाई) : (क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बिहार बख्तियारपुर लाइट रेलवे

६४५. **श्री झूलन सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बख्तियारपुर-बिहार लाइट रेलवे पर यात्रियों को होने वाली असुविधाएं और तकलीफों से अवगत है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है या की जाने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने यातायात तथा इंजीनियरी सम्बन्धी सर्वेक्षण करने का विनिश्चय किया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि बख्तियारपुर-बिहार लाइट रेलवे के बड़ी लाइन में परिणित किये जाने का क्या असर पड़ेगा । राज्य सरकार ने १९५४ में जिला बोर्ड, पटना द्वारा किये जाने वाले प्रबन्ध में सुधार करके लाइट रेलवे के कार्य संचालन को अधिक सुचारु बनाने के लिये कुछ जांच आदि आरम्भ की थी । आगे कार्यवाही करना राज्य सरकार का काम है ।

पर्वतीय स्थान (हिल स्टेशन)

६४६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या रेलवे मंत्री १७ मार्च, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ११०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन स्टेशनों को पर्वतीय स्थान (हिल स्टेशन्ज़) घोषित किया गया है और इसके कारण उनको रेल भाड़े के बारे में विशेष रियायत दी जाती है ; और

(ख) क्या उपरोक्त सूची में किन्हीं दूसरे स्टेशनों को और सम्मिलित करने का विचार किया जा रहा है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) रेल यात्रा में रियायत देने के लिए नीचे लिखें स्टेशन पहाड़ी स्थान (हिल स्टेशन) माने जाते हैं :—

शिमला, सोलन, धर्मपुर, देहरादून, पठानकोट, काठगोदाम, उट्टकमण्ड, कोडेकानल रोड (कोडेकानल के लिए) आबूरोड (आबू के लिए), कोणनूर दार्जिलिंग, कर्सियांग, शिलांग (रेलवे आउट एजेन्सी), पिपरिया और कोटागिरि। ।

(ख) जी हां ।

दुर्घटनाएं

६४७. पंडित डी० एन० तिवारी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५४–५५ में रेलवे के प्रत्येक जोन में कितनी कितनी रेलगाड़ी-मोटर ट्रक दुर्घटनाएं हुईं ;

(ख) इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मरे और कितनों को सख्त चोटें आईं ;

(ग) दुर्घटनाओं के फलस्वरूप सम्पत्ति को कितनी क्षति पहुंची ; और

(घ) क्या किसी जोन में हानिपूर्ति का कोई दावा किधर गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :

(क) रेलवे	दुर्घटनाओं की संख्या
केन्द्रीय	२
पूर्व (भूतपूर्व पूर्वी रेलवे)	—
उत्तर	८
पूर्वोत्तर	६
दक्षिण	३
पश्चिम	९
योग	२८

(ख)	
मरे	२२
सख्त घायल हुए	२१

(ग) रेलवे सम्पत्ति को लगभग १७२६ रुपये की क्षति पहुंची। ग्राम सम्पत्ति को हुई क्षति के बारे में जानकारी नहीं है।

(घ) जी हां, पूर्वोत्तर, दक्षिण और उत्तर रेलवे में।

कनाट प्लेस, नई दिल्ली

६४८. श्री राधा रमण : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनाट प्लेस के बिना रोशनी वाले लौनों में शीघ्र ही रंगीन फव्वारे लगाये जायेंगे ;

(ख) क्या कनाट प्लेस और रीगल पार्क में सुधार करने के लिये कोई अन्य प्रस्थापनाएं सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं ; और

(ग) इन फव्वारों के निर्माण पर और अन्य प्रस्थापनाओं पर अलग अलग कितना व्यय होने का अनुमान है और यह व्यय किस प्रकार पूरा किया जायेगा ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर

(क) नई दिल्ली नगर पालिका के विचाराधीन प्रस्थापना है जिसके अनुसार कनाट प्लेस, नई दिल्ली के बीच में एक फव्वारा लगाया जायेगा जिसमें रंगीन रोशनी की व्यवस्था होगी।

(ख) सरकार को कनाट प्लेस और रीगल पार्क में सुधार करने के लिये कोई प्रनस्थापना नहीं मिली है। हां, नई दिल्ली गरपालिका फिर से घास लगाये जाने, बाड़ (हैंज) लगाये जाने और एक जलजीवालय बनाये जाने की एक प्रस्थापना पर विचार कर रही है।

(ग) फव्वारे के निर्माण, रंगीन रोशनी और जलजीवालय पर कुल २ लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है। अनुमान है कि घास और बाड़ (हैंज) लगाने पर लगभग ५९,००० रुपये खर्च होंगे। सारा खर्च नई दिल्ली नगरपालिका उठायेगी।

इंजनों का फेल होना

६४९. श्री ए० के० गोपालन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के पहले छः महीनों में (दक्षिण रेलवे के) शोरणूर स्टेशन पर कितने बार इंजन फेल हुए ;

(ख) क्या पिछले दिनों की अपेक्षा इस वर्ष इंजन फेल होने की घटनाओं में कोई वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और ऐसी घटनाओं को कम करने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ३९ ।

(ख) जी हां ।

(ग) इंजन फेल होने की घटनाओं की संख्या में वृद्धि अधिकांशतः आंकड़ों के संकलन के तरीके में फेर बदल होने के कारण हुई है शोरणर में इंजनों की संख्या में भी वृद्धि हुई है ।

सूर्य ग्रहण के दिन रेलवे यातायात

६५०. श्री रघुनाथ सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले सूर्य ग्रहण के समय रेल द्वारा कितने यात्रियों ने कुरुक्षेत्र की यात्रा की ; और

(ख) इससे कितनी आय हुई ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ७९,१६५ ।

(ख) १,२२,४९१ रुपये ७ आने ।

डाकघर

६५१. श्री बीरेन दत्त : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के सामुदायिक परियोजना क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने यह मांग की है कि वहां कुछ और डाकघर खोले जायें ;

(ख) क्या उन्होंने यह मांग की है कि कुछ वर्तमान डाकघरों में डाक बांटने वाले कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि की जाये ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख), ऐसी कोई मांगें विचाराधीन नहीं हैं । त्रिपुरा के एकमात्र सामुदायिक परियोजना क्षेत्र और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड सदर मुकाम (हैड क्वार्टर्स) में डाक घर खोल दिये गये हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

फारबेसगंज-बीरपुर तार लाइन

६५२. श्री एल० एन० मिश्र : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में बल्वा बाजार होकर फारबेसगंज से बीरपुर तक तार की लाइन लगाने की कोई प्रस्थापना थी ;

(ख) यदि हां, तो यह लाइन अब तक क्यों नहीं लगाई गई ; और

(ग) यह कब तक चालू हो जायेगी ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां, परन्तु कोसी परियोजना प्रशासन की मांगों को देखते हुए इसमें रूपभेद करना पड़ा था । इस समय प्रस्थापना बीरपुर को फारबेसगंज से और बल्वा बाज़ार को नरपतगंज से मिलाने की है ।

(ख) और (ग). सामान अभी नहीं मिला है । आशा है बीरपुर का तारघर लगभग २ मास में खुल जायेगा । बल्वा बाजार के तारघर को भी जल्दी से जल्दी खोलने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

कच्चा पटसन

६५३. श्री एल० एन० मिश्र : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वर्षों के दौरान कच्चे पटसन की किस्म को सुधारने के लिये केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी तथा उसमें से अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख):

	मांग की गई राशि	व्यय की गई राशि
१९५३-५४	९३,२००	७९,९०५
१९५४-५५	२,१७,८००	८८,९८५*

*इस में १०,००० रुपये की वह राशि शामिल नहीं है जिसे केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार को १०० बीज वपित्र तथा १०० चक्राकार द्रान्तियां भेजने में व्यय किया था ।

रेलवे कुली

६५४. सरदार इक़बाल सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुज्ञप्ति प्राप्त रेलवे कुलियों की सेवा की शर्तें क्या हैं ;

(ख) क्या प्रत्येक महाखंड (ज़ोन) में भिन्न-भिन्न शर्तें हैं और यदि हां, तो क्यों ;

(ग) रेलगाड़ियों से पार्सलों को उतारने व चढ़ाने का काम कौन करता है ;

(घ) क्या ये पार्सल के कुली रेलवे द्वारा नियुक्त होते हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उन्हें कितना वेतन दिया जाता है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अनुज्ञप्ति प्राप्त रेलवे के कुलियों को, रेलवे से अथवा उस ठेकेदार से--जिसके साथ रेलवे ने विहित दर पर यात्रियों का सामान रेलों से उतारने और चढ़ाने का ठेका किया है--अनज्ञप्ति प्राप्त होती है ।

इसके अतिरिक्त उचित मजदूरी चुकाये जाने पर वे कुछ स्टेशनों में, रेलवे के द्वारा बुक किये गये (भेजे गये) पार्सल तथा सामान को भी उतारते या चढ़ाते हैं ।

जिन स्टेशनों में स्थायी योजना प्रारम्भ हो चुकी हैं, वहां उनकी मुफ्त दवाई देकर डाक्टरी चिकित्सा भी की जाती है ।

अनुज्ञप्ति प्राप्त कुली रेलवे कर्मचारी नहीं होते हैं, किन्तु उन पर अधिक भाड़ा लेने यात्रियों को तंग करने तथा बुरे बर्ताव करने पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है ।

(ख) कुछ बातों में शर्तों में विभिन्नता है, यथा उन्हें रेलवे से अनुज्ञप्ति दिया जाना या ठेकेदार को अनुज्ञप्ति दिया जाना तथा अनुज्ञप्ति का शुल्क, आदि । अनुज्ञप्ति के शुल्क में स्टेशन की स्थिति तथा अधीक्षण व्यय आदि के कारण अन्तर रहता है ।

(ग) यह कार्य कुछ स्टेशनों पर पार्सल तथा सामान के कुली करते हैं जो कि रेलवे के कर्मचारी होते हैं ; और कुछ अन्य स्टेशनों पर रेलवे द्वारा नियुक्त ठेकेदारों द्वारा लगाये गये मजदूर करते हैं तथा कुछ अन्य स्टेशनों पर अनुज्ञप्ति प्राप्त कुली भी यह कार्य करते हैं ।

(घ) जी हां ।

(ङ) पार्सल के कुलियों को ३०—$\frac{1}{2}$—३५ रुपये के विहित स्तर से वेतन तथा सामान्य नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते मिलते हैं ।

हेलीकोप्टर

६५५. सरदार इक़बाल सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हेलीकोप्टर का मूल्य कितना होता है ;

(ख) इसमें कितने यात्री बैठ सकते हैं तथा कितना सामान इस द्वारा ले जाया जा सकता है ;

(ग) ३०० मील प्रति दिन के हिसाब से हेलीकोप्टर सेवा चलाने पर क्या लागत आती है; और

(घ) जहां तक कर्मचारियों, हवाई अड्डे, तथा शिल्पिक उपकरण का सम्बन्ध है, इसके लिये क्या आवश्यकतायें होती हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) (क) से (घ). मूल्य, क्षमता, संचालन-व्यय उतरने के स्थल की आवश्यकतायें कर्मचारी तथा शिल्पिक उपकरण, हेलीकोप्टर की किस्म तथा बनावट पर निर्भर करते हैं । क्योंकि सरकार के पास असैनिक उपयोग के लिये कोई भी हेलीकोप्टर नहीं है, अतः यथार्थ सूचना नहीं दी जा सकती है ।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन

६५६. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के कुछ पदाधिकारियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा बिना चुने ही सीधे तरक्की दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इन पदाधिकारियों की विशेष योग्यतायें क्या हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां । ऐसे केवल चन्द ही उदाहरण हैं जहां संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा उपयुक्त उम्मीदवारों के चुनाव हो जाने तक, अन्तिम रूप से, कुछ पदाधिकारियों को तरक्की दे दी गई है । संघ द्वारा नामजद उम्मीदवारों के मिलने पर, ये पदाधिकारी तुरन्त अपने असली पदों से हटा दिये जायेंगे ।

(ख) जहां तक योग्यता का वास्ता इन पदाधिकारियों की कोई भी विशेष योग्यता नहीं है ।

आदिम जाति के लोगों का पुनर्वास

६५७. **श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा की आदिम जाति जुमियाओं से पुनर्वास के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं ;

(ख) उनमें से कितनों को फिर से बसाया जा चुका है;

(ग) प्रत्येक परिवार को कितनी वित्तीय सहायता तथा कितने एकड़ भूमि दी गई है; और

(घ) उन विभागों (डिवीजनों) के नाम जहां पुनर्वास का काम चल रहा है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) (क) से (घ). जानकारी प्राप्त होने पर लोक सभा पटल पर रखी जायेगी ।

डाक तथा तार नियम पुस्तिकायें (मैनुअल्ज)

६५८. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार नियम-पुस्तिका, खण्ड ६, भाग १ और २, १९४० तक संशोधित रूप में १९५२ में पुनः प्रकाशित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ३१ मार्च, १९५४ तक संशोधित खण्डों को पुनः प्रकाशित करने की व्यवस्था करने का विचार है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां, विभागीय परीक्षाओं सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ।

(ख) ३१-१२-१९५१ तक संशोधित डाक तथा तार पुस्तिका, खण्ड ६, भाग २ का तृतीय संस्करण पहले प्रकाशित हो चुका है और संशोधन सूचियों के द्वारा ३१-१२-५१ के पश्चात् के संशोधन जारी करके इस भाग में से संशोधन किया जाता है, जो प्रति तीन महीनों के बाद प्रकाशित होती हैं।

वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के अन्त तक संशोधित डाक तथा तार पुस्तिका, खण्ड ६, तृतीय संस्करण का भाग १ प्रकाशित हो रहा है।

हैदराबाद की सोने की खानें

६५९. श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या श्रम मंत्री ११ दिसम्बर, १९५३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद स्वर्ण खान समवाय द्वारा वहां काम करने वाले मजदूरों के लिये अब तक कितने क्वार्टर बनाये जा चुके हैं;

(ख) कितने अधिक क्वार्टर बनाने का विचार है;

(ग) कितने मजदूरों को क्वार्टर नहीं मिले हैं, और

(घ) क्या उन मज़दूरों को क्वार्टर के बदले मकान किराया भत्ता दिया जायेगा ?

श्रम मंत्री (श्री खण्डूभाई देसाई) : (क) ६७२ ।

(ख) १०६ ।

(ग) ७२३ कर्मचारियों में से जिन्हें रहने का मकान नहीं दिया गया है, अधिकतर लोग समीपवर्ती गांवों से आते हैं, जहां उनके रहने के अपने प्रबन्ध हैं। लगभग १७० कर्मचारियों को मकानों की आवश्यकता है और अब जो क्वार्टर बनाये जा रहे हैं, वे अंशतः आवश्यकता को पूरा कर सकेंगे।

(घ) कोई प्रस्ताव समवाय के विचाराधीन नहीं है।

डिब्बे जोड़ने का संयंत्र

६६०. { **श्री भागवत झा आजाद:**
श्री एम० एल० द्विवेदी:

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार आन्ध्र में विशाखपटनम के स्थान पर, डिब्बे जोड़ने का संयंत्र स्थापित करना चाहती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस संयंत्र के लिये स्थान पहले ही चुन लिया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). हां, श्रीमान् ।

महंगाई भत्ता

६६१. श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या **रेलवे** मंत्री, २६ जुलाई, १९५५ को अतारांकित प्रश्न संख्या ३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व निज़ाम राज्य रेलवे की कर्मचारियों के मामले में जिन्होंने भारतीय संघ की रेलवे सेवा में आ जाने से पूर्व की सेवा की शर्तों और पदों को १ जून १९५३ से नहीं बल्कि १ अगस्त, १९५५ से स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया है, गाडगिल समिति की सिफारिशों के लाभों को कार्यान्वित करने के क्या कारण हैं, और

(ख) १ जून, १९५३ से न लाभों के बिना जो लोग सेवानिवृत हो गये हैं, उनकी संख्या कितनी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) गाडगिल समिति की सिफारिशों से होने वाले लाभ, विलय के समय भूतपूर्व राज्य की रेलवे के कर्मचारियों को दी गई शर्तों और पदों से स्वयमेव लागू

नहीं होते । भूतपूर्व राज्य की रेलवे के कर्मचारियों के मामले में, जिन्होंने विलय पूर्व की सेवा की शर्तों को रखना मंजूर किया था, महंगाई भत्ता को, जो प्रतिकरात्मक भत्ता था, कैसे विनियमित किया जाये, इस प्रश्न पर विशेष रूप से विचार किया गया था, और उनके बारे में वह निर्णय निर्धारित तिथि १–८–१९५५ से लागू किया गया था ।

(ख) ३५१ ।

यात्रियों की सुविधायें

६६२. श्री सी० आर० चौधरी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अबतक दक्षिण रेलवे के कितने स्टेशनों पर यात्रियों के लिये पथप्रदर्शक (गाइड) नियुक्त किये गये हैं ;

(ख) अभी और कितने स्टेशनों पर पथ प्रदर्शक (गाइड) नियुक्त किये जायेंगे ; और

(ग) उनके लिये न्यूनतम शैक्षिक अर्हता क्या रखी गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १३ ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) मैट्रिक ।

संवरण पद

६३३. श्री गाडिलिंगन गौड़ : क्या रेलवे मंत्री २७ अप्रैल, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या २०६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १५०–२२५ रुपये के वेतन क्रम में कुछ पदों को संवरण पदों के रूप में श्रेणीबद्ध करने के बारे में अब तक कोई निर्णय किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की श्रेणी में कितने पद रखे गये हैं ; और

(ग) क्या संवरण पदों की भर्ती महाखण्डीय रेलवे (ज़ोनल) रेलवे प्रशासन द्वारा की जायेगी अथवा रेलवे बोर्ड द्वारा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). कुछ मामलों में जिनकी सिफारिश आई है और उस पर विचार किया गया है, निर्णय किया जा चुका है। इन की सूची संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २६**] दूसरे मामलों में उनके मान्य संघों के साथ परामर्श के पश्चात रेलवे प्रशासन की सिफारिशों के आने की प्रतीक्षा की जाती है।

(ग) रेलवे प्रशासन द्वारा ।

पटरियों का सर्वेक्षण

६६४. मुल्ला अब्दुल्लाभाई : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) १९५४–५५ के दौरान रेलवे बोर्ड द्वारा मीटर (छोटी) और ब्राडगेज़ (बड़ी) रेलवे लाइनों के प्रारम्भिक इंजनीयरी सम्बन्धी कितने सर्वेक्षणों की मंजूरी दी गई है ; और उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन सर्वेक्षणों पर कुल कितना धन खर्च हुआ है ; और

(ग) अब तक कितनी लाइनें पूरी हुई हैं, अथवा निकट भविष्य में पूरी होने वाली हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) दो सर्वेक्षणों की मंजूरी दी जा चुकी है, एक माधवपुर और कठुआ के बीच बड़ी लाइन के लिये और दूसरे रामशाय और बिन्नागड़ी के बीच छोटी लाइन के लिये ।

(ख) प्रारम्भिक इंजीनियरी सम्बन्धी सर्वेक्षण पर ७९,८६८ रुपये खर्च आने का अनुमान है ।

(ग) द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूरी की गई और इस समय बनाई जा रही लाइनों का विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २७]**

सेवा वृद्धि की अनुमति देना

६६५. डा० सत्यवादी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उनके मंत्रालय तथा उनके प्रशासी नियंत्रण के अधीन कार्यालयों में कितने अतिवयस्क सरकारी कर्मचारी हैं ; और

(ख) कितने व्यक्तियों को सेवावृद्धि देने का विचार है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय लोक-सभा पटल पर रखी जायेगी ।

उत्तर प्रदेश में विमान क्षेत्र

६६६. श्री एम० एल० अग्रवाल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के किन किन ज़िलों में अभी तक विमान क्षेत्र नहीं बनाये गये हैं ; और

(ख) क्या सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इनमें से प्रत्येक ज़िले में विमान क्षेत्र स्थापित करना चाहती है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) में अपेक्षित जानकारी का विवरण लोक-सभा पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २८]**

(ख) नहीं, श्रीमान । केन्द्रीय सरकार देश में केवल उन्हीं स्थानों पर असैनिक विमान-क्षेत्र बनाती है, जहां अखिल भारतीय असैनिक उड्डयन के दृष्टिकोण से ऐसा करना अनिवार्य समझा जाता है । जो स्थान स्थानीय संचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझे जाते हैं, वहां साधारणतया संबद्ध राज्यों की सरकारों द्वारा विमान क्षेत्र बनाये जाते हैं ।

प्लेटफार्मों का बनाया जाना

६६७. श्री एम० एल० अग्रवाल : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे पर पीलीभीत-शाहजहानपुर और पीलीभीत-टनकपुर ब्रांच लाइनों पर किसी भी स्टेशन पर प्लेट फार्म नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का यात्रियों की सुविधा के लिये वहां प्लेटफार्म बनाने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री सैलगेशन) : (क) नहीं, श्रीमान् । इन सैक्शनों पर अठारह स्टेशनों में से तीन स्टेशनों पर ऊंचे प्लेटफार्म हैं, और शेष स्टेशनों पर पटरी के बराबर के प्लेट फार्म हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

टेलीफोन

६६८. श्रीमती कमलेन्दु मति शाह : क्या **संचार** मंत्री १७ अगस्त, १९५५ के

तारांकित प्रश्न संख्या ८१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में टिहरी-गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल ज़िले में अब तक कितने टेलीफोन लगाये गये हैं ;

(ख) निकट भविष्य में उक्त ज़िलों में कितने टेलीफोन लगाने का विचार है ; और

(ग) उन स्थानों के क्या नाम हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) टिहरी गढ़वाल ज़िला

एक टेलीफोन ऐक्सचेंज

टेलीफोनों की संख्या ९ (नगरों में)

पौड़ी गढ़वाल ज़िला

चार ऐक्सचेंज और आठ सार्वजनिक टेलीफोन

टेलीफोनों की संख्या ५०

(नगरों में ४३; गांवों में ७)

(ख) तथा (ग). टिहरी गढ़वाल ज़िला—सार्वजनिक टेलीफोन :

(१) कीर्तिनगर ।

(२) देवप्रयाग ।

पौड़ी गढ़वाल ज़िला—

चमोली में टेलीफोन ऐक्सचेंज ।

लोक-सभा

मंगलवार,
३० अगस्त, १९५५

वाद-विवाद

18/4/73

Chamber Fumigated

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ६, १९५५

(१६ अगस्त से ३ सितम्बर, १९५५)

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
3-4-92
Fumigated
On 11.7.83
Parliament Library

खंड 6. दसम सत्र, १९५५

([illegible] ६ में अंक १६ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली ।

विषय-सूची

(खंड ६, अंक १६—३०, १६ अगस्त से ३ सितम्बर '१९५५)

अंक १६—मंगलवार, १६ अगस्त, १९५५

स्तम्भ

स्थगन प्रस्ताव—
गोआ के स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रति सरकार की नीति . . १३४३–१३५०
सभा पटल पर रखे गये पत्र—
इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन . . १३५०–१३५१
विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम १३५१
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . १३५१
समवाय विधेयक—
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—
असमाप्त . . . १३५१–१४०८

अंक १७—बुधवार, १७ अगस्त, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश १४०९
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—
चौतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १४१०
गोआ स्थिति के बारे में वक्तव्य . . . १४१०–१४
समवाय विधेयक—
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—
असमाप्त १४१४–८९, १४८९–९२
सभा का कार्य १४८९

अंक १८—गुरुवार, १८ अगस्त, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—
पुर्तगाली अत्याचारों के विरुद्ध प्रदर्शन १४९३–९७
राज्य-सभा से सन्देश १४९७–९८, १५७७–७८
सभा-पटल पर रखा गया पत्र—
बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य १४९८–१५०३
गोआ के सम्बन्ध में वक्तव्य १५०३–१५०४
उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण के बारे में वक्तव्य . १५०४–१५०७
समवाय विधेयक—
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—
असमाप्त १५०७–७६

स्तम्भ

अंक १९—शुक्रवार, १९ अगस्त, १९५५

कार्य मंत्रणा समिति—

तेईसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १५७९

भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम—

याचिका का उपस्थापन १५७९

तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में शुद्धि १५७९–८०

समितियों के लिये निर्वाचन—

रबड़ बोर्ड १५८०

काफी बोर्ड १५८१

समवाय विधेयक—जारी

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत १५८१–१६१६

श्री सी० डी० देशमुख १५८१–१६१६

प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . . १६१६–१६४२

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत १६४२–४३

विदेशी राज्यों से उपाधि तथा उपहार (स्वीकृति पर दंड) विधेयक—

वापिस लिया गया १६४३–६८

विचार करने का प्रस्ताव १६४३–६८

बाल भिक्षा तथा आवारापन निवारण विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . १६६८–८६

अंक २०—शनिवार, २० अगस्त, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश १६८७

परक्राम्य संलेख (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया . . १६८७

सभा-पटल पर रखा गया पत्र—

इंजीनियर स्टील फाइल उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन १६८७–८८

कार्य मंत्रणा समिति—

तेईसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत १६८८–८९

प्रेस आयोग के प्रतिदवेन के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . . १६८९–१७५८

अंक २१—सोमवार, २२ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें . . . १७५९

रक्षित तथा सहायक वायुसेना अधिनियम के नियमों में संशोधन . १७५९–६०

बैंक पंचाट आयोग का प्रतिवेदन १७६०

बैंक पंचाट आयोग की सिफारिशों के बारे में वक्तव्य . . . १७६१–६५
प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—
संशोधित रूप में स्वीकृत १७६५–१८४४
अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . १८४४

अंक २२—मंगलवार, २३ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
विकास-परिषदों के प्रतिवेदन—
(१) भारी रसायन (अम्ल और उर्वरक) . . . १८४५
(२) अन्तर्दहन एंजिन और बिजली से चलने वाले पम्प . . १८४५–४६
(३) साइकिलें १८४६
(४) चीनी १८४६
काफी नियम, १९५५ . . . . . . १८४६
रबड़ नियम, १९५५ . . . . १८४६
अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत १८४६–१९१८
खण्ड २, ३ और १ . . . . . १९१९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . .
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खंडों पर विचार—
असमाप्त १९१९–५२
खण्ड २ से १० . . . . . १९२०–५२

अंक २३—बुधवार, २४ अगस्त, १९५५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
पैंतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १९५३
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . . १९५३–२०४४
खंडों पर विचार—असमाप्त . . .
खण्ड २ से १० . . . . १९५३–२०२२
खण्ड ११ से ६७ . . . . . . २०२२–२०४४

अंक २४—गुरुवार, २५ अगस्त, १९५५

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त . . . २०४५–२१३८
खंड ११ से ६७ . . . २०४५–२०७९
खंड ६८ से ८० . . . . २०७९–२१०२
खंड ८१ से १४४ . . . . २१०२–२१३८

अंक २५—शुक्रवार, २६ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
  सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही के विवरण २१३९-४०
राज्य-सभा से सन्देश . . . २१४०-४१
एक सदस्य की मुअत्तली . . . . . २१४१—४४
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
  खंडों पर विचार—असमाप्त २१४१,४४—९४
    खंड ८१ से १४४ . . . . . २१४१,४४—९४
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
  पैंतीसवां प्रतिवेदन—संशोधित रूप में स्वीकृत . . . २१९४—९७
वैदेशिक व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प—असमाप्त . २१९७—२२३२

अंक २६—मंगलवार, ३० अगस्त, १९५५

विशेषाधिकार का प्रश्न . . . . . २२३३—३५
सदस्य की मुअत्तली की समाप्ति के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत २२३५—३९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
  केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्य का प्रतिवेदन १९५४-५५ . २२३९
  केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा निकाला गया बुलेटिन संख्या २२ . . २२३९
  मैसूर की सोने की खानों सम्बन्धी विनियमों में संशोधन १९५३ . २२४०
  खान नियम १९५५ . . . . २२४०
  समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें
  विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . २२४०-४१
राज्य-सभा से सन्देश . . . २२४१
कशाघात उत्सादन विधेयक—
  राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . २२४१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
  मुर्शिदाबाद के निकट रेलवे दुर्घटना . . . . २२४१—४४
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
  खंडों पर विचार—असमाप्त २२४४—२३३०
    खंड १४५ से १९६ . २२४४—९३
    खंड १९७ से २०७ . . २२९३—२३३०

अंक २७—बुधवार, ३१ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
  केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना २३३१
  कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्राक्कलन २३३१
राज्य सभा से सन्देश . . . २३३२

लोक लेखा समिति—
तेरहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित २३३२
सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—
प्रवर समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . २३३२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
बी० सी० जी० के टीके लगाने का आन्दोलन . . . २३३२—३९
समवाय विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में— २३३९—२४३२
खंडों पर विचार—असमाप्त
खंड १९७ से २०७ . . . . . २३३९—२४१०
खंड २०८ से २५० . . . . . २४११—३२
रेलों का पुनर्वर्गीकरण . . . . . . २४३२—४४

अंक २८—गुरुवार, १ सितम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
मशीनी पेच उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का
प्रतिवेदन आदि . . . . २४४५—४६
राज्य-सभा से सन्देश २४४६
सभा का कार्य २४५२
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २४४६—५२,२४५२—२५२२
खंड २०८ से २५० . . . २४४६—५२, २४५२—८८
खंड २५१ से २८३ . . . २४८८—२५२२

अंक २९—शुक्रवार, २ सितम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र—
भारतीय श्रम सम्मेलन के चौदहवें सत्र की कार्यवाही का सारांश २५२३
राज्य सभा से सन्देश . . . . . २५२३—२४
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि २५२४
समवाय विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त . . . . २५२४—८५
खंड २५१ से २८३ . . . . . २५२४—८५
खाद्य पदार्थ मिश्रण दण्ड विधेयक—
वापिस लिया गया २५८५-८६
मोटर परिवहन श्रम विधेयक—पुर:स्थापित . . . २५८६
बाल भिक्षा तथा आवारापन निवारण विधेयक—
वापिस लिया गया— २५८६—२६०४
विचार करने का प्रस्ताव . . २५८६—२६०४

अति आयु विवाह रोक विधेयक—
    विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . . . २६०४—२६२४
अन्त्येष्टि क्रिया सुधार विधेयक—
    परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . २६२४—२६२

अंक ३०—शनिवार, ३ सितम्बर, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश २६२९-३०
मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक—
    राज्य-सभा द्वारा संशोधित रूप में पटल पर रखा गया . २६३०-३१
    एक सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण . . २६३१
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
    खंडों पर विचार—असमाप्त २६३१—२७१६
        खण्ड २८४ से ३२२ . . . . . २६३१—२७०९
        खण्ड ३२३ से ३६७ . . . . . २७०९—१६
समेकित विषय-सूची (१६ अगस्त से ३ सितम्बर, १९५५)
अनुक्रमणिका . . . .

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

मंगलवार, ३० अगस्त, १९५५

लोक-सभा ११ बजे समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये ।]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

१२ मध्यान्ह

विशेषाधिकार का प्रश्न

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे एक विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना मिली है । क्या उन में से कोई माननीय सदस्य यहां है ?

श्री सारंगधर दास (ढेंकानल—पश्चिम कटक) : मैं प्रक्रिया नियमों के नियम २४५ के अन्तर्गत विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं । मामला यह है कि २६ अगस्त, १९५५ के एक उर्दू पत्र "**प्रताप**" में उसी पत्र के स्वामी का एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसमें उस ने लिखा था कि :

> "लोक-सभा के सदस्य वहां पर ऐसे भाषण देते हैं जिनसे कि वे जतलाते हैं कि उनके अतिरिक्त प्रैस वालों का अन्य कोई भी हितैषी नहीं है । कहा जाता है कि "दहकान का सलाम बिना गर्ज़ के नहीं होता" इसलिये इन सदस्यों के भाषण भी बिना गर्ज़ के नहीं हैं" ।

यह जो शब्द लिखे गये हैं, यह प्रैस आयोग प्रतिवेदन सम्बन्धी वाद-विवाद में भाग लेने वाले सदस्यों की ईमानदारी पर एक आघात हैं । इसी कारण से मैंने यह प्रश्न उठाया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : स्पष्टतः तो यह सभा का अपमान है, किन्तु मुझे सूचित किया गया है कि इसके प्रकाशित होने के बाद इसके लेखक ने बिना शर्तों के क्षमायाचना भी की है । उसमें उन्होंने कहा है कि २७ तारीख के "**प्रताप**" में मेरा एक लेख "प्रैस आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा" के शीर्षक से प्रकाशित हुआ था जिस में मैंने लिखा था कि "६७० सदस्यों में से केवल तीन ने प्रश्नावली का उत्तर दिया था, किन्तु फिर भी लोक-सभा में वे लम्बे चौड़े भाषण देते हैं और जतलाते हैं कि उन से अधिक प्रैस वालों का और मित्र नहीं है । यह सब अपनी गर्ज़ के लिये है ।" इन शब्दों से संसद् सदस्यों का अपमान हुआ है । इसलिये मैं यह सभी शब्द बिना किसी शर्त के वापिस लेता हूं और माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों से क्षमा याचना करता हूं ।

यह सब "**प्रताप**" में प्रकाशित हुआ था इसलिये इस मामले को बढ़ाना मेरे विचार में उपयुक्त नहीं है ।

श्री अलगू राय शास्त्री (जिला आज़मगढ़—पूर्व व जिला बलिया—पश्चिम) : पर्याप्त है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): क्या यह पर्याप्त है ? क्या इस मामले पर विशेषाधिकार समिति को विचार नहीं करना चाहिए ?

उपाध्यक्ष महोदय : नियम यह है कि जब कोई विशेषाधिकार का प्रश्न आता है तो अध्यक्ष उसका परीक्षण करता है और उसकी आज्ञा प्रश्नकाल के बाद दे सकता है । सभा उसे तुरन्त ही निपटा सकती है । यदि मामला लम्बा हो तो उसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जा सकता है । अब स्थिति यह है कि सभा के सामने वह क्षमा याचना भी है और यह सभा की इच्छा पर है कि चाहे वह उस क्षमा याचना को स्वीकार करे अथवा यह कहे कि वह पर्याप्त नहीं है। मेरा विचार था कि जब उसने स्वत: क्षमा याचना की है और वह भी बिना किसी शर्त के, तो हमें मामले को समाप्त कर देना चाहिये ।

कई माननीय सदस्य : हां, हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा सहमत है कि मामले को समाप्त किया जाये ।

सदस्य की मुअत्तली की समाप्ति के बारे में प्रस्ताव

आचार्य कृपालानी (भागलपुर व पूर्निया) : श्रीमान मैं सभा में २७ तारीख को हुई उस घटना के बारे में कहना चाहता हूं जिसके फलस्वरूप श्री कामत को सात दिन के लिये मुअत्तिल किया गया था ।

मैं जानता हूं कि इस सभा में अध्यक्ष पद का कार्य करना कितना कठिन है । *** शब्दों के बीच अध्यक्ष को*** व्यवस्था रखनी पड़ती है । इसलिये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अध्यक्ष-पद को बड़े***तनाव में काम करना पड़ता है । जो काम प्रधान मंत्री नहीं कर सकते हैं उसे यहां अध्यक्ष महोदय कर सकते हैं । इसलिये मेरी यह प्रार्थना है कि इस महान शक्ति का प्रयोग तनिक ध्यान पूर्वक तथा खुले दिल से ही किया जाना चाहिये । कई बार झगड़े हो जाते हैं परन्तु उन्हें समाप्त किया जा सकता है ।

सामान्यतया यह सभा अपनी कार्यवाही पूर्ण शान्ति एवं गम्भीरता से चलाती है और पश्चिमी देश की संसदों से अधिक शान्ति यहां रहती है ।

सभा से जाने से पूर्व श्री कामत ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि वे शब्द उन्होंने अध्यक्ष-पद के लिये प्रयोग नहीं किये थे बल्कि ये उनके लिये थे जोकि यहां पर यह शोर मचा रहे थे । मुझे खेद है कि श्री कामत ने अध्यक्ष जी द्वारा कहे जाने पर अपना स्थान ग्रहण नहीं किया—किन्तु श्रीमान, उनकी सात दिन की मुअत्तली से सभा को हानि हुई है । इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री कामत की मुअत्तली को वापिस लिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि श्री कामत की मुअत्तली को समाप्त किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुअत्तली आज से समाप्त की जाती है ।

---

* * * अध्यक्ष-पद के आदेशानुसार निकाले गये ।

श्री धुलेकर (जिला झांसी--दक्षिण): श्रीमान्, मुझे आचार्य कृपालानी के वक्तव्य पर खेद है। उन्होने सभा के प्रति अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग किया है। आचार्य कृपालानी को इन शब्दों के लिये क्षमा याचना करनी चाहिये। उन्होंने हम सब की निन्दा की है। मैं चाहता हूं कि वह अपने शब्दों को वापस ले लें।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले पर चर्चा नहीं होनी चाहिये। यद्यपि जो कुछ आचार्य कृपालानी ने कहा है वह उन्हें कहना नहीं चाहिये था, परन्तु फिर भी इस मामले पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है। हम तो स्वयं रियायत देने को तैयार थे। आचार्य कृपालानी को स्वयं ही यह शब्द वापस लेने चाहियें, क्योंकि उनकी इच्छा ऐसी नहीं थी।

आचार्य कृपालानी : मैं ने केवल इस सभा की तुलना फ़्रांस आदि देशों की सभाओं से ही की थी। इसी के साथ साथ मैंने यह भी कहा था कि अध्यक्ष-पद के अधिकार बहुत ही अधिक हैं इसलिये उनका प्रयोग उदार रूप से किया जाना चाहिये। केवल इतना ही नहीं मैंने यह भी कहा था कि अध्यक्ष-पद के कहने पर श्री कामत ने स्थान नहीं ग्रहण किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : एक दूसरा प्रस्ताव श्री पुन्नूस की ओर से है। वह भी यही चाहते हैं कि श्री कामत की मुअत्तली समाप्त की जाये।

श्री ए० एम० थामस (एरणाकुलम) : मैं प्रार्थना करता हूं कि वक्तव्य के आपत्तिजनक भाग निकाल दिये जायें।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : मैं इस समय यह जानना चाहता हूं कि क्या गलती करने वाले सदस्य की ओर से उस दल के नेता का क्षमा मांगना ठीक है? क्या सभा को गलती करने वाले सदस्य से क्षमा की प्रार्थना कराने का अधिकार नहीं है। ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई थी। "मे" की "पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस" में लिखा है कि सभा से निकालने की कार्यवाही सभा को ऐसे व्यक्तियों से छुटकारा दिलाने के लिये की जाती है जो सदस्यता के योग्य नहीं होते हैं।

अध्यक्ष-पद के आदेश पर भी वह सदस्य खड़े रहे। यह अनुशासनहीनता सहन नहीं की जा सकती।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रेस को आचार्य कृपालानी का समस्त भाषण प्रकाशित नहीं करना चाहिये। उनके भाषण में कुछ ऐसे वाक्य हैं जो सभा के अपमान का कारण हैं--मुअत्तल किये गये सदस्य ने कोई क्षमा की याचना नहीं की है। ऐसे वाक्यों का प्रयोग अनुपयुक्त है। इसलिये यदि आचार्य कृपालानी स्वयं अपने शब्द वापिस लेना नहीं चाहते हैं तो मैं आपत्तिजनक भाग को निकाल दूंगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव): यह मामला अध्यक्ष-पद तथा सदस्य के बीच का मामला था। दल के नेता का यहां प्रश्न ही नहीं उठता था। उन्हें यहां आकर क्षमा मांगनी चाहिये थी।

कुछ माननीय सदस्य : वह कैसे आ सकते हैं?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वह अध्यक्ष-पद की आज्ञा से सभा में आकर वक्तव्य दे सकते हैं। ठीक तरीका तो यही था। यह वास्तव में एक व्यक्तिगत

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

मामला था, इसमें दल का प्रश्न ही नहीं उठता।

उपाध्यक्ष महोदय : में यह बताना चाहता हूं कि जब मुग्रत्तली के बाद कोई सदस्य यहां नहीं आ सकता तो उसकी ओर से कोई अन्य सदस्य ही प्रस्ताव करेगा। आचार्य कृपालानी ने उनकी ओर से मुझे बताया कि उन्हें उस बात पर खेद है, किन्तु आचार्य कृपालानी ने स्वयं आज कुछ ऐसे शब्द कहे हैं जिनसे कि सक को खेद हुआ है। आचार्य कृपालानी एक विरोधी दल के नेता हैं इसलिये में यह सुझाव देता हूं कि इस मामले को अब समाप्त किया जाये। मैं आचार्य के वक्तव्य से आपत्तिजनक भाग निकाल दूंगा।

सभा पटल पर रखें गयें पत्र

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्य का प्रतिवेदन तथा बुलेटिन संख्या २२

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : श्रीमान में २९ जुलाई, १९५२ को केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के दौरान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा दिये गये एक आश्वासन के अनुसरण में उत्पादन मंत्री की ओर से इन पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) केन्द्रीय रेशम बोर्ड का कार्यकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन, १९५४-५५। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस-२८२/५५]**

(२) फरवरी, १९५५ में केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा निकाला गया बुलेटिन संख्या २२। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस-२८३/५५]**

मैसूर की सोने की खानों सम्बन्धी विनियमों में संशोधन तथा खान नियम

श्री खंडूभाई देसाई : श्रीमान्, में खान अधिनियम, १९५२ की धारा ५९ की उपधारा (७) के अधीन इन पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) श्रम मंत्रालय अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ५२५, दिनांक २८ फरवरी, १९५५ जिसके द्वारा मैसूर की सोने की खानों सम्बन्धी विनियमों १९५३ में कतिपय संशोधन किये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस-२८४/५५]**

(२) श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १४२१, दिनांक २ जुलाई, १९५५ में प्रकाशित खान नियम, १९५५। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये इन्डैक्स संख्या २८५/५५]**

समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : श्रीमान्, में समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८, जैसा कि उसे समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) अधिनियम, १९५३ द्वारा संशोधित किया गया है, कि धारा ४३ ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत वित्त मंत्रालय सीमा-शुल्क अधिसूचनायें संख्या १०० तथा १०१, दिनांक १८ जन, १९५५, की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस-२८६/५५]**

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

सचिव : श्रीमान्, मुझे सभा को सूचित करना है कि भारतीय प्रशुल्क

(संशोधन) विधेयक, १९५५ पर, जिसे कि संसद के दोनों सदनों ने चालू सत्र में पारित किया था, २३ अगस्त,१९५५ को राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति दे दी है ।

राज्य-सभा से सन्देश

सचिव : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि लोक-सभा द्वारा क्रमशः १ अगस्त, १९५५, २९ जुलाई, १९५५, ४ अगस्त १९५५ तथा ५ अगस्त १९५५, को पारित, वन्दी (न्यायालयों में उपस्थिति) विधेयक, १९५५, भू-सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५५, दरगाह ख्वाजा साहिब विधेयक १९५५, भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक १९५५, को राज्य-सभा ने बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

मुझे सभा को यह भी सूचना देनी है कि राज्य-सभा ने २५ अगस्त १९५५, को कशाघात उत्सादन विधेयक १९५५ को पारित कर दिया है ।

कशाघात उत्सादन विधेयक

सचिव : श्रीमान्, मैं कशाघात उत्सादन विधेयक १९५५ को, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, सभा पटल पर रखता हूं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

मुर्शिदाबाद के निकट रेलवे दुर्घटना

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : मैं माननीय रेलवे तथा परिवहन मंत्री का ध्यान २३-८-१९५५ को कलकत्ता जाने वाली ऐक्सप्रेस गाड़ी के नीचे आकर धरना देने वाले व्यक्तियों की मृत्यु होने की घटना की ओर दिलाना चाहता हूं और प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : हमें उस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना से बड़ा दुःख हुआ है जो कि २३-८-५५ को नाशिपुर रोड तथा मुर्शिदाबाद रेलवे स्टेशनों के बीच हुई थी, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(१) दुर्घटना होने के स्थान पर, रेलवे लाइन के दोनों ओर विस्थापित व्यक्तियों का एक कैम्प है जिसमें लगभग ५,२५५ व्यक्ति रहते हैं । यह प्रतीत होता है कि ४०८ डाउन पार्सल्स एक्सप्रेस के वहां से निकलने के समय रेलवे लाइन के पश्चिमी ओर के कैम्प में रहने वाले कुछ विस्थापितों ने यह निश्चय किया कि उस गाड़ी को रोका जाये और पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा सहायतार्थ धन दिये जाने में देरी के प्रति रोष प्रकट करने के हेतु उसे आगे न जाने दिया जाय । गाड़ी के वहां से निकलने से लगभग १५ मिनट पहले एक 'ग' श्रेणी के लाइन के फाटक के दोनों तरफ जो कि नाशिपुर रोड और मुर्शिदाबाद के बीच मील १२३/४-५ पर स्थित है, लोगों की एक भीड़ एकत्रित हो गई । रेलवे कर्मचारियों को विस्थापितों द्वारा लाइन के अवरुद्ध किये जाने की कोई खबर नहीं थी । ऐसा प्रतीत होता है कि उस फाटक पर नियुक्त पहरेदार गाड़ी को रोकने के लिये सामयिक कार्यवाही करने में असमर्थ रहा । स्थानीय पुलिस हैड कांनस्टिबल यह सूचना पाकर कि एक भीड़ लाइन पर एकत्रित हो गई है, दुर्घटना के कुछ ही मिनट पहले वहां आया और उसने भीड़ को हटाने की कोशिश की ।

(२) दुर्घटना दिवस की संध्या को ७ बजे, जबकि नाशिपुर रोड स्टेशन जाने

[श्री अलगेशन]

वाली गाड़ी ३०/३५ मील प्रति घंटा की गति से फाटक के पास पहुंच रही थी, तो, बताया जाता है, कि ड्राइवर ने केवल दो तार क खम्भों के फासले पर से ही यह देखा कि एक भीड़ लाइन पर एकत्रित हो रही थी। उसने तब लगातार सीटी बजाई ताकि भीड़ परे हट जाये और वैक्यूम ब्रेक भी लगाये। इससे पहले कि गाड़ी ठहर सके, कुछ लोग इंजन के दाईं तरफ गाड़ी के नीचे आ गये और उसके परिणामस्वरूप पांच व्यक्ति वहीं उसी स्थान पर मर गये, ६ व्यक्ति बहुत घायल हुए और चार व्यक्तियों के साधारण चोटें आईं। विस्थापित कैम्प के डाक्टर ने घायलों को प्राथमिक सहायता पहुंचाई और गंभीर मामलों को बरहामपुर तथा लालबाग के हस्पताल में सड़क के रास्ते से भेजा गया जहां पर एक व्यक्ति २४ अगस्त को और दूसरा २५ अगस्त को मर गया।

(३) ज्योंही गाड़ी ठहरी, कुछ विस्थापितों ने इंजन पर चढ़कर ड्राइवर तथा फायरमैनों को पकड़ लिया और उनसे बुरा व्यवहार किया और दूसरों ने कई स्थानों से होज़पाईप खोल दिये। इंजन की लाइट को हानि पहुंचाई गई तथा ब्रेक डिब्बे की एक शीशे की खिड़की तोड़ दी गई। उस स्थान पर गाड़ी को ३ घंटे ४२ मिनट तक रोका गया और तब उसे वहां से एक दूसरे इंजन के कर्मचारी ले कर गये।

(४) रेलवे पुलिस के सुप्रिन्टेन्डेंट ने दुर्घटना की जांच का कार्य अपने हाथ में ले लिया है और भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३०४ तथा भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा १०१ के अधीन एक मुकदमा दायर कर लिया गया है। वरिष्ठ रेलवे अधिकारी भी विभागीय पड़ताल कर रहे हैं।

(५) जिलाधीश तथा सुप्रिटेन्डेंट पुलिस ने पूर्वी रेलवे को बताया है कि ड्राईवर ने शराब नहीं पी रखी थी। पश्चिम बंगाल सरकार के पुनर्वास मंत्री ने यह घोषणा की है कि घायलों की देखभाल तथा मृत तथा अंगहीन होने वाले अन्य व्यक्तियों के परिवारों की देखरेख के सभी प्रबंध कर दिये गये हैं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या यह तथ्य नहीं है कि भीड़ वहां पर तीन घंटे से थी किन्तु फिर भी उसे हटाने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया था ?

श्री अलगेशन : श्रीमान्, जैसा हमें मालूम था, वैसा हम ने बता दिया है।

समवाय विधेयक—जारी

खण्ड १४५ से १९६

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा समवाय विधेयक के खंडों संख्या १४५ से २५० तक पर विचार आरंभ करेगी। जो सदस्य संशोधन रखना चाहते हों वे पन्द्रह मिनट के अन्दर सचिव के पास एक चिट भेज कर सूचित करें कि उनके संशोधन कितने हैं और किस खण्ड के संबंध में हैं।

पंद्रह मिनट के बाद मैं सदस्यों के नाम घोषित करूंगा और उनके संशोधन अन्यथा ग्राह्य होते हुए प्रस्तुत समझे जायेंगे।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सैलम) : उस दिन मैं ने कुछ संशोधनों की सूचना दी थी। जब मैं सभा में आया तो वाद-विवाद चल रहा था। मैं ने अध्यक्ष-पद से

प्रार्थना की थी कि मुझे अपने संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये परन्तु अध्यक्ष महोदय ने इनकार कर दिया था। २५ अगस्त, १९५५ को श्री कामत ने कहा कि मैं कुछ समय के लिये दिल्ली में नहीं रहूंगा, मेरे संशोधन स्वंय व्याख्यात हैं इसलिये मुझे उन के संबंध में कुछ कहना नहीं है, यदि उन्हें प्रस्तुत किया हुआ मान लिया जाये तो बहुत अच्छा हो। उपाध्यक्ष महोदय ने श्री कामत का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि किस का विनिर्णय ठीक है, अध्यक्ष महोदय का या आपका ?

उपाध्यक्ष महोदय : दोनों विनिर्णयों में कोई विरोध नहीं है। उस अवसर पर मैं ने केवल यही कहा था कि यदि कोई सदस्य अनिवार्य कारणों से अनुपस्थित हो तो उस के साथ रियायत की जा सकती है। यदि माननीय सदस्य उपस्थित होते तो अपने संशोधन प्रस्तुत कर सकते थे।

श्री रामस्वामी द्वारा उठाये गये प्रश्न का जहां तक संबंध है, मैं ने सोचा कि अध्यक्ष महोदय का विनिर्णय यह है : यदि कोई माननीय सदस्य अनिवार्य कारणों से उपस्थित न हो सके और बाद में उपस्थित हो जाये तो सभा सदा ही उस के साथ रियायत कर सकती है। इस में किसी का व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है चाहे वह श्री रामस्वामी हों या श्री कामत हों। खण्ड १४५ से खण्ड २५० तक के लिये हमारे पास कुल ६ घंटे का समय ह। सइमें से हम दो घंटे का समय खण्ड १४५ से खण्ड १९६ पर, पांच घंटे का समय खण्ड १९७ से खण्ड २०७ पर और दो घंटे का समय खण्ड २०८ से २०५ पर व्यय करेंगे।

खंड १४५ से खंड १९६ तक

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : खण्ड १४५ में मैंने जो संशोधन रखा है और जिसकी संख्या ३१६ है वह केवल एक प्रारूप-सम्बन्धी सुधार है। इस खण्ड के पहले भाग में "यदि कोई समवाय व्यापार कर रहा हो" शब्दों के स्थान पर "यदि अवहेलना की जाती है" शब्द रखे गये हैं परन्तु दूसरे भाग की शब्दावली "जिसमें कि वह ऐसा व्यापार करता रहा हो," रखना आवश्यक है। यह केवल एक प्रारूपण सम्बन्धी सुधार है।

संयुक्त समिति ने खण्ड १७३ तथा अनुच्छेद ४९ दोनों को स्वीकार किया था परन्तु यह कहा जा सकता है कि अनुच्छेद ४९ के उपबंध खण्ड १७३ के साथ असम्बद्ध होने के कारण शक्ति परस्तात् हैं। इसलिये विधि सम्बन्धी कठिनाई को दूर करने के लिये खण्ड १७३ में जो संशोधन रखा गया है और जिसकी संख्या २८० है उसके द्वारा मैं चाहता हूं कि सारणी 'क' की अनुसूची १ अनुच्छेद ४९ के उपबंध विधेयक में अन्तर्विष्ट कर दिये जायें।

यह आशंका प्रकट की गई है कि नजी समवायों की बैठकों में प्रतिपुरुष को बोलने की शक्ति प्रदान करने वाला उपबंध, यदि समवाय के सदस्यों में तनातनी हो तो झंझट पैदा कर सकता है। हो सकता है कि निजी समवाय का कोई सदस्य किसी बहुत अवांछनीय व्यक्ति को प्रतिपुरुष बनाकर भेज दे और इस प्रकार ज्यादा से ज्यादा गड़बड़ी पैदा करने का प्रयत्न करे, इसलिये मैंने एक संशोधन रखा है जिसकी संख्या ३०६ है और जिसका तात्पर्य यह है कि किसी प्रतिपुरुष को बोलने का अधिकार नहीं होगा चाहे वह निजी समवाय के सदस्य द्वारा नियुक्त

[श्री सी० डी० देशमुख]

किया गया हो या सार्वजनिक समवाय के सदस्य द्वारा ।

मेरा अन्तिम संशोधन खण्ड १८७ के सम्बन्ध में है और उसकी संख्या ४६९ है। बैंकिंग समवाय के हितों की रक्षा करने के लिये यह संशोधन आवश्यक है। ऐसे मामलों में निदेशक बोर्ड ही सब से निर्णय कर सकता है इसलिये उसको यह सद्विवेक दिया गया है कि यदि वह समझता हो कि परिचालन से समवाय के हितों को आघात पहुंच सकने की संभावना है तो वह विवरण को परिचालित न करे परन्तु यह बात केवल विवरण पर लागू होती है संकल्प पर नहीं।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व): इन खण्डों के सम्बन्ध में हम ने ३४ संशोधनों की सूचना दी है परन्तु सब का आधारभूत सिद्धान्त एक ही है और वह यह है कि समवाय के प्रबन्ध में कर्मचारियों को भी भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिये। समाजवादी ढंग के लाने का विज्ञापन किये जाने के बहुत पहले से जब कि स्वतंत्रता भी प्राप्त नहीं हुई थी, मंत्री तथा नेतागण घोषित करते रहे हैं कि हमारा उद्देश्य है कि श्रम और पंजी की साझेदारी होनी चाहिये। समवाय विधेयक के माध्यम से मैंने उसी उद्देश्य को व्यावहारिक रूप देने का प्रयत्न किया है। मेरा सुझाव यह है कि प्रबन्ध में कर्मचारियों का भाग २५ प्रतिशत होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य किसी संशोधन पर बोल रहे हैं और यदि हां, तो वह संशोधन किस खण्ड के सम्बन्ध में है।

श्री साधन गुप्त : मेरे संशोधन की संख्या ४५८ है जिसके द्वारा मैंने एक नये खण्ड १६४क के बढ़ाये जाने का सुझाव रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वह इस खण्ड-समूह के साथ संबद्ध है।

श्री साधन गुप्त : समवाय के प्रबन्ध में कर्मचारी भाग ले सकें इसके लिये किसी योजना का होना आवश्यक है। समवाय की आम बैठक समवाय की सम्पूर्णता को प्रकट करती है। यह खण्ड आम बैठक के सम्बन्ध में है। मेरी योजना यह है कि कर्मचारी अपने प्रतिनिधि चुनें और वह प्रतिनिधि समवाय की आम बैठक में भाग लें। कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को वही अधिकार देने के लिये, जो कि समवाय के सदस्यों को प्राप्त हैं, अन्य खंडों में से अधिकांश में आनुषंगिक संशोधन किये जाने के सुझाव रखे गये हैं। इसी के लिये मैंने खंड १६४क पुरःस्थापित किया है।

उसके पहले भाग में कहा गया है कि समवाय के उन सदस्यों को, जो औद्योगिक विवाद विधेयक के अनुसार कमकर हों, अपने में से गुप्त मतदान के द्वारा इतने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया जाये जोकि समवाय के सदस्यों की कुल संख्या की चौथाई के बराबर हों।

दूसरे भाग में कहा गया है कि संविहित बैठक या सामान्य वार्षिक बैठक के एक मास पूर्व उपर्युक्त चुनाव हो जाना चाहिये।

तीसरे भाग में कहा गया है कि समवाय को अपने कर्मचारियों को प्रति-

निधि चुनने के लिये सभी युक्तियुक्त सुविधायें देनी पड़ेंगी ।

चौथे भाग में कहा गया है कि यदि समवाय इसकी अवहेलना करेगा तो उसे प्रति दिन पांच सौ रुपये तक का जुर्माना देना पड़गा । और जो अधिकारी अवहेलना करेगा उसे प्रतिदिन सौ रुपये जुर्माने और छै मास के कारावास दंड से दंडित किया जायेगा ।

पांचवें भाग में कहा गया है कि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को उतने वोट प्राप्त होंगे जितने कि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को निकालकर कुल वोट देने की सम्पूर्ण शक्ति के एक चौथाई के बराबर हो ।

छटे भाग में कहा गया है कि कर्मचारियों के प्रत्येक प्रतिनिधि को किसी भी ऐसी बैठक में भाग लेने तथा मत देने का अधिकार दिया जाए जिससे पूर्व कि वह किसी संविहित सभा में अथवा किसी वार्षिक साधारण सभा में चुना गया हो ।

सातवें भाग में यह कहा गया है कि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए समवाय कर्मचारियों के परामर्श के अनुसार वार्षिक चुनाव से कम से कम तीन मास पूर्व निर्वाचित नामावली तैयार कर लेगा और निर्वाचित क्षेत्रों का परिसीमन कर देगा ।

आठवें भाग में यह कहा गया है कि किसी भी कर्मचारी की प्रार्थना पर वहां के व्यवहार न्यायालय को उस निर्वाचित नामावली में उचित परिवर्तन करने का अधिकार होगा ।

नवें भाग में यह कहा गया है कि ऐसे किसी भी कर्मचारी की प्रार्थना पर वहां के व्यवहार न्यायालय को निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में उचित परिवर्तन करने का अधिकार होगा ।

दसवें भाग में यह कहा गया है कि जब तक व्यवहार न्यायालय का निर्णय नहीं होता तब तक वार्षिक साधारण बैठक नहीं होगी ।

इसीलिये तो मैंने खंड १६४ क पुरःस्थापित किया है । इस में एक ऐसी योजना प्रस्तुत की गयी है जिसके द्वारा हम किसी समवाय में कर्मचारियों द्वारा भाग लेने को सुनिश्चित करना चाहते हैं । और इसी योजना की दृष्टि से हमने आनुषंगिक खण्डों में बहुत से संशोधन प्रस्तुत किए हैं ।

जैसे मैं निवेदन कर रहा था, हम कोई बिल्कुल नवीन क्रांतिकारी कार्य नहीं करना चाहते हैं । यह कार्य तो पूर्ण रूप से कार्य सूची के अनुसार ही है । हमने जो २५ प्रतिशत की प्रस्थापना की है, उस के सम्बन्ध में सर्वप्रथम श्रम मंत्री महोदय ने ही तो चर्चा प्रारम्भ की थी । यद्यपि हम यह अनुभव करते हैं कि कर्मचारियों को और भी अधिक भाग प्राप्त होना चाहिये, तो भी हमने इससे अधिक की मांग नहीं की है । हमारी केवल यही मांग है कि कर्मचारियों को २५ प्रतिशत सदस्यों को निर्वाचित करने का अधिकार दिया जाए ।

ये सभी संशोधन बड़ी जल्दी में बनाये गए थे, अतः हो सकता है कि इन में कई कमियाँ हों । परन्तु यदि सरकार कोई रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाये तो कोई कारण नहीं है कि ये कमियां दूर न हो सकें ।

मुझे इस बात की बहुत कम आशा है कि ये संशोधन स्वीकार किए जायेंगे ।

[श्री साधन गुप्त]

यद्यपि सरकार के प्रवक्ता कई बार घोषित कर चुके हैं कि सरकार इस बात के पक्ष में है कि कर्मचारी औद्योगिक तथा वाणिज्यिक समवायों के प्रबन्ध में भाग लें, परन्तु जब ये अधिकार देने का अवसर आता है तो सरकार किसी न किसी बहाने से इसे टाल देती है। वित्त मंत्री महोदय का कहना है कि हमें कोई कार्य जल्दबाज़ी में नहीं करना चाहिए। परन्तु यह तो टालने का ही एक ढंग है। हम अपने संशोधनों द्वारा सरकार से न्याय चाहते हैं। जब तक आप न्याय नहीं करेंगें तब तक आप समाजवादी समाज की स्थापना कैसे कर सकेंगे ?

इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधनों का समर्थन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इन्हें स्वीकार किया जाए।

श्री तुलसी दास (मेहसाना पश्चिम) : मैंने खंड १६१ के सम्बन्ध में संशोधन संख्या १९१ प्रस्तुत किया है।

आप को स्मरण होगा कि जब खंड ७ पारित हुआ था तो उस समय मुझे निदेशकों से सम्बन्ध रखने वाले एक विशेष वाक्य की कठिनाइयों की ओर इंगित करने का आदेश दिया गया था। उन में से एक कठिनाई यह है जिसकी ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

खंड १६१ दण्ड से सम्बन्ध रखने वाला खण्ड है। समवाय विधि समिति ने यह सिफ़ारिश की है कि यह वाक्य केवल निदेशकों को दिए जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में ही प्रयुक्त किया जाये। वैसे तो निदेशकों द्वारा की जाने वाली बुराइयों की रोक-थाम के लिय उन पर कोई बन्धन रखना उचित है, परन्तु मैं यह समझ नहीं सका कि वर्तमान स्थिति में इस वाक्य के सम्मिलित किये जाने के पीछे क्या तर्क है।

खण्ड १६१ का उपखंड (१) ही पर्याप्त है। उपखंड (२) रखने की आवश्यकता ही क्या है ? मैं समझ नहीं सका कि खंड १६१ में उपखंड (२) रखने में क्या तर्क है।

मेरे विचार में तो इस वाक्य के रखने से समवाय विधि में एक नवीन सिद्धान्त का सूत्रपात हो गया है। इस ने समवाय विधि के क्षेत्राधिकार को व्यक्तियों के एक ऐसे वर्ग तक बढ़ा दिया है जिसका समवाय के प्रबन्ध से प्रायः कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। ऐसे पदाधिकारियों को उत्तरदायी क्यों बनाया जाये जो कि 'समवाय के पदाधिकारियों' की कोटि में नहीं आते हैं। अतः मेरी यह प्रार्थना है कि मंत्री महोदय इस प्रश्न पर विचार करें और उपखंड (२) को निकाल दें।

अब मैं खंड १७५ के संशोधन संख्या १९२ और १९३ को लेता हूं। मैं वित्त मंत्री को इस बात पर बधाई देता हूं कि उन्होंने अपना संशोधन संख्या ३०६ प्रस्तुत किया है।

मैं इस बात की पूर्णतया सराहना करता हूं कि ग़ैर-सदस्यों को भी प्रतिपुरुष के रूप में कार्य करने का अधिकार देने के प्रश्न पर विचार किया गया है। परन्तु प्रतिपत्री के अधिकार से कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जो कि समवाय के हित में न हो। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में किसी समवाय

का हित चाहता है तो वह उस समवाय का सदस्य क्यों नहीं बन जाता ? वह एक ग़ैर-सदस्य के रूप में काम क्यों करे ? एक ग़ैर-सदस्य कभी भी समवाय का सच्चे जी से हित नहीं चाहेगा। उदाहरणार्थ इस सभा में कोई भी ग़ैर-सदस्य किसी सदस्य के स्थान पर कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता है। वैसे ही समवाय के प्रबन्ध में भी किसी ग़ैर-सदस्य को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये। अतः मैं यह चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात पर अच्छी प्रकार से सोच विचार करें, क्योंकि इस प्रणाली के चालू हो जाने से कई प्रकार की बुराइयों के उत्पन्न हो जाने का डर है।

श्री सी० डी० देशमुख : एक ग़ैर-सदस्य मौन रह कर भी कोई शरारत कैसे कर सकता है ?

श्री तुलसीदास : वह किसी अन्य सदस्य के द्वारा ऐसा कर सकता है। मंत्री महोदय भली भांति जानते हैं कि शरारती लोग किसी भी समवाय के एक या दो अंश खरीद कर उस के सदस्य बन जाते हैं। यदि उन्हें सदस्य बनाने से इन्कार भी कर दिया जाए तो भी वे प्रतिपत्री प्राप्त करके शरारत कर सकते हैं।

इसलिए मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि समवायों के सामान्य प्रबन्ध की दृष्टि से यह उपबन्ध उचित नहीं है। यह तो प्रबन्ध कार्य में बड़ी भारी बाधा डालेगा।

श्री सी० सी० शाह (गोहिलवाड–सोरठ) : मैं खंड १७५ के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये संशोधन संख्या १९२ और १९३ के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। खंड १७५ किसी समवाय के सदस्य को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी ग़ैर-सदस्य को प्रतिपत्री दे सकता है। इंगलैन्ड में कोहेन समिति और भारत में भाभा समिति दोनों ने ही इसके पक्ष में सिफारिशें दी हैं। कोहेन समिति के प्रतिवेदन के पृष्ठ ८२ पर स्पष्टतया लिखा है कि क्योंकि किसी भी अंशधारी के लिए यह अत्यन्त कठिन है कि वह थोड़े से ही समय में अन्य अंशधारियों से पूर्णतया परिचित हो जाए और अपनी अनुपस्थिति में उनमें से किसी को प्रतिपत्री दे सके, अतः उसे इस बात का अधिकार होना चाहिए कि वह किसी भी व्यक्ति को चाहे वह सदस्य हो अथवा न हो, प्रतिपत्री दे सके, और ऐसे प्रतिनिधियों को केवल उपस्थिति का ही नहीं अपितु बोलने का भी अधिकार होना चाहिये।

इस सिफ़ारिश के परिणामस्वरूप इंगलैण्ड में सरकारी समवायों में तो किसी भी ग़ैर-सदस्य को उपस्थित होने तथा मत देने का अधिकार दिया गया और निजी समवायों में उसे विचार प्रकट करने का अधिकार भी दिया गया। अतः भारत में भी आप यदि प्रतिपत्री प्रणाली को प्रभावी बनाना चाहते हैं तो कम से कम निजी समवायों में ग़ैर-सदस्यों को विचार अभिव्यक्ति का अधिकार अवश्य दिया जाना चाहिये। भाभा समिति ने भी अपने प्रतिवेदन की कण्डिका ७७ में इस का समर्थन करते हुए लिखा है कि भारत में भी ऐसा होना चाहिए और अब संयुक्त समिति ने खण्ड १७५ में इसी बात पर बल दिया है।

सरकार ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है जो कि प्रतिपत्री प्राप्त किसी ग़ैर-सदस्य से निजी सभा में विचार अभिव्यक्ति के अधिकार को छीनना चाहता है। क्योंकि ऐसा अधिकार देने से कई प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस प्रकार से हमारे सम्मुख दो प्रकार क

[श्री सी० सी० शाह]

विचारधारायें उपस्थित हैं। एक के अनुसार तो निजी समवायों में ग़ैर-सदस्यों को समवाय की बैठक में बोलने की अनुमति हो, और दूसरी के अनुसार उन्हें ऐसी अनुमति न दी जाये। इन दोनों में से मैं तो सरकारी विचारधारा का ही समर्थन करता हूं। यदि सरकार यह समझती है कि इस अवस्था में यह उचित नहीं कि ग़ैर-सदस्यों को विचार अभिव्यक्ति का अधिकार दिया जाये, तो मैं इसी का समर्थन करता हूं।

श्री सी० आर० अय्युण्णि (त्रिचूर) : मैं ने भी खण्ड १७५ के लिये एक संशोधन संख्या ४९१ प्रस्तुत किया है। समवायों और विशेषकर बैंकों के सम्बन्ध में मेरी यह धारणा है कि यदि ग़ैर-सदस्यों को प्रतिपत्री का अधिकार दिया गया तो इससे कई प्रकार की उलझनें उत्पन्न हो जायेंगी।

किसी भी बैठक में, जहां पर कई प्रकार के महत्त्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही होती है, किसी बाहिर के व्यक्ति का जाना आपत्तिजनक है। सरकार भी ऐसा ही अनुभव करती है कि ऐसा करना आपत्ति से खाली नहीं है। सरकार यह निश्चय नहीं कर सकी है कि ऐसा करना लाभकारी होगा अथवा हानिकारक। परन्तु मैं चाहता हूं कि सरकार इसके बारे में एक दृढ़ निश्चय करे। जहां तक निजी समवायों का सम्बन्ध है, प्रतिपत्री का अधिकार देने में कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु जहां तक अन्य समवायों का सम्बन्ध है, एसा करना आपत्ति से खाली नहीं है। इसीलिये मेरा यह विचार है कि किसी भी समवाय में ग़ैर-सदस्यों का आगमन उचित नहीं है। यदि कोई सदस्य कोई शिकायत करना भी चाहता है तो उसके अन्य कई उपाय हैं। वह निरीक्षक अथवा सरकार को याचिका भेज सकता है। सरकार इस बात की जांच करेगी और यदि वास्तव में उस समवाय का प्रबन्ध अव्यवस्थित है तो वह उसके बारे में उचित कार्यवाही करेगी।

मतदान के बारे में यह कहा गया है कि यदि सभा का सभापति चाहे ती मतदान की मांग किये जाने के ४८ घण्टे के अन्दर मतदान लिया जा सकता है। परन्तु मैं इससे सहमत नहीं हूं। छोटे नगरों तथा ग्राम्य क्षेत्रों में ऐसा करना बहुत कठिन है। मेरा यह सुझाव है कि मतदान की मांग करने के चार घण्टे के अन्दर अन्दर मतदान हो जानी चाहिये।

मेरे तीसरे संशोधन का सम्बन्ध मतदान-पत्रों की परीक्षा करने वालों से है। यहां यह लिखा हुआ है कि सभापति दो परीक्षक नियुक्त करेगा। परन्तु यदि किसी निर्वाचन स्थान पर निर्वाचकों की संख्या बहुत ही कम हो तो वहां पर दो परीक्षकों को नियुक्त करने का क्या लाभ है ? अतः इस में शब्द "shall" ['गा'] के स्थान पर शब्द "may" ["सकता है"] रखा दिया जाय।

ये ही कुछ बातें हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री अशोक मेहता (भंडारा) : मैं श्री तुलसीदास, वित्त मन्त्री और श्री साधन गुप्त के संशोधनों का विरोध करता हूं। वित्त मंत्री के संशोधन संख्या ३०६ का मैं इसलिये विरोध करता हूं यह बताते हुये कि कोहेन समिति और भाभा समिति की सिफ़ारिशों को किन कारणों से स्वीकार किया जाना चाहिये श्री सी० सी० शाह ने अन्त में यह कहा कि

वह केवल प्रश्न के दोनों पहलू दिखाना चाहते थे। चित्र का दूसरा रुख क्या है यह मैं उनके भाषण से नहीं जान सका हूं।

इस विधान में बहुत से हितकर उपबन्ध हैं, परन्तु निजी समवायों को इन हितकर उपबन्धों के प्रवर्त्तन से अपवर्जित ही रखा गया है। मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इस बात पर सहमत हो जायेंगे कि इस विधान को निजी समवायों के विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जायेगा।

जैसा कि मेरे मित्र श्री सी० सी० शाह ने कहा कि निजी समवायें में प्रतिपुरुष को न केवल मतदान में भाग लेने का अधिकार होगा अपितु उसे भाषण देने का अधिकार भी होगा। कोहेन समिति ने इसके लिये कारण दिये हैं और भाभा समिति ने उनका अनुमोदन किया है और इसीलिये संयुक्त समिति ने इसे स्वीकार कर लिया था। मेरी समझ में नहीं आता कि वित्त मंत्री क्यों संयुक्त समिति की सिफारिश को अमान्य कर रहे हैं। उनके भाषण से इसका कोई पता नहीं लगता है।

मुझे श्री साधन गुप्त के संशोधन का विरोध करते दुःख होता है। मैं भी उनकी तरह ही उद्योग में कमकरों (कर्मचारियों) के भाग लेने के पक्ष में हूं। अभी तक इस प्रश्न को दो दृष्टिकोणों से देखा गया है। यूगोस्लाविया में प्रबन्ध पूर्णतया कमकरों के हाथ में है। रूस में भी इसका परीक्षण किया गया था परन्तु उसे त्याग दिया गया। यूगोस्लाविया में जो कुछ हो रहा है वह इस समवाय विधेयक से संगत नहीं है। उस प्रकार की प्रणाली पर यहां चर्चा हो ही नहीं रही है, प्रस्तुत प्रश्न कमकरों को प्रबन्ध संचालन में भाग देने का है। कमकरों को प्रबन्ध संचालन में भाग देने का अर्थ साधारणतया उनको निदेशक बोर्ड में प्रतिनिधित्व देना समझा जाता है। जर्मनी में कमकरों को सह-निश्चयन का अधिकार दिया गया है। वहां एक निरीक्षण परिषद् है जिसके आधे सदस्यों का निर्वाचन अंशधारी करते हैं और आधे का कमकर। वहां दोनों अर्द्धांश एक दूसरे से पृथक् रहते हैं, परन्तु श्री साधन गुप्त के सशोधन में दोनों को मिला देने का प्रयत्न किया गया है। वह कमकरों को वही अधिकार देना चाहते हैं जिनका उपभोग अंशधारी करते हैं। इस विधेयक में बनाई गई योजना के अनुसार कर्मचारियों को स्वयं अपने अधिकार से अंशधारी बनने का अवसर मिलेगा। यदि मैं भूल नहीं करता हूं तो उनको समवाय के अंश खरीदने के लिये ऋण दिये जाने की प्रस्थापना की गई है। समवाय के सम्बन्ध में अंशधारियों तथा कर्मचारियों के दृष्टिकोण भिन्न भिन्न होते हैं, कभी कभी उनमें संघर्ष तक हो जाता है। कमकरों को प्रबन्ध में भाग दिया जा सकता है और इसके सम्बन्ध में वित्त मंत्री ने उस दिन बहुत सहानुभूतिपूर्ण उत्तर दिया था। उनको निदेशक बोर्ड में प्रतिनिधित्व देकर प्रबन्ध संचालन में भाग दिया जा सकता है।

अब प्रश्न यह है कि उनको प्रबन्ध संचालन में कितना भाग दिया जाना चाहिये। रूस में इस प्रश्न पर पर्याप्त विचार किया गया है। मैं एक उद्धरण को पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

> "सोवियेत का आशय उद्योग में 'सामूहिक सहभागिता' से क्या है? वहां इसे चार रूप में समझा जाता है। पहला, प्रबन्ध संचालन के कार्य का निरीक्षण करना और अयोग्यताओं की आलोचना करना; दूसरा, सुझाव देना; तीसरा, कमकरों द्वारा प्रशासन में सीधे भाग लेना; चौथे

[श्री अशोक मेहता]

प्रबन्ध सम्बन्धी पदों, तथा दल
और कार्मिक संघ संगठनों में उच्च
पदों पर उन की नियुक्ति ।"

आगे यह बताया गया है कि बहुत अधिक कर्मचारियों में से केवल कुछ ही ने इन सम्मेलनों में वास्तव में भाग लिया है अथवा कोई निश्चित अंशदान करने में सफल हुए ह । यदि निदेशक बोर्ड चाहे तो तीनों सुझावों को कार्यान्वित किया जा सकता है। जब तक कमकरों को निदेशक बोर्ड में अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है अथवा जब तक उन को प्रबन्ध संचालन में भाग लेने का अधिकार मिलता रहेगा, तब तक मैं नहीं समझता कि कमकरों के प्रतिनिधियों को अंशधारियों की बैठक में भाग लेने के लिये आमंत्रित करने से क्या लाभ होगा । इस से बड़ी गड़बड़ी फैल जायेगी । कमकरों के कृत्य अंशधारियों के कृत्यों से बिल्कुल भिन्न होते हैं और उन को पृथक् ही रखा जाना चाहिये । श्री साधन गुप्त एक ऐसी स्थिति को उत्पन्न करना चाहते हैं जिसमें कि कमकर स्वयं अपने अधिकार के बल पर अंशधारी बन जायेंगे और बिना अंशधारी बने अंशधारियों के अधिकारों का भी उपभोग करेंगे । इससे कमकरों को सहायता मिलने के बदले प्रस्तावित योजना को कार्यान्वित करने में अग्रेतर कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी । उच्च स्तर पर कर्मचारियों की सहभागिता बहुत वांछनीय है परन्तु निम्न स्तर पर सहभागिता को बहुत सावधानी से कार्यान्वित किया जाना चाहिये । अंशधारियों और कर्मचारियों का इस प्रकार गठबंधन कर देने से कोई लाभ नहीं होगा अपितु यह तो अंधेरे में तीर मारने जैसा होगा । संसार में यह प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है । हमें कमकरों की सहभागिता की उतनी सीमा तक ही लागू करना चाहिये जितना कि पश्चिमी जर्मनी तथा सोवियत रूस में किया गया है । अतः प्रबन्ध संचालन में कमकरों की सहभागिता के उद्देश्य से पूर्णरूपेण सहानुभूति प्रकट करते हुए मेरा यह विचार है कि जो सुझाव दिया गया है उससे इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता मिलनी तो दूर रही रुकावट पड़ने की अवश्य संभावना है ।

श्री बंसल (झज्जर-रेवाड़ी) : मैं माननीय वित्त मंत्री के उस संशोधन का समर्थन करता हूं जोकि उन्होंने प्रतिपुरुष के खण्ड के संबंध में प्रस्तुत किया है । श्री अशोक मेहता ने कहा था कि 'भाभा' समिति ने 'कोहेन' समिति के तर्कों का समर्थन किया है परन्तु मैंने, भाभा समिति की कण्डिका ७७ को पढ़ा है । उसमें मुझे कहीं भी यह नहीं मिला कि गैर सरकारी कम्पनियों में अंशधारियों के अतिरिक्त अन्य प्रतिपुरुषों को बोलने का अवसर दिया जा सकता है ।

मैं श्री साधन गुप्त के संशोधन के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि श्रमिकों को, समवाय का अंशधारी बनने का अवसर मिलना चाहिये जिसके द्वारा वह समवाय का प्रबन्ध करने में अधिकार रूप से भाग ले सकें । ऐसा केवल दो प्रकार से हो सकता है एक तो समवाय से ऋण लेकर, दूसरे श्रमिकों को लाकांश न देकर उन्हें उतने मूल्य के अंश का स्वामी बना दिया जाये । तथा इस प्रकार समवाय में उनको अधिकार प्राप्त हो जायेंगे । जब ये श्रमिक पर्याप्त संख्या में अंशधारी हो जायेंगे तो बोर्ड के निदेशकों में उनका चुनाव हो सकता है । मेरे विचार से श्री अशोक मेहता तथा

श्री त्रिपाठी आदि को श्रमिकों को इसी प्रकार की सलाह देनी चाहिये जिससे वह बोनस को नगद लेने के बजाय उतने मूल्य के शेयर खरीदा करें । उनमें मितव्ययिता आये ।

श्री के० पी० त्रिपाठी (दरांग) : श्री बंसल ने यह सुझाव दिया है कि लाभांश न देकर श्रमिकों को उतने मूल्य का अंशधारी बना दिया जाये । परन्तु कठिनाई यह है कि भारत के श्रमिकों को जीवन निर्वाह के लिये मजूरी कम मिलती है । तथा इस लाभांश से वह इस कमी को पूरा करते हैं और उन से इस धन को समवाय में लगाने की आशा व्यर्थ है ।

हाल में सरकार ने यह घोषणा की है कि वह अंशाधारियों को लाभांश अंशों के रूप में देने तथा रक्षित निधि के पूंजीकरण की अनुमति देने को तैयार है । यदि सरकार ने इस नीति को स्वीकार कर लिया तो मालिक कम से कम लाभांश वितरित करेंगे तथा शेष को रक्षित कर लेंगे तथा अगले वर्ष लाभांश के अंश जारी कर देंगे । परन्तु इस पूंजीकरण से समवाय के पास बहुत धन हो जायेगा तथा वह और संस्थायें बना लेंगे । इस प्रकार सरकार की इस नीति से श्रमिकों को हानि रहेगी ।

मेरा भी एक संशोधन इस सम्बन्ध में है कि श्रमिकों को प्रबन्धकों में स्थान मिलना चाहिये अथवा नहीं । श्री अशोक मेहता ने कहा कि श्रमिकों को अंशधारियों का स्तर नहीं देना चाहिये क्योंकि यह रूस में असफल रहा है । मेरा नम्र निवेदन है कि रूस में यह प्रयोग ठीक प्रकार से व्यवहार में नहीं लाया गया । मैं उनसे सहमत हूं कि अभी वह समय नहीं आया जब श्रमिक भली प्रकार अंशधारी के स्तर पर कार्य कर सकेंगे । आप कार्य समिति को ले लीजिये, यह इसीलिये असफल हुई क्योंकि श्रमिक इतने बुद्धिमान नहीं थे । अतः मेरा यह मत है कि उनको निदेशकों आदि में अभी स्थान देना नहीं चाहिये केवल उनको लाभांश के स्थान पर अंश दे देने चाहियें तथा श्री अशोक मेहता के कथनानुसार एक प्रयोग करना चाहिये तथा सरकार को इस दिशा में पहला कदम उठाना जाहिये । इस दृष्टिकोण से मेरी प्रार्थना है कि माननीय वित्त मंत्री इस पर उचित ध्यान दें ।

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर) : श्री बंसल के सुझाव के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि सभी लोग देश की दशा को जानते हैं । मालिक बहुत लाभ उठा कर भी श्रमिकों को लाभांश देना नहीं चाहते । सरकार तथा मिल मालिकों को इसका ध्यान रखना चाहिये कि लाभांश लेना श्रमिकों का अधिकार है तथा इसीलिये मेरा विचार है कि मिल मालिक यह समझें कि लाभांश प्राप्त करना श्रमिकों का अधिकार है ।

अब सरकार एक संशोधन के द्वारा पारिभाषिक उपबन्ध को हटाना चाहती है । मैं नहीं समझता प्रति पुरुष में क्या हानि है । यह कहा जाता है कि वह झगड़ा फैलाने वाले हो सकते हैं परन्तु यदि विचार किया जाये तो प्रति पुरुष नियुक्त करने से लाभ अधिक है । मेरा विचार है कि प्रतिपुरुष की प्रथा की अनुमति होनी चाहिये तथा उनको बोलने का भी अधिकार देना चाहिये क्योंकि प्रत्येक अंशधारी

[श्री के० के० बसु]

प्रत्येक बैठक में भाग लेने में असमर्थ होगा ।

खण्ड १८७ में एक संशोधन के द्वारा सरकार उपखण्ड (५क) और रखना चाहती है जिसके द्वारा निदेशकों को यह अधिकार देने की चेष्टा की गई है कि वह कम्पनी के हित में किसी विवरण को परिचालित न करें । पहले यह अधिकार न्यायालय को था । 'भाभा समिति तथा संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रायः निदेशक मण्डली ही षडयन्त्र रचती है तथा अंशधारियों को पीछे डाल देती है । इसलिये लोकहित में तो यह अधिकार एक न्यायालय को ही मिलना चाहिये था परन्तु पता नहीं बैंक समवायों के लिये यह विशेष उपबन्ध क्यों रखा गया है जबकि कुछ बैंक केवल निदेशकों के कारण दिवालिये हुए । अतः मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इस उपबन्ध की कोई आवश्यकता नहीं है ।

खण्ड १६४ के सम्बन्ध में मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया था । परन्तु उसको स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि वह देर से प्रस्तुत किया गया था ।

अन्त में मैं श्रमिकों के निदेशक बोर्ड में प्रतिनिधित्व के बारे में अपने संशोधन पर कुछ कहना चाहता हूं । मेरा विचार है कि श्रमिकों को अब प्रबन्ध में सक्रिय भाग मिलना चाहिये । इस प्रकार अंशधारियों आदि को जो लगाव समवाय से होता है वही लगाव श्रमिकों को भी हो जाता है तथा इस प्रकार प्रबन्धकों के सम्बन्ध में ऐसी बातों की जानकारी हो सकती है जिनकी जानकारी होना बड़ा कठिन होता है । इस सम्बन्ध में हमने सरकार को एक सुझाव दिया है कि इसका प्रभाव निर्वाचन पर भी होगा, इसलिये मेरा विचार है कि सरकार को हमारे इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये ।

सरकार ने यह आवश्यक समझ लिया है कि श्रमिकों को अपनी संस्था में अधिक ध्यान लगाना चाहिये । यह तभी संभव है कि जबकि श्रमिकों का प्रतिनिधित्व प्रबन्ध बोर्ड में हो जायेगा । इन शब्दों से मैं चाहता हूं कि मेरा यह सुझाव स्वीकार कर लिया जाये ।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य) मैं श्री तुलसीदास के इस कथन से सहमत हूं कि सरकार इंगलैंड की विधियों को ही लगभग यहां प्रस्तुत कर रही है । इसी प्रकार भाभा समिति ने 'कोहने' समिति का आधार लिया है । इंगलैंड में उन्होंने निश्चय किया था कि प्रतिपुरुष मत दे सकते हैं तथा बोल नहीं सकते । परन्तु भारत तथा इंगलैंड में बहुत अन्तर है । वह छोटा देश है तथा वहां आने जाने में इतनी असुविधा नहीं होगी जितनी भारत में होती है । इन परिस्थितियों को भी हम अपने ध्यान में रखना चाहिये । श्री एन० सी० चटर्जी ने कहा कि जब तक अंश धारी इस विधि में रूचि प्रकट नहीं करते तब तक इस विधि से कोई लाभ नहीं होगा । परन्तु वे इसमें ध्यान कब लगायेंगे जबकि इसमें इस प्रकार का उपबन्ध रखा जायेगा । इसमें ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिससे अंशधारियों को यह पता लग सके कि कम्पनी में हो क्या रहा है ।

कोई सम्मानित व्यक्ति उस समय तक प्रतिपुरुष बनकर केवल मतदान देना ही

पसंद नहीं करेगा । वह बोलने का अवसर भी चाहता है । सामान्यतः मैं यह पसंद नहीं करता कि कोई बाहर का व्यक्ति आकर चर्चा में भाग ले । परन्तु अंशधारियों को समवाय के हित की भी देखभाल करना पड़ती है; इस कारण मैं समझता हूं कि अंशधारियों को बोलने का अवसर देने में कोई हानि नहीं है ।

श्री एस० एस० मोरे ने सुझाव दिया है कि अंशधारियों को बैठकों में उपस्थित होने के लिए भत्ता दिया जाना चाहिए इस प्रकार तो कोई भी व्यक्ति बहुत से बड़े बड़े नगरों में अंश खरीद कर कम्पनी के व्यय से वहां की यात्रा करने का अनुचित लाभ उठायेगा । इससे कम्पनी दिवालिया हो जायेगी । यदि आप अंशधारियों की संख्या के पांच प्रतिशत भाग को प्रतिनिधि बना कर भेजें तो बात और है । उस अवस्था में मैं चाहता हूं कि प्रत्येक ऐसे प्रतिनिधि को निदेशक के तुल्य भत्ता दिया जाना चाहिए ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : सर्वप्रथम मैं खण्ड ५२ सम्बन्धी अपने भाषण के लिए क्षमा याचना करना चाहता हूं । मुझे यह गलत ख्याल था कि नोटिस के भेजने के चार तरीके हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति को डाक द्वारा नोटिस का भेजना आवश्यक नहीं है । मेरी ऐसी भी धारणा थी कि कम्पनी शासन द्वारा भी नोटिस दे सकती है । परन्तु मेरे एक मित्र ने बताया कि ज्ञापन केवल दो निश्चित प्रयोजनों से दिया जा सकता है तथा कि कम्पनी के लिए डाक द्वारा नोटिस भेजने का तरीका ही एक मात्र तरीका रह जाता है । मुझे खेद है कि खण्ड ५२ के बारे में मुझ से गलती हो गई । इस खण्ड सम्बन्धी अपने भाषण को मैं वापस लेता हूं ।

प्रतिपुरुष मतदान तथा श्रमिकों के प्रतिनिधित्व के विषय पर मैं श्री साधन गुप्त द्वारा प्रस्तुत संशोधन के सिद्धांत से सहमत हूं । कोई कारण दिखाई नहीं देता कि किसी व्यक्ति को जो अंशधारी का सचमुच अभिकर्ता या प्रतिहस्तक (अटार्नी) है, क्यों बोलने का अधिकार न दिया जाय । जहां तक शरारत करने वालों का सम्बन्ध है, शरारत तो एक अंश खरीद कर भी की जा सकती है । जहां, तक अंशों के हस्तान्तरण का सम्बन्ध है मैं चाहता हूं कि इन्कार करने की पूर्ण शक्ति को कम किया जाये । इसमें अपील के अधिकार सम्बन्धी कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मोरे ने भत्ते का सवाल भी उठाया है । मैं जानता हूं कि निदेशक लोगों को बड़ा बड़ा भत्ता मिलता है । मैं यह भी जानता हूं कि अंशभाजक लोग भी बहुत दूर दूर के स्थानों से आते हैं तथा उन्हें भत्ते का देना कठिन है ।

श्री एस० एस० मोरे : मेरा सुझाव यह था कि यात्रा भत्ता केवल उन अंशधारियों को दिया जाये जो इसकी मांग करें ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरा अपना सुझाव भी यही है । ऐसे भत्ते के देने से उन्हें बैठकों में उपस्थित होने में रुचि भी रहेगी । मैं नहीं चाहता कि अंशधारी लोग उपस्थित न हों । यदि आप अंशधारियों को प्रतिपुरुष नियुक्त करने का अधिकार देते हैं तो आप उन्हें बोलने के अवसर देने पर रोक नहीं लगा सकते । उन्हें बोलने का अवसर देने से कार्यवाही बड़ी सजीव बन जायेगी ।

मैं चाहता हूं कि प्रत्येक वर्ष एक की बजाय दो सामान्य बैठकें हुआ करें । दूसरी बैठक में अंशधारी बुलाए

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

तथा उन्हें कम्पनी के कार्य के ब्यौरों को बताया जाये । मैं तो चाहता हूं कि दस लाख या इससे अधिक पूंजी वाली कम्पनियों में अंशधारियों की संस्थाएं होनी चाहिएं जो प्रत्येक छः मास बाद कम्पनी के सभी मामलों पर चर्चा करें । इससे उनकी कम्पनी में रुचि बनी रहेगी।

चिरकाल से बोनस के बारे में कुछ झगड़ा चला आता है । कुछ लोग इसे दान समझते हैं तथा दूसरे एक अधिकार मानते हैं । आज के सभ्य विश्व में मैं मानता हूं कि श्रमिक का प्रबन्ध में हाथ होना चाहिए। जब तक श्रमिक को यह महसूस नहीं होगा कि इस मामले में उसके अपने लाभ और हानि का सवाल, है, वह तन मन से काम नहीं करेगा । यह हड़तालें आदि केवल इसलिये होती हैं कि प्रबन्धक स्वयं को मालिक और श्रमिकों को किराये के व्यक्ति समझते हैं। यदि आप देश में अधिक उत्पादन चाहते हैं और समाजवादी ढंग की व्यवस्था लाना चाहते हैं तो हमें श्रमिकों को फैक्टरी का आवश्यक अंग मानना होगा। इस क्रम पर मैं इस विचार के विरुद्ध नहीं हूं कि श्रमिकों के निदेशक भी प्रबन्ध में लिये जायं । मेरा भय केवल यही है कि क्या इस क्रम पर उन्हें सच्चे और अच्छे निदेशक नहीं मिल सकेंगे । इसके लिए श्रम का शिक्षित होना जरूरी है । आप को उन्हें प्राथमिक क्रम पर सहभागी अवश्य बनाना चाहिये। आखिर मताधिकार देते समय आपने यह तो नहीं सोचा था कि १७ करोड़ व्यक्ति शिक्षित हैं या नहीं । श्रमिकों को प्रबन्ध में भागी बनाने से उन्हें अपने उत्तरदायित्व का अधिक आभास हो जायेगा । ठीक है कि श्रमिक और किसान लोगों में अंशों के खरीदने का सामर्थ्य नहीं होता। इसके लिए बोनस के एक भाग को बोनस शेयरों को परिवर्तित कर देना चाहिए जो श्रमिकों और किसानों को दिए जायें। चीनी कम्पनियों के सम्बन्ध में यह अच्छा रहेगा कि श्रमिकों की मजूरी के एक भाग को समता शेयर बना किया जाये । इसके लिए आप लाभांश के १० प्रतिशत भाग को बोनस शेयर बना कर श्रमिकों को दे सकते हैं ।

अभी आप भले ही श्रमिकों को निदेशक न बनाएं । आप ऐसा कुछ समय पश्चात कर सकते हैं जब आपको श्रम के सद्व्यवहार का संतोष हो जायेगा । अतएव मैं श्री झुनझुनवाला और श्री साधन गुप्त के संशोधनों का समर्थन करता हूं ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं नहीं जानता मैं कि श्रमिकों के प्रतिनिधित्व के बारे में और क्या कर सकता हूं । श्री साधन गुप्त जिन्होंने इस बारे में कई एक संशोधन प्रस्तुत कर रखे हैं, ने कहा है कि सरकार अपनी बातों के अनुसार चले तथा कोई टैक्नीकल सी आपत्तियां न उठाए । मुझे सरकार द्वारा कही गई उन्हीं बातों का पता नहीं हैं । अगले दिन मैंने केवल यह कहा था कि श्रम मंत्री ने एक विलेख तैयार किया है जिसमें उद्योग और श्रम सम्बन्धी सामान्य मामलों में मालिक और श्रम के परस्पर सम्बन्धों के और पहलुओं के साथ साथ इस पहलू पर भी विचार किया गया है । उनका टिप्पण २५ से ३० पृष्ठों का है तथा जैसा कि मैंने कहा, इस समय वह योजना आयोग के सामने है । जब योजना आयोग इसके सभी पहलुओं पर विचार

कर लेगा तो इसे सरकार के सम्मुख रखा जायेगा जो इस पर फैसला करेगी। अतएव हमारे सामने—इस सभा के सामने नहीं, परन्तु निश्चय ही योजना आयोग के सामने—श्रम मंत्रालय के विचार हैं। सरकार के ऐसे दूसरे मंत्रालयों ने अभी उस पर अपने विचार व्यक्त नहीं किए हैं जिन्हें कि इस मामले में कुछ रुचि है। इन मंत्रालयों में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, अर्थ-कार्य मंत्री या सरकारी व्यवसायों का प्रबन्ध चलाने वाले उत्पादन मंत्रालय और रेलवे मंत्रालयों जैसे मंत्रालय हैं। अतएव मुझ से सिद्धान्त रूप में किसी बात के स्वीकार करने के लिए कहने का अभी समय नहीं आया। चाहे वकालत कितनी भी सुन्दर क्यों न हो, मेरे विचार से इस मामले की अच्छाई बुराई के सम्बन्ध में अभी चर्चा करने का समय नहीं है।

मैं नहीं जानता कि अन्ततः किस योजना को स्वीकार किया जायेगा अथवा कि इस प्रकार की योजना को जिसमें कर्मचारियों या उनके किसी भाग को अंशधारी समझा जायेगा या कि उस योजना को जिसमें कर्मचारियों को प्रबन्ध बोर्ड में कुछ भाग दिया जायेगा। इन दोनों तरीकों के सम्बन्ध में कुछ न कुछ कहा जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से मेरा यह मत है कि यदि श्रमिकों को प्रबन्ध में लेना है तो उन्हें इससे कोई विशेष लाभ नहीं पहुंचता कि वह एक वार्षिक बैठक में उपस्थित होते हैं या दो बैठकों में—जैसा कि मेरे पूर्ववक्ता ने कहा है। मेरे विचार से इससे बहुत अच्छा रहेगा कि उन्हें प्रबन्ध बोर्ड से सम्बद्ध करने की बात सैद्धान्तिक रूप से मान ली जायें। यह दूसरे हितों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से तर्कसंगत होगा। कई बार ऋणपत्र-धारियों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है; उनके पास विलेखों में ऐसी शर्त हो सकती है कि ऋणपत्र-धारियों को प्रबन्ध बोर्ड पर प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। यह भी एक सामान्य बात है—जैसा कि मैंने पहली चर्चाओं में कहा है—कि ऋण देने वाला व्यक्ति ऐसी शर्त रख सकता है कि उसके मनोनीत व्यक्ति को निदेशक बनाया जाये। निश्चय ही जहां तक गैर-सरकारी उपक्रमों को प्रत्यक्ष रूप से दिए गए सरकारी ऋणों का सम्बन्ध है, सरकार प्रायः यह शर्त रखती है कि सरकार के एक या दो निदेशक नियुक्त किए जायें। अब इससे सामान्य सिद्धान्त का पता चल जाता है कि अंशधारियों के अतिरिक्त समवाय के प्रबन्ध में अन्य पक्षों का भी हित हो सकता है। उदाहरणार्थ, सरकार समुदाय का निरूपण करती है। समुदाय को कम्पनी के प्रबन्ध में बहुत रुचि होती है। अब आप सर्वत्र ऐसी अपेक्षा नहीं करते कि प्रत्येक उपक्रम में निदेशक नियुक्त किए जायें क्योंकि और भी तरीके हैं जिनसे सरकार उद्योग को नियन्त्रित और नियमित कर सकती है। इस सम्बन्ध में उद्योग नियन्त्रण (विकास और विनियमन) अधिनियम भी है। परन्तु जहां जहां सरकार का अपना वित्तीय हित हो तो मेरा कहना है कि सरकार सामान्यतः सरकारी निदेशकों के रखे जाने की शर्त लागू करती है।

अब यह कहना निरर्थक है कि कर्मचारियों को भी कम्पनी के अच्छे प्रबन्ध में रुचि होती है। कारण यह कि यदि कम्पनी का प्रबन्ध अच्छा न हो

[श्री सी० डी० देशमुख]

और हानि पर काम कर रही हो तो उनकी अपनी नौकरी को खतरा रहता है तथा वे सरकार से दूसरी प्रणालियों द्वारा अपील करते हैं कि किसी व्यवसाय विशेष को बचाने के उपाय किए जायें। इलाज से परहेज़ अच्छा होता है। अतएव यह तर्क दिया जा सकता है कि यदि श्रमिकों को कम्पनियों के वास्तविक प्रबन्ध में भाग दिया जाये तो अच्छा होगा।

इन सब बातों पर बहस हो सकती है। सरकार ने किसी बात का अन्तिम रूप से फैसला नहीं किया है। वह योजना आयोग की मंत्रणा की प्रतीक्षा करेगी। इस कारण यदि मैं किसी विशेष मामले के दोषावगुणों का वर्णन करूं तो उससे कोई लाभ नहीं होगा।

उदाहरणार्थ, जिन बातों के उदाहरण हम यूगोस्लाविया और रूस से लेना चाहते हैं, उनके बारे में हमें यह अवश्य स्मरण रहना चाहिये कि हमारा सम्बन्ध केवल सार्वजनिक उपक्रमों से ही है जबकि यह विधेयक मुख्यतः गैर-सरकारी उपक्रमों के बारे में है। इसमें एक छोटा सा अध्याय सरकारी कम्पनियों के बारे में है जो सार्वजनिक उपक्रम अथवा मिश्रित उपक्रम हो सकते हैं परन्तु इस विधेयक का मुख्यतः सार्वजनिक उपक्रमों से सम्बन्ध है। अतएव यूगोस्लाविया बल्कि रूस में भी बिल्कुल इसी जैसा उदाहरण कोई नहीं है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : जर्मनी के बारे में आपका क्या विचार है?

श्री सी० डी० देशमुख : जर्मनी में उन्हें राष्ट्रीयता अथवा संविधान की दृष्टि से सदस्य नहीं समझा जाता तथा न ही वे निदेशक बोर्ड में लिए जाते हैं। पश्चिमी जर्मनी में कम्पनियों का ढांचा और प्रकार का है। उन्होंने एक और निकाय 'अधीक्षण परिषद का वर्णन किया है उस परिषद् में श्रमिकों के प्रतिनिधि होते हैं। हमें जो सूचना प्राप्त है, ऐसा मालूम होता है कि इस परिषद के फैसलों में श्रमिकों के प्रतिनिधियों का अधिक दखल नहीं होता। परन्तु यह तो व्यवस्था के चलाने सम्बन्धी प्रश्न है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह परिषद भी तुलनात्मक एक दूर के सम्बन्ध वाली निकाय है जिसे वास्तविक अधीक्षण और नियन्त्रण में बहुत सीमित सी शक्तियां प्राप्त हैं क्योंकि वास्तव में प्रबन्ध बोर्ड अर्थात कम्पनी के निदेशक बोर्ड ही प्रभावशाली निकाय होता है।

श्री अशोक मेहता : मैं बताना चाहता हूं कि पश्चिमी जर्मनी अधीक्षण परिषद का स्थान सामान्य निकाय और निदेशक बोर्ड के बीच में है परन्तु जैसा आपने कहा प्रबन्ध निदेशकों के हाथों में होता है। तीन निदेशक नियुक्त किये जाते हैं जिनमें से एक श्रम का होता है। तीनों निदेशकों का सांझा उत्तरदायित्व होता है। इससे श्रमिक प्रबन्ध पर काफ़ी प्रभाव डाल सकते हैं।

श्री सी० डी० देशमुख: संभव है; परन्तु सक्रिय संस्था प्रबन्ध बोर्ड है।

श्री एस० एस० गुरुपादस्वामी : प्रबन्ध बोर्ड में भी श्रमिकों का भाग है।

श्री सी० डी० देशमुख : मैंने यह नहीं कहा है कि प्रबन्ध बोर्ड में भाग लेने पर प्रतिबन्ध है। मैं यह कहना चाहता हूं कि २५ प्रतिशत----अथवा यह अधीक्षण परिषद में जो भी हो, ऐसा अनुपात है जो अन्यत्र कहीं

भी नहीं है। वास्तविक अधिकार प्रबन्ध बोर्ड को प्राप्त हैं।

जैसा मैंने कहा यह संस्था सक्रिय संस्था है तथा यही वास्तव में प्रशासक और समवाय की प्रतिनिधि है और उसके अधिकार पर कोई नियंत्रण नहीं है। जर्मन विधि में यह दिया हुआ है कि जापान अथवा अधीक्षण परिषद् द्वारा प्रबन्ध बोर्ड पर लगाये गये नियंत्रण का सम्बन्ध समवाय तथा उसी से होगा तथा तीसरी पार्टी का उस से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। दूसरे शब्दों में प्रबन्ध बोर्ड तीसरी पार्टी से संविदा कर सकता है तथा तीसरी पार्टी के द्वारा समवाय का कार्य करा सकता है तथा अधीक्षण परिषद् उसमें कोई रुकावट नहीं डाल सकती है। अधीक्षण परिषद् को प्रश्नों के पूछने तथा सूचना के प्राप्त करने का अधिकार है और वह प्रबन्ध बोर्ड से समय समय पर समवाय के कार्यों का प्रतिवेदन भी मांग सकती है।

निगम विधि के एक विद्वान ने बताया है कि "१८७० की पुरानी जर्मन विधि का मूलभूत विचार कुछ भी हो परन्तु वर्तमान विचार यह है कि प्रबन्ध बोर्ड ही मुख्य अधिकारी है। तथा अधीक्षण परिषद् के सदस्यों को जर्मन पद्धति के आलोचक, केवल धनिकों का सम्मेलन समझते है; यह एक ऐसा तथ्य है जिससे अधीक्षण परिषद् में कुछ व्यक्तियों को कुछ अधिक पद मिल जाते हैं।"

इसलिये जैसा मैंने बताया कि यह पद्धति कुछ भिन्न है तथा अपना अलग उदाहरण है, जहां श्रमिकों का प्रबन्ध में प्रत्यक्ष रूप में तथा अप्रत्यक्ष रूप में, प्रतिनिधित्व है। इसके अतिरिक्त, मुझे ज्ञात नहीं कि अन्य भी कोई उदाहरण है। परन्तु जैसा मैंने बताया कि इससे उपयुक्त निर्णय करने में हमें कोई बाधा नहीं होगी। इस समय मेरे पास कागजात न होने के कारण, यह बताना संभव नहीं है कि श्रमिकों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में श्रम मंत्री की क्या सिफारिशें हैं। केवल मैं यह कह सकता हूं कि योजना आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने पर ही सरकार इस पर विचार करेगी तथा तब तक संभव नहीं है कि सरकार की ओर से इस प्रकार के सिद्धान्त को स्वीकार करने तथा उसकी कार्यान्वित सम्बन्धी किसी संशोधन को स्वीकार करूं।

कई और सवाल भी उठाए गए हैं उनमें विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरणार्थ ऋण के खण्ड ७६ के उपबन्ध तथा अन्य सुझाव हैं जिनका यहां कुछ व्यक्ति समर्थन करते हैं अर्थात कि लाभांश के नियमित होने की अवस्था में उनको अंश का रूप देना आदि। मेरे विचार से इस सुझाव से वास्तविक समस्या का हल नहीं होगा। क्योंकि श्रमिक अपने धन के बदले ही कुछ प्राप्त करते हैं तथा यह अधिकार प्रत्येक दूसरे नागरिक को भी है। वह अपने समवाय के अतिरिक्त और कहीं से भी धन ले सकते हैं। यदि कोई नागरिक ऋण लेता है अथवा अपनी नियमित या आकस्मिक आय को कम्पनी के शेयरों में लगाता है तो ऐसा करने से तो हम उसे कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं दे रहे हैं। इसलिये मेरे विचार से श्रमिकों के प्रतिनिधित्व के सवाल पर हमें इसके दोष और अवगुणों को सामने रखत हुए विचार करना होगा। यह सवाल यह है कि प्रबन्ध में श्रमिकों को किसी न किसी रूप में प्रतिनिधित्व दिया जाये।

एक माननीय सदस्य ने सरकार के बोनस शेयरों सम्बन्धी निणय की ओर

[श्री सी० डी० देशमुख

निदश किया। मेरे विचार से उनकी आलोचना गलत है। वह रिज़र्व के संग्रह के सम्बन्ध में कह रहे थे तथा उनको लाभांश अंशों में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में नहीं। यदि इस रिज़र्व को समवाय के कार्यों में लगा दिया गया तो जैसा उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि अंशधारियों की आस्तियों की पूंजी बढ़ा देंगे। जैसे मूलतः १०० रुपये का अंश है, यदि मूल पूंजी के बराबर ही रिज़र्व है, परन्तु फिर भी सही बज़ार भाव २०० रुपये है तथा इस प्रकार वह अपना अंश बेच कर १०० रुपये अतिरिक्त कमा सकता है। संभव है मैं समस्या को आसान समझता हूं क्योंकि गणित का सम्बन्ध नहीं है, समवाय रिज़र्व को ही लाभांश अंशों में परिवर्तित करना चाहता है। अंशधारियों की स्थिति वैसी ही रहेगी। १०० रुपये के लाभ के स्थान पर उसको १०० रुपये तथा १०० रुपये पर, लाभांश वितरित होगा। इससे कुछ लाभ भी होगा कि जब लाभांश घोषित किये जायेंगे तो वह कुल पूंजी की प्रतिशतता के आधार पर। इसलिये यदि पूंजी दुगनी हो गई तो लाभांश भी अधिक नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, मूल पंजी पर ८ प्रतिशत लाभांश न दे कर, मूल पूंजी के बराबर लाभांश अंश जारी करने से लाभांश ४ प्रतिशत होगा। संभव है अतिरिक्त लाभ देकर समवाय आलोचना से बचना चाहते हों। परन्तु जो व्यक्ति इस विषय का जानकार है वह जानता है अथवा उसको जानना चाहिये कि लाभ काम में लगी कुल पूंजी पर आंका जाना चाहिये अर्थात् केवल मूल पूंजी ही नहीं प्रत्युत रिजर्व आदि के द्वारा लगी हुई कुल पूंजी देनी चाहिये। माननीय सदस्य ने शिकायत की है कि लाभ का वितरण नहीं किया जाता इसलिये लाभ के धन को अवितरित न करके रिज़र्व में रखने के स्थान पर लाभांश के बटवारे का दावों को शक्ति मिल जाये। हमें इस मामले को दूसरी प्रकार से सुलझाना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, यह जानते हुए भी कि न्यायालय का विनिर्णय है तब भी समवाय बड़ी बड़ी धनराशियों को लाभांश वितरित न करने रिज़र्व में रखाना चाहते हैं। दूसरी ओर हम जानते हैं कि जनता का हित, कुछ लाभ वितरित न करने में हैं परन्तु रिज़र्व पर विचार करके तथा ग़ैर-सरकारी क्षेत्र की बढ़ोत्तरी में सहायता करने में हैं। दूसरे शब्दों में उद्देश्य परस्पर विरोधी होते हैं तथा स्वयं हम समय समय पर विभिन्न प्रकार की कार्यवाही का आरोप लगाया जा सकता है। एक ओर हमने आय-कर अधिनियम की धारा २७ए का संशोधन किया है जिससे कुछ परिस्थितियों वाली सार्वजनिक कम्पनियां अधिकाधिक संख्या में इसके क्षेत्र में आ जाती हैं। दूसरी ओर हम अवितरित लाभ पर एक आने का अवहार (रीबेट) देते हैं। हम पर इस प्रकार से रक्षित निधियों के एकत्र करने का आरोप आ सकता है। इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करना होगा तथा यदि पता चले कि बहुत अधिक रक्षित निधियां रखी जा रही हैं अथवा ऐसी मनोवृत्ति है—और यह श्रमिकों के दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि उपभोगताओं के दृष्टिकोण से भी—तो इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ करना होगा। इसी कारण अगले दिन एक सवाल का उत्तर देते हुए मैंने कहा था कि बोनस शेयरों के जारी करने में अनुमति देने के प्रश्न पर इस विचार का कोई प्रभाव नहीं है कि क्या इस पर कर के लगाने या न लगाने का

कोई फैसला किया गया है । दूसरे शब्दों में हम इस पर अब भी कर लगा सकते हैं । प्रत्येक सम्बन्धित व्यक्ति के हित में हमें यह चुनौती देनी चाहिये कि अब जो कुछ भी जारी किया गया है, उस पर कर लगाया जा सकता है क्योंकि चालू वित्तीय वर्ष में किए गए सौदों पर कर लगा सकता है । अभी मैं यह नहीं कह सकता कि यदि कर लगाने का फैसला हुआ भी तो उस कर का रूप क्या होगा । मैं इतना कह सकता हूं कि बोनस शेयर लेने वाले किसी व्यक्ति को यह विचार नहीं कर करना चाहिये कि वह किसी कर से, जिसके लगान का हम विचार करें, बचा रहेगा । जब तक माननीय सदस्य का विचार यह नहीं कि बोनस शेयरों की ही सर्वथा अनुमति न दी जाये, तब तक उनके कथन का यही मतलब है कि अत्याधिक रक्षित निधि न बनाई जाये ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मेरा कहना यह नहीं है । मेरा यह कहना है कि इस पूंजीकरण की प्रक्रिया में श्रमिक को हानि नहीं पहुंचनी चाहिये । उद्योगपति कहीं यह न समझ लें कि श्रमिकों को बोनस देने की बजाय उस धन का पूंजीकरण ही क्यों नहीं किया जाये जिससे यह स्वयं हमारा धन हो जाये ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैंने भी यही कहा था । एक प्रकार से यह पूंजी ही है । जब तक लाभ का वितरण नहीं होता तथा उन्हें रक्षित निधि में रखा जाता है, तब तक माननीय सदस्य के विचार से हानि पहुंचेगी । इसमें बोनस शेयरों के देने की अग्रेतर कार्यवाही का सवाल नहीं है । यह एक अलग सवाल है । रक्षित धन को पुनः व्यापार में लगा देने या बोनस शेयर देने में बहुत कम अन्तर है । मैं फिर कह दूं कि हम इसे सिद्धान्त रूप में स्वीकार करने में असमर्थ हैं परन्तु इसका अर्थ यह न लिया जाय कि हम इसके विरुद्ध हैं । कारण यह कि श्रम मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में योजना आयोग को कुछेक ठोस सुझाव प्रस्तुत कर रखे हैं ।

अब मैं प्रतिपुरुष की नियुक्ति के प्रश्न को लेता हूं । कोहेन समिति का विचार था कि प्रतिपुरुष का यह महत्त्वपूर्ण अधिकार है कि उसे मत देने और बोलने का अवसर प्राप्त हो । उन्होंने ऐसी सिफारिश भी की है । यह भी एक तथ्य है कि जब यह अधिनियम पारित हुआ था तो यह अधिकार केवल प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों को दिया गया था तथा सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों को नहीं । इस संसार के बहुत से मामलों पर मतभेद हो सकता है । संसद के बहुत से सदस्य जिन्होंने कोहेन समिति की सिफ़ारिशों का अध्ययन किया है, इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कुछेक कारणों से जो उन्हें ठोस और विश्वासित जान पड़े हैं प्रतिपुरुषों को सार्वजनिक कम्पनियों में बोलने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिये । अब वैसा ही तर्क यहां भी दिया गया है तथा संयुक्त समिति पर इसका प्रभाव जान पड़ता है । इस मामले में मैं मतभेद रखता हूं ।

मुख्य क्षेत्र में अर्थात् सार्वजनिक कम्पनियों में गड़बड़ी की सम्भावना अथवा किसी कटु अनुभव के विचार से जो बम्बई की कुछेक कम्पनियों के सन्बन्ध में हुआ, हमने सार्वजनिक कम्पनियों में बोलने के अधिकार को नहीं माना है बात यह नहीं कि हमने प्रथम तो उनके मतदान के अधिकार को नहीं माना था परन्तु उनके मतदान से सहमत हो गए थे । प्रक्रिया इसके विपरीत रही है । पहले

[श्री सी० डी० देशमुख]

हमने यह कहा था अर्थात् समिति ने यह कहा था कि—और यह सुझाव हमारी समिति का नहीं था बल्कि कोहेन समिति का था—इनके विचार से सार्वजनिक और प्राइवेट दोनों प्रकार की कम्पनियों में प्रतिपुरुष को बोलने का अधिकार होना चाहिए। तब किसी ठीक कारण से ही उन्होंने यह कहा कि "सार्वजनिक कम्पनियों में उन्हें बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए"। इसी कारण हमारी यह दशा है। अब यदि कोई अभ्यावेदन किया जाये कि जो कुछ सार्वजनिक कम्पनी के बारे में सत्य है, वह एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में भी ठीक हो सकता है, फिर आप प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में बोलने का अधिकार क्यों देते हैं ? इसके विरुद्ध हमें यह बताया जा सकता है कि अवयस्कों और विधवा स्त्रियों की ओर से सम्भवतः कोई बोलने वाले न हों तथा इस कारण यह अच्छा होगा कि प्राइवेट कम्पनियों में उनके प्रतिपुरुषों को बोलने का अधिकार दिया जाना चाहिए। अब यह एक दृष्टिकोण है। हमने संयुक्त समिति में इसे सामने रखा था। अब हम में से कोई एक भी ऐसा उदाहरण नहीं बता सका जिसमें प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों में अंशधारियों के हित के प्रतिकूल ऐसी अक्षमता देखने में आई हो। इसके विपरीत यह आरोप लगाया गया है कि प्राइवेट कम्पनियों में भी ठीक उसी प्रकार से गड़बड़ी की जा सकेगी जैसा कि सार्वजनिक कम्पनियों में पहले हुआ करती थी जबकि बोलने का अधिकार माना जाता था। इस कारण हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस अधिकार को उनसे ले लेना चाहिए और इस प्रकार प्राइवेट और सार्वजनिक कम्पनियों को समतल पर लाकर परिणामों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि अनुभव से पता लगा कि किसी दुरुपयोग को दूर करने की आवश्यकता है तो हमारे लिए विधि का संशोधन करना सम्भव हो सकेगा। इस समय तो हम सैद्धान्तिक विचारों का अनुसरण ही कर रहे हैं, जहां तक निजी समवायों का सम्बन्ध है, बहुत थोड़े से साक्ष्य पर ही निर्भर रह रहे हैं।

इसके सम्बन्ध में इतना ही कहना है इसलिए मैं निजी सीमित समवाओं में प्रतिपुरुष से सम्बन्धित अपने संशोधन को प्रस्तुत करता हूं।

ये ही दो मुख्य प्रश्न यहां उठाये गये थे। कुछ साधारण प्रश्न भी थे। श्री तुलसीदास ने पूछा था कि खंड १६१ के पीछे क्या तर्क है। तर्क यह है कि व्यापार जगत में चलने वाला लड़का तथा चलने वाला घोड़ा दोनों ही होते हैं। यह सम्भव है कि किसी छोटे कर्मचारी को इन आय के लेखों को भेजने का काम सौंपा जाये। मुझे ज्ञात हुआ है कि मद्य निषेध विधि के विरुद्ध अपराधों में यह एक रिवाज हो गया है कि मुख्य अपराधी १२ या १३ वर्ष के लड़कों को इस घृणित कार्य में लगाते हैं और वे पकड़े जाते हैं तथा सुधार-गृह में भेजे जाते हैं अथवा यह चेतावनी देकर छोड़ दिये जाते हैं जब कि मुख्य व्यक्ति दंड की सीमा से बाहर रहता है। सम्भव है कि ऐसी ही बात यहां पर भी हो कि आदेश देने वाला व्यक्ति दूर रहे तथा उसे विश्वास भी हो कि असफलता मिलेगी और यदि असफलता हुई तो किसी छोटे पदाधिकारी को उसका दंड मिलेगा। इसीलिए उस व्यक्ति को, जिसके, अधिकार के अधीन दूसरे कर्मचारी ने यह कार्य किया है, घसीटना न्यायोचित है : यही अभाव यहां उपस्थित है, चाहे यह माननीय

सदस्यों को भला लगे अथवा न लगे, मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अच्युण्णि ने दो छोटे प्रश्न उठाये थे। उनके विचार से दी गई अवधि बहुत लम्बी है। इसके विपरीत हमारे विचार से उनके द्वारा सुझाई गई अवधि बहुत कम है।

अब जांच करने वालों का प्रश्न है। भाभा समिति ने यह कहा है कि यह सभी मामलों में अनिवार्य होना चाहिए। संयुक्त समिति का भी यही मत था। इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहा जा सकता है।

तत्पश्चात् श्री झुनझुनवाला का संशोधन था जिस पर मैंने विचार किया है क्योंकि वे चाहते हैं कि प्रतिपुरुष को मत देने का तथा मतदान करवाने का, तथा मतदान करवाने के लिए एक न्यूनतम संख्या की आवश्यकता जताने का अधिकार न हो, आदि। सामान्यतः यह सब मेरे उत्तर के अन्तर्गत आता है। इन सारे मामलों में पांच की संख्या अच्छी है या एक की, एक सदस्य पर्याप्त होगा अथवा पांच; यह तो व्यक्तिगत मत का विषय है। मैं केवल यही कह सकता हूं कि हमारी योजना, जिस पर कि संशोधन हो सकते हैं—यद्यपि हमने अभी किसी संशोधन का सुझाव नहीं रखा है—से काफी लोग सहमत हैं।

मैं सब कुछ कह चुका हूं। मैं अपने संशोधनों को प्रस्तुत करता हूं तथा अन्य सभी संशोधनों का विरोध करता हूं।

श्री के० के० बसु : मेरे संशोधन संख्या ४५९ का क्या हुआ ? बैंकिंग समवायों से सम्बन्ध रखने वाले खंड को रखने का क्या कारण है ?

श्री सी० डी० देशमुख : न्यायालय को अधिकार दे दिया गया है जिसका कि सामान्य समवाय प्रयोग करेंगे : इससे कुछ विलम्ब होगा तथा यह केवल मान-हानि के मामलों से सम्बन्ध रखता है। हम बैंक में बदनामी से इतना सम्बन्ध नहीं रखते जितना कि किसी प्रकार की कीचड़ उछालने से जिससे कि उस संस्था की साख को खतरा हो। इसे मान-हानि नहीं कहा जा सकता। यदि यह मामला न्यायालय में जाता है तो वह कह सकते हैं कि इसमें बदनामी की कोई बात नहीं है यद्यपि वह कहता है कि वह विशेष ऋण बुरा है और वह नहीं दिया जाना चाहिए था, आदि। यह आलोचना वैध हो सकती है। निदेशक केवल यह चाहते हैं कि परिचालन के पूर्व—हम जानते हैं कि परिचालन के पश्चात् सबको ज्ञात हो जायेगा—सारे अंशधारियों को इस पर चर्चा करने का अवसर मिले। ऐसा नहीं है कि चर्चा रोक दी गई है। यदि वक्तव्य के आधार पर कोई संकल्प हो तो उसे भी परिचालित किया जायेगा। यह केवल इस १,००० शब्दों के वक्तव्य के विरुद्ध है जिसमें कि बैंक की साख के सम्बन्ध में हानिकारक बातें हो सकती हैं। इसलिए हम ये शक्तियों निदेशकों को देना चाह रहे हैं। अतः मैं सोचता हूं कि इस प्रकार की आकस्मिकता न्यायालय के अधिकार के अन्तर्गत नहीं आयेगी।

श्री के० के० बसु : खंड १६४ से १६९ तक के सम्बन्ध में मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधनों का क्या हुआ ?

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे दुःख है। यह ऐसा जटिल विधेयक है, जब तक

[श्री सी० डी० देशमुख]

मुझे यह बताया नहीं जायेगा कि वह संशोधन क्या है— क्योंकि मैं पहली बार ही माननीय सदस्य के मुंह से सुन रहा हूं कि उनका कोई संशोधन है। कोई पांच मिनट पूर्व एक अन्य सदस्य मेरे पास आये थे तथा संशोधनों का एक गट्ठा लाये थे। उन्होंने कहा कि क्या आप इनसे सहमत हैं, क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय ने कहा है कि यदि आप इनसे सहमत होंगे तो वे भी सहमत हो जायेंगे। वस्तुतः मैं ऐसा दायित्व नहीं ले सकता हूं क्योंकि इस स्थिति में मुझे अपना ध्यान और दो तीन बातों की ओर देना पड़ता है। पहला धाराओं को देखना, टिप्पणी लेना तथा माननीय सदस्य जो कुछ भी कह रहे हों उसे सुनना; और तीसरा अपना उत्तर प्रस्तुत करना; चौथा मुझे एसे संशोधनों का भी अध्ययन करना पड़ता है जिनकी मुझे कोई पूर्व सूचना नहीं मिली हो। इसीलिए मैं अनुभव करता हूं कि मैं इनके साथ न्याय नहीं कर सकूंगा।

श्री के० के० बसु : मैंने पूर्व सूचना आज प्रातःकाल दी थी। मैं "प्रत्येक निदेशक" शब्दों के पश्चात् "और समवाय का प्रत्येक सदस्य" शब्द जोड़ना चाहता हूं।

श्री सी० डी० देशमुख : यदि मैंने इस संशोधन को आधा घंटा पूर्व देख लिया होता तो मैं इस पर कुछ विचार कर सकता था।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय आपके संशोधन को स्वीकार कर लें तो मैं पूर्व सूचना की अवहेलना कर सकता हूं। अब क्योंकि यह संशोधन स्वीकार नहीं किया गया है, अतः पूर्व सूचना का निर्बन्धक नहीं हटाया जा सकता।

अब मैं संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। यदि सभा को आपत्ति न हो तो मैं केवल उन संशोधनों को रखूंगा जिन्हें कि माननीय सदस्य रखना चाहते हैं। अन्य संशोधनों को प्रस्तुत हुआ नहीं माना जाये क्योंकि ऐसा करना आवश्यक नहीं है। खण्ड १४५ से १९६ पर प्रस्तुत किये गये संशोधन इस प्रकार हैं :—संशोधन संख्या ३१६, ४५८, २८०, ३०६, और ४६६।

खंड १४५— समवाय का पंजीबद्ध कार्यालय

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> पृष्ठ ७४, उपखण्ड (४), पंक्ति ४ में
>
> "during which it so carries on business" [जिस दौरान में वह इस प्रकार कारबार चलाता है] शब्दों के स्थान पर "during which default continues" [जिस दौरान में चूक चलती रहती है] शब्द रखे जायें।"

श्री साधन गुप्त द्वारा नया खंड १६४-क वाला अपना संशोधन संख्या ४५८ प्रस्तुत किया गया।

खंड १७३—बैठक के लिये गणपूर्ति

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> पृष्ठ ८९,
>
> खंड १७३ को उस खंड का उपखंड (१) संख्या दी जाये और इस खंड के उपखंड (२) से

(५) के रूप में निम्नलिखित उपखंड जोड़ दिये जायें :

“(2) Unless the articles of the company otherwise provide, the provisions of sub-sections (3), (4) and (5) shall apply with respect to the meetings of a public or private company.

(3) If within half an hour from the time appointed for holding a meeting of the company, a quorum is not present, the meeting, if called upon the requisition of members, shall stand dissolved.

(4) In any other case, the meeting shall stand adjourned to the same day in the next week, at the same time and place, or the such other day and at such other time and place as the Board may determine.

(5) If at the adjourned meeting also, a quorum is not present within half an hour from the time appointed for holding the meeting, the members present shall be a quorum.”

[(२) यदि समवाय के सीमानियम अन्यथा उपबन्ध न करें तो उपधारा (३), (४) और (५) के उपबन्ध एक लोक या निजी समवाय की बैठकों के सम्बन्ध में लागू होंगे।

(३) यदि समवाय की बैठक करने के लिये नियुक्त समय से आध घंटे के भीतर गणपूर्ति उपस्थित न हो, तो बैठक, यदि वह सदस्यों की मांग पर बुलायी गयी हो तो, विघटित हो जायेगी ।

(४) किसी दूसरी स्थिति में, बैठक अगले सप्ताह के उसी दिन, उसी स्थान और उसी समय तक के लिये, या उस अन्य दिन, उस स्थान और उस समय तक के लिये जैसा बोर्ड निश्चित करे, स्थगित हो जायेगी ।

(५) यदि स्थगित बैठक में भी बैठक करने के लिये नियुक्त समय से आध घंटे के भीतर गणपूर्ति उपस्थित न हो, तो उपस्थित सदस्यगण ही गणपूर्ति माने जायेंगे ।]

खंड १७५—(प्रतिपत्री)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ८९, उपखंड (१), पंक्ति २८ से ३० में—

“and a proxy so appointed by a member of a private company shall also have the same right as the member to

[श्री सी० डी० देशमुख]

speak at the meeting." [और एक निजी समवाय के एक सदस्य द्वारा इस प्रकार नियुक्त किये गये एक प्रतिपत्री को भी बैठक में बोलने का उस सदस्य जैसा ही अधिकार होगा] शब्दों के स्थान पर "but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting." [किन्तु इस प्रकार नियुक्त किये गये एक प्रतिपत्री को बैठक में बोलने का कोई अधिकार न होगा] शब्द रखे जायें ।

खंड १८७—सदस्यों के संकल्पों का परिचालन

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ९४, पंक्ति २७ के बाद निम्नलिखित रखा जाये :

"(5A) A banking company shall not be bound to circulate any statement under this section, if, in the opinion of its Board of directors, the circulation will injure the interests of the company."

[(५क) एक बैंकिंग समवाय इस धारा के अधीन किसी विवरण को परिचालित करने के लिये बाध्य न होगा, यदि उसके निदेशक बोर्ड का विचार है कि परिचालन समवाय के हितों को हानि पहुंचायेगा ।]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब संशोधनों को सभा में मतदान के लिये रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ ७४, उपखंड (४), पंक्ति ४ में

"during which it so carries on business" [जिस दौरान में वह इस प्रकार कारबार चलाता है] शब्दों के स्थान पर "during which default continues" [जिस दौरान में चूक चलती रहती है] शब्द रखे जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १४५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १४५, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १४६ से १६४ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १४६ से १६४ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४५८ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १६५ से १७२ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

***खंड १६५ से १७२ विधेयक में जोड़ दिये गये ।**

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ट ८९,

खंड १७३ को उस खंड का उपखंड (१) संख्या दी जाये और इस खंड के उपखंड (२) से (५) के रूप में निम्नलिखित उपखंड जोड़ दिये जायें :

"(2) Unless the articles of the company otherwise provide, the provisions of sub-sections (3), (4) and (5) shall apply with respect to the meeting of a public or private company.

(3) If within half an hour from the time appointed for holding a meeting of the company a quorum is not present, the meeting, if called upon the requisition of members, shall stand dissolved.

(4) In any other case, the meeting shall stand adjourned to the same day in the next week, at the same time and place, or to such other day and at such other time and place as the Board may determine.

(5) If at the adjourned meeting also, a quorum is not present within half an hour from the time appointed for holding the meeting the members present shall be a quorum."

[(२) यदि समवाय के सीमा-नियम अन्यथा उपबन्ध न करें, तो उपधारा (३), (४) और (५) के उपबन्ध एक लोक या निजी समवाय की बैठकों के सम्बन्ध में लागू होंगे ।

(३) यदि समवाय की बैठक करने के लिये नियुक्त समय से आध घंटे के भीतर गणपूर्ति उपस्थित न हो, तो बैठक, यदि वह सदस्यों की मांग पर बुलायी गयी हो तो विघटित हो जायेगी ।

(४) किसी दूसरी स्थिति में, बैठक अगले सप्ताह के उसी दिन, उसी स्थान और उसी समय तक के लिये, या उस अन्य दिन, उस स्थान और समय तक के लिये, जैसा बोर्ड निश्चित करे, स्थगित हो जायेगी ।

(५) यदि स्थगित बैठक में भी बैठक करने के लिये नियुक्त समय से आध घंटे के भीतर गणपूर्ति उपस्थित न हो, तो उपस्थित सदस्यगण ही गणपूर्ति माने जायेंगे ।]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १७३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १७३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

---

*खण्ड १६५ उपखण्ड (१) (ग) पंक्ति ४७ में अध्यक्ष के आदेशानुसार प्रत्यक्ष गलती के रूप में 'समाप्ति पर' शब्दों के स्थान पर 'समाप्ति के पश्चात्' शब्द रखे गये ।

*खण्ड १६५ उपखण्ड (२) पंक्ति १८ में अध्यक्ष के आदेशानुसार प्रत्यक्ष गलती के रूप में 'कस्बा' शब्द के पूर्व 'नगर' शब्द निविष्ट किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १७४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १७४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ८९, उपखंड (१), पंक्ति २८ से ३० में—

"and a proxy so appointed by a member of a private company shall also have the same right as the member to speak at the meeting", [और एक निजी समवाय के एक सदस्य द्वारा इस प्रकार नियुक्त किये गये एक प्रतिपत्री को भी बैठक में बोलने का उस सदस्य जैसा ही अधिकार होगा] शब्दों के स्थान पर "but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting." [किन्तु इस प्रकार नियुक्त किये गये एक प्रतिपत्री को बैठक में बोलने का कोई अधिकार न होगा] शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १७५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १७५, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १७६ से १८६ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

***खंड १७६ से १८६ विधेयक में जोड़ दिये गये ।**

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ९४, पंक्ति २७ के बाद निम्नलिखित रखा जाये :

(5 A) A banking company shall not be bound to circulate any statement under this section, if, in the opinion of its Board of directors, the circulation will injure the interests of the company." [(५क) एक बैंकिंग समवाय, इस धारा के अधीन किसी विवरण को परिचालित करने के लिये बाध्य न होगा, यदि उसके निदेशक-बोर्ड का विचार है कि परिचालन समवाय के हितों को हानि पहुंचायेगा ।]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १८७, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १८७, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

---

*खंड १८१ पंक्ति ३९ में अध्यक्ष के आदेशानुसार प्रत्यक्ष गलती के रूप 'मतदान करते हुए' शब्दों के स्थान पर 'मतदान का अधिकार प्रयोग करते हुए' शब्द रखे गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि खंड १८८ से १९६ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १८८ से १९६ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड १९७ से २०७

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब खंड १९७ से २०७ पर विचार करेगी । जिन सदस्यों को संशोधन प्रस्तुत करने हों वे कृपया खंडों का उल्लेख करते हुए अपने संशोधनों की संख्यायें सभा पटल पर रख दें । वे संशोधन प्रस्तुत हुए माने जायेंगे ।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरे पास ४ संशोधन हैं । खंड १९७ पर दो और खंड २०३ पर दो । खंड १९७ के संशोधनों की संख्यायें २८१ और ५०९ हैं और खंड २०३ के संशोधनों की संख्यायें ३०७ और ३०८ हैं । इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण संशोधन २८१ है, जिसका आशय उपखंड ४ में एक परन्तुक जोड़ना है । मैं सारा परन्तुक नहीं पढ़ूंगा । लेकिन इसका उद्देश्य केन्द्रीय सरकार को विशेष परिस्थितियों में न्यूनतम पारिश्रमिक में वृद्धि करने की मंजूरी देना है । अपने पहले भाषणों में एक दो अवसरों पर—मेरे विचार से चर्चा के दूसरे पाठ के प्रारम्भिक भाषण में—मैंने इस विशेष संशोधन का जिक्र किया था । इस संशोधन का इतिहास यह है । खंड १९७ मूल विधेयक में नहीं था । संयुक्त समिति ने अपने कार्य के दौरान यह अनुभव किया कि जिस प्रकार प्रबन्ध अभिकरण की कुल कमीशन की एक सीमा है उसी प्रकार कुल व्यवस्था के व्यय की भी एक सीमा होनी चाहिये । इसलिये हमने प्रबन्ध अभिकर्ताओं के लिये १० प्रतिशत के स्थान पर ११ प्रतिशत रखा । जो मूल खंड संयुक्त समिति के सम्मुख लाया गया था उसमें वेतनों को छोड़ने की बात आती थी अर्थात् उसके अन्तर्गत केवल कमीशन आती थी, निदेशकों के शुल्क या वेतन नहीं आते थे । तब यह अनुभव किया गया कि यदि वेतन अलग किया जायेगा तो ११ प्रतिशत की सीमा से बढ़ा भी जा सकता है अतः वेतन को भी सम्मिलित करना ठीक रहेगा ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

यद्यपि ५०,००० रुपये की राशि अधिकांश मामलों में पर्याप्त और उचित समझी गई, एक मामला जो कि हमारे ध्यान में पीछे आया इस प्रकार का था कि एक महत्त्वपूर्ण प्रकार का समवाय खोला जाने वाला था जिसमें एक विदेशी प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया जाने वाला था, क्योंकि उसके पास आवश्यक टेक्निकल तथा प्रशासकीय अर्हता थी । ऐसे मामलों में यह अनुभव किया गया कि देश के हित को ध्यान में रखते हुए यह अच्छा नहीं होगा कि हमारी विधि के अधीन जिस वर्ष लाभ नहीं होगा उस वर्ष को सीमा ५०,००० रुपये हो; क्योंकि यह अनुभव किया गया कि कुछ ऐसे उद्योगों के निर्माण के लिए, विशेषतः भारी उद्योगों में, पहली स्थिति में हानि उठानी पड़ती है । देश में भारी उद्योगों के निर्माण के लिये यह एक आवश्यक शर्त है । इस मामले में हमने सोचा कि सरकार को ऐसा अधिकार होना चाहिये कि मामले की बातों की जांच कर वह वेतन के सम्बन्ध में वह छूट दे सके । मैं यह बात यहां पर अभी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि खंड ३४७ तथा ३५२ में उल्लिखित ऐसी ही स्थिति में प्रबन्ध

[श्री सी० डी० देशमुख]

अभिकरण कमीशन में ५०,००० रुपये की सीमा को किसी अप्रत्यक्ष विधि से बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है ।

दूसरे वर्ग के मामले वर्तमान समवायों के मामले होंगे । जहां कि कई व्यक्ति—चाहे वे प्रबन्धक हों अथवा प्रबन्ध निदेशक—५०,००० रुपये से अधिक वेतन पाते होंगे । ऐसे वर्ष में, जबकि ऐसे समवाय को हानि होगी, क्या करना होगा? क्योंकि वेतन वर्ष के प्रारम्भ में चुकाये जाते हैं । वह व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा तथा उसका कोई अन्य हित नहीं होगा तथा कमीशन में भी उसका कोई भाग नहीं होगा । उसका पारिश्रमिक कमीशन से न दिया जाकर मासिक वेतन के रूप में दिया जाता है । ऐसे मामले में यह अनुभव किया गया कि यह बहुत भद्दी बात होगी कि संतुलन-पत्र बनने तक तथा लाभांश घोषित होने तक तथा यह देखने तक कि कुछ लाभ हुआ है या नहीं, १५ महीने तक प्रतीक्षा की जाये और यह और भी भद्दी बात होगी यदि हिसाब लगाने पर यह ज्ञात हो कि उन्होंने शुद्ध लाभ के ११ प्रतिशत से अधिक ले लिया है । यह भी अनुभव किया गया कि ऐसे व्यक्तियों के सच्चे मामले हो सकते हैं जिन्हें कि मासिक वेतन के आधार पर नियुक्त किया गया हो तथा यह सोचा गया कि अपवादपूर्ण स्थितियों को छोड़ कर प्रबन्धक अथवा प्रबन्ध निदेशक क्यों अपना निश्चित वेतन छोड़ दें । इससे हमें इन मामलों की भी परीक्षा करनी होगी यद्यपि ऐसे मामले, जिनमें वर्तमान समवायों को हानि होगी, कम ही होंगे । किन्तु कोई भी समवाय, विश्व में आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर चाहे वह कितना भी स्मृद्धिशाली क्यों न हो, हानि की संभावना से इन्कार नहीं कर सकता । यह हो सकता है कि मन्दी आ जाये अथवा व्यापार चक्र धीमा पड़ जाये, आदि ।

तीसरा मामला बहुत मनोरञ्जक है । यह एक ऐसे प्रबन्ध अभिकर्ता समवाय का है जो कि सार्वजनिक समवाय भी हो । खंड १९७ ऐसे प्रबन्ध अभिकरण पर भी लागू होगा जो कि सार्वजनिक सीमित समवाय भी हो । संभव है कि एक विष वशेर्ष में यह कुछ समवायों का प्रबन्ध कर रहा हो जो कि समय अच्छा न होने के कारण ५०,००० रुपये की न्यूनतम राशि ही दे सकते हों ; उदाहरणार्थ चाय के व्यापार में १९५२ में; तथापि यह हो सकता है कि उनके पास पूरे समय काम करने वाले ऐसे निदेशक हों जिनमें से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से ४,००० रुपये से कुछ अधिक ही मिलता हो अथवा दो प्रबन्ध निदेशक हो सकते हैं जिनमें से प्रत्येक को ढाई हजार रुपये मिलते हों । माना कि ऐसे मामले में उनकी कुल प्राप्ति ५०,००० रुपये हो, यद्यपि उस प्रबन्ध अभिकरण समवाय के पास सार्वजनिक समवाय के रूप में इतना रक्षित धन हो कि वह अपने दोनों प्रबन्ध अभिकर्ताओं को २५०० रुपया मासिक वेतन दे सकें, किन्तु खंड १९७ के द्वारा उसे ऐसा करने से रोका जा सकता है । अब हम यह अनुभव करते हैं कि संयुक्त समिति ने ऐसे परिणाम की आशा नहीं की थी; क्योंकि हम प्रबन्ध अभिकरणों के अंशधारियों तथा पूरे समय के निदेशकों के बीच न्याय की दृष्टि से सम्बन्धित नहीं हैं तथा प्रबन्ध

अभिकरण साथ भी अपने आपको संभालने में समर्थ हैं, जिससे यदि कोई मामला हमारे ध्यान में आये तो हम कह सकें कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि किसी विशेष वर्ष, न्यूनतम पारिश्रमिक के कारण आपको अपने प्रबन्धित समवायों से हानि होती है, तब आप अपने रक्षित धन से पूरे समय कार्य करने वाले निदेशकों को वेतन, आदि दे सकते हैं।

दूसरा मामला शायद उपश्रेणी का है जिसमें दो प्रबन्ध निदेशक होने चाहिएं। मैं ऐसे प्रसिद्ध उपक्रमों को जानता हूं जिनमें दो प्रबन्ध निदेशक हैं, जैसे राज्य बैंक। अभी उसने एक और प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया है जो नये बैंकों की स्थापना और ग्रामीण ऋण की व्यवस्था की देखभाल करेगा। उनका कुल वेतन ५०,००० रुपये प्रति वर्ष से अधिक होगा जो उन्हें केवल वेतन के रूप में ही दिया जाता है। उस मामले में भी सरकार के लिए यह संभव होगा कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या न्यूनतम ५०,००० रुपये को बढ़ाया नहीं जा सकता। इस संशोधन का यही अभिप्राय है।

खण्ड १९७ का एक और संशोधन है। यह एक प्रारूप संशोधन है और अपेक्षित अर्थ प्रकट करता है।

इस संशोधन का अभिप्राय यह है कि किसी गैर-सरकारी समवाय या अन्य निगम निकाय या किसी व्यापारिक संस्था के किसी पद या लाभप्रद स्थान पर, जिसमें किसी संस्था का सदस्य, गैर-सरकारी समवाय का निदेशक या सदस्य या निगम निकाय का निदेशक स्वयं समवाय का प्रबन्ध अभिकर्ता या किसी संस्था का सदस्य प्रबन्ध अभिकर्ता, सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष या किसी गैर-सरकारी समवाय का निदेशक या सदस्य उसके स्थान पर काम कर रहा हो, कोई नियुक्ति न की जाये।

यह बहुत उलझी हुई सी बात मालूम होती है, पर यदि माननीय सदस्य संशोधन को देखेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि उसमें ऐसी कोई जटिलता नहीं है।

मुझे दुःख है कि ५०९ एक संशोधन का संशोधन है। मैंने जो कुछ अभी कहा है वह ३०३ (२) पर लागू होता है। किसी पद या लाभप्रद स्थान को बताने वाला एक प्रारूप संशोधन है और अन्तिम संशोधन ३०८ है जो २०३ (५) की परिभाषा के स्थान पर है। यह परिभाषा धारा ३१३ (३) की परिभाषा की सी नहीं है जो इस बात की व्याख्या करती हो कि किसी समवाय के पद या लाभप्रद स्थान का क्या अभिप्राय है। इसलिए उस पूर्ण खण्ड के स्थान पर दूसरा खण्ड रख दिया गया है। इससे इस विषय की त्रुटियां या कमियां दूर हो गयी हैं। मैं इन्हीं संशोधनों का प्रस्ताव करना चाहता हूं।

श्री बोगावत (अहमदनगर दक्षिण) : खण्ड १९७ के संबंध में मेरे दो संशोधन ३९ और ४० हैं। संशोधन ४९ में यह कहा गया है कि "ग्यारह प्रतिशत" के बाद "२० लाख तक और उससे ऊपर प्रत्येक १० लाख पर १·५ प्रतिशत कम दर से जब तक कि पारिश्रमिक की अन्तिम दर ५ प्रतिशत तक न आ जाये" जोड़ दिया जाये।

[श्री बोगावत]

संशोधन ४० में कहा गया है कि ५०,००० रुपये के स्थान पर ४८,००० रुपये कर दिया जाये ।

मेरा संशोधन संख्या ३९ बहुत महत्त्वपूर्ण है । जब हम समाज में समाजवादी ढांचा बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में धन इकट्ठा होने पर कुछ रोक लगानी चाहिए । इससे जनता को, विशेषतया कृषकों को, काफी लाभ होगा ।

वित्त मंत्री द्वारा परिचालित पत्र में १९५१-५२ में भारत में १७२० प्रबन्ध अभिकरणों का लाभ ३८ करोड़ रुपये था और प्रबन्ध अभिकर्ताओं को देय राशि जिसमें कार्यालय भत्ता, लाभ पर कमीशन या बिक्री पर कमीशन आदि सम्मिलित हैं, १०.४ करोड़ रुपये हैं । माननीय वित्त मंत्री ने १९ अगस्त, १९५५ को बताया था कि वास्तविक राशि २७·७ प्रतिशत है । हमने इस विधेयक में कहा है कि अधिकतम १० प्रतिशत होना चाहिए । यह सही नहीं है क्योंकि ३८ करोड़ रुपये के काम में हम १०·४ करोड़ रुपये जोड़ देना चाहिए तो वह कुल ४८·४ करोड़ रुपये हो जायेगा ।

श्री एम० सी० शाह : १० करोड़ रुपये कार्यालय भत्ता ?

श्री बोगावत : इस प्रकार पूर्ण लाभ ४८४ लाख रुपये है न कि ३८० लाख रुपये और २७·७ प्रतिशत आंकड़ा गलत है । प्रबन्ध अभिकर्ताओं को दिया जाने वाला पारिश्रमिक १०·४ करोड़ रुपये २१ प्रतिशत होता है । रिज़र्व बैंक बुलेटिन में जो आंकड़े दिये गये हैं उनमें १९५०, १९५१ और १९५२ में प्रबन्ध अभिकर्ताओं को लगभग २७·७ प्रतिशत शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ । यदि माननीय मंत्री यह कहते हैं कि हम २७ प्रतिशत को घटा कर ८ प्रतिशत कर रहे हैं तो यह बात बहुत अच्छी है ।

आप देखेंगे कि केवल ४५ समवायों का लाभ ३१ करोड़ रुपये है । यह लाभ केवल थोड़े से व्यक्तियों में बांटा जाता है । मेरा निवेदन है कि २० लाख तक उसे ११ प्रतिशत रखा जाये । इसके ऊपर प्रति लाख पर १$^{१}/_{२}$ प्रतिशत कम दिया जाये और अधिकतम ५ प्रतिशत कर दिया जाये । इस प्रकार सम्पत्ति केवल थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में इकट्ठा नहीं हो पायेगी । यदि सरकार ऐसा नहीं करेगी तो बाहर के लोग और कृषक कहेंगे कि सरकार पूंजीपतियों को समाप्त नहीं करना चाहती । क्या आप समझते हैं कि यह पूंजीपति केवल १० प्रतिशत से सन्तुष्ट हो जायेंगे ? वे नये नये उपायों से अपना लाभ बढ़ायेंगे । अतः यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण संशोधन है । और यदि सरकार इसे स्वीकार नहीं करती तो एक दिन वह आयेगा जब कृषक वर्ग जिसके खेतों पर एक सीमा लगा दी जायेगी, विद्रोह करेगा । अतः मैं निवेदन करूंगा कि सरकार मेरे इस संशोधन को अवश्य स्वीकार करे ।

मेरा दूसरा संशोधन एक साधारण सा संशोधन है । इसके अनुसार दोनों प्रबन्ध अभिकर्ताओं को २,००० रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे । अतः ५०,००० रुपये के बजाय ४८,००० रुपये व्यय होंगे । तो इस प्रकार यह कोई महत्त्वपूर्ण संशोधन नहीं है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मैंने खण्ड १९७ के संबंध में संशोधन संख्या ४०५ का प्रस्ताव किया है। यह संशोधन इस आशय का है कि प्रबन्धकों के पारिश्रमिक को कर्मचारियों के पारिश्रमिक से कैसे सम्बन्धित किया जाये। हमारी वर्तमान विधि में ऐसा कोई भी उपबन्ध नहीं है। यह विधेयक भाभा समिति और कोहेन समिति के प्रतिवेदन पर आधारित है पर उस समय जब ये समिति नियुक्त की गई थी हमने समाज के समाजवादी ढांचे का निश्चय नहीं किया था। अतः भाभा समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशें हमारे समाजवादी ढांचे के दृष्टिकोण से बिल्कुल व्यर्थ हैं। और समाजवादी ढांचे के अनुसार हमें प्रबन्धकों के साथ साथ कर्मचारियों के पारिश्रमिक पर भी ध्यान देना चाहिए। श्री बोगावत ने इसी प्रश्न के एक पहलू पर प्रकाश डाला है अतः यदि मेरा संशोधन न स्वीकार किया जाये तो श्री बोगावत का खण्ड प्रणाली संबंधी संशोधन अवश्य स्वीकार कर लिया जाये।

माननीय वित्त मंत्री ने बताया कि अमरीका में प्रबन्धों को १० से २४ प्रतिशत तक पारिश्रमिक दिया जाता है। पर यह बात गलत है वहां '२, '२५, '३ और २ या ३ प्रतिशत तक पारिश्रमिक दिया जाता है। व्यापार की मात्रा पर पारिश्रमिक का प्रतिशत निर्भर होना चाहिए। सभी समवायों के लिए ११ प्रतिशत नियत कर देना ठीक नहीं है। बड़े व्यापारों के लिए कम प्रतिशत और छोटे व्यापारों के लिए अधिक प्रतिशत निश्चित किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि श्री बोगावत का संशोधन उचित है और सरकार को उसे स्वीकार भी करना चाहिए।

अब मैं अपने संशोधन को लेता हूं। प्रबन्ध अभिकर्ताओं और मजदूरों के पारिश्रमिक में कितना अन्तर है। मजदूरों को लाभांश भी नहीं दिया जाता। आपने प्रबन्धकों को ११ प्रतिशत देने की व्यवस्था की है। साथ ही यह भी प्रतिबन्ध होना चाहिए कि यदि मजदूरों को न्यूनतम मजूरी मिलेगी तो उन्हें केवल ६ प्रतिशत मिलेगा; यदि उन्हें जीवनयापन का आवश्यक वेतन मिलेगा तो प्रबन्धकों को ८ प्रतिशत मिलेगा यदि ऐसा प्रतिबन्ध लगा दिया जायेगा तो अपने लाभ के लिए प्रबन्धक मजदूरों की दशा भी संभालेंगे। यदि आप यह सोचें कि प्रबन्धकों और अंशधारियों के लाभों में कोई कमी न होने पावे तो मजदूरों की हालत कैसे सुधरेगी। प्रबन्धकों का पारिश्रमिक उस समय निश्चित किया गया था जब युद्ध चल रहा था। उस समय बहुत लाभ होता था पर अब समय बदल गया है। अतः मजदूरों की दशा सुधारने के लिए वितरण के ढंग में सुधार करना आवश्यक है। प्रबन्धकों, अंशधारियों और मजदूरों में वितरण का हिसाब फिर से निश्चित किया जाना चाहिए। यदि मजदूरों को उनका हिस्सा नहीं मिलेगा तो वे जी लगा कर काम नहीं करेंगे। उचित मजूरी समिति ने भी यही निश्चय किया था।

श्री बोगावत ने बताया कि ३८ करोड़ रुपये के लाभ में से ३२ करोड़ रुपये केवल ३२ समवायों को मिलते हैं। शेष १७०० समवायों को क्या मिलता

[श्री के० पी० त्रिपाठी]

है ? इन १७०० समवायों को उतना नहीं मिलता जितना उन ३२ समवायों को मिलता है। इस खण्ड १९७ से सारे देश के प्रबन्ध अभिकरणों पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः यह कोई क्रान्तिकारी संशोधन नहीं है। बड़े समवायों में १ प्रतिशत कम होने से भी काम चल सकता है। पर छोटे समवायों में प्रबन्धकों के लिए जो सीमा निश्चित की जाती है वह कम से कम हो जाती है और मजदूरों के लिए जो न्यूनतम निश्चित किया जाता है वह अधिकतम बन जाता है। अतः मैं निवेदन करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाये, पर यदि मेरा संशोधन स्वीकार न किया जाये तो श्री बोगावत का संशोधन अवश्य स्वीकार किया जाये।

माननीय वित्त मंत्री के संशोधन के संबंध में मुझे यह कहना है कि इस संशोधन में उन्होंने वह विचार नहीं रखा है जो उन्होंने मूल चर्चा के समय प्रकट किया था। उन्होंने उस समय कहा था कि बड़े समवायों के संबंध में जिनमें दो या दो से अधिक निदेशकों की आवश्यकता होगी ५०,००० रुपये की सीमा अपर्याप्त होगी। पर इस संशोधन में बड़े समवायों और दो निदेशकों की कोई बात नहीं कही गयी है। इसमें यह कहा गया है कि यदि एक ही निदेशक होगा तो भी सरकार ५०,००० रुपये की सीमा को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर सकती है। यदि एक निदेशक को ४,००० रुपये मिलते हैं तो यह बात सीमा के अन्दर है पर ५,०००, १०,००० या १५,००० रुपये तक मिलना उचित नहीं। कराधान जांच समिति ने भी कहा था कि न्यूनतम और अधिकतम वेतन में १ और ३० का अनुपात होना चाहिए अतः जब न्यूनतम १०० रुपये है तो अधिकतम ३,००० रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए अतः एक निदेशक के होने पर सीमा बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर संशोधन में कहा गया है कि एक निदेशक होने पर भी सरकार सीमा बढ़ाने की बात पर विचार कर सकती है।

सभापति महोदय : संशोधन में दो व्यक्तियों के होने की संभावना की बात कही गई है।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री उत्तर देते समय स्पष्टीकरण कर देंगे।

श्री एम० सी० शाह : स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है यदि आप संशोधन को पढ़ेंगे तो सब बातें समझ में आ जायेंगी।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मैं यह कह रहा हूं कि इस समय संशोधन का जो प्रारूप है उस से पता लगता है कि एक निर्देशक के होने पर भी सरकार को सीमा बढ़ाने का अधिकार होगा। यह उचित नहीं है। जो दूसरी बात मेरी समझ में आती है यह है कि इस संशोधन को सरकार केवल नये उद्योगों पर ही लागू नहीं करेगी बल्कि पुराने उद्योगों पर भी लागू कर सकेगी। जब वित्त मंत्री भाषण दे रहे थे तो मैं समझता था कि नवीन उद्योगों के लिए सीमा का विस्तार करना आवश्यक है, क्योंकि हो सकता है कि आरम्भ में उन्हें कोई लाभ न हो।

श्री एम० सी० शाह : यह आप की आन्ति थी। उन्होंने केवल दृष्टांत दिये थे और उन से कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए।

श्री के० पी० त्रिपाठी : जो नवीन समवाय आरम्भ में लाभ न कमा सके, उन के लिए सीमा बढ़ाने की शक्ति सरकार के पास होनी चाहिए। किन्तु पुराने समवायों को यदि किसी कारण लाभ नहीं होता, तो उनके बारे में इस सीमा को बढ़ाने की शक्ति का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पुराने उद्योगों को भाग्य-चक्र का सामना करना चाहिए। १९५२ में चाय उद्योग में जब हानि होने लगी तो प्रबन्धकों ने मज़दूरों को हानि में हाथ बटाने को कहा। मज़दूरों ने विवश होकर इसे इस शर्त पर स्वीकार किया कि प्रबन्धक लोग भी हानि में भाग लें। परिणामस्वरूप सब लोगों ने हानि में हाथ बटाया। यदि उद्योग हानि में चल रहा हो, तो प्रबन्धकों को अपना पूरा लाभ कमाने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें भी उद्योग के हानि-लाभ के साथ चलना होगा। अन्यथा यदि प्रबन्धकों को यह विश्वास हो कि उन्हें अपना भाग मिल ही जाएगा, तो वे उत्तरदायित्व से विहीन होंगे।

समाजवादी ढांचे के समाज में कोई प्रबन्धक भी ५०,००० रुपये से अधिक लेने की बात नहीं सोच सकता, किन्तु इस विचित्र विधि के द्वारा आप इस ५०,००० की राशि को रक्षित कर रहे हैं, और बाकी लोगों को उद्योग के भाग्य पर छोड़ रहे हैं। वास्तव में इस संशोधन के अन्तर्गत नये पुराने सभी उद्योग आ जाते हैं, इसलिए यह ठीक नहीं है। नये उद्योगों के बारे में चाहे यह उपबन्ध किया जाये, किन्तु पुराने उद्योगों के बारे में यह उपबन्ध सर्वथा अनुचित है। मेरा मत यह है कि इसके बारे में केवल विशेष शक्ति का उपबन्ध होना चाहिए, ताकि उचित मामले ही सीमा वृद्धि की मांग करने के लिए प्रस्तुत हों।

इस प्रकार सरकार के कन्धों पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ जाएगा, और हानि उठाने वाला प्रत्येक समवाय आपके पास आकर सीमा वृद्धि की मांग करने लगेगा। अतः इस शक्ति का प्रयोग सीमित होना चाहिए।

मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि यदि वे समाजवादी ढांचे के समाज का यह उद्देश्य समझते हैं कि समाज की विभिन्न श्रेणियों के लोगों के पारिश्रमिक में सामंजस्य या समन्वय पैदा किया जाए, तो उन्हें बैंक पंचाट का अनुपालन करना चाहिए, जो इस दिशा में ठीक प्रयत्न है। समवायों के ढांचे में परिवर्तन करना चाहिए। हमें भी ढांचे को समाजवादी रूप देना चाहिए। केवल सैद्धान्तिक ही नहीं, अपितु व्यावहारिक रूप में, ताकि ये समवाय समय परिवर्तन के साथ साथ अपने अन्दर भी परिवर्तन करते रहें। परन्तु विधेयक में यह विचार नहीं रखा गया है। मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेने से ऐसा संभव हो सकता है। अतः मेरा निवेदन है कि मेरे संशोधन को स्वीकार किया जाये, और यदि ऐसा नहीं किया जाता, तो श्री बोगावत के संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये, और तीसरे यह कि सरकारी संशोधन पर इस दृष्टि से पुनः विचार किया जाये कि यह केवल उन्हीं मामलों

[श्री के० पी० त्रिपाठी]

तक सीमित रहे जो हमारे मन में हैं, यानी जिन में दो या तीन निदेशक हैं।

डा० कृष्णस्वामी : इस विधेयक में प्रबन्ध अभिकर्ताओं या निदेशकों आदि के पारिश्रमिक की सीमा निर्धारित करने और उस से अधिक उनको न देने के उद्देश्य से कई उपबन्ध किये गये हैं। संयुक्त समिति ने प्रबन्ध सम्बन्धी समस्त पारिश्रमिक पर नियन्त्रण करने का जान बूझ कर प्रयास किया है किन्तु मूल विधेयक में ऐसा उपबन्ध नहीं किया गया था। संयुक्त समिति ने इसकी उलझनों को समझे बिना ही इस खण्ड १९७ को अनुचित महत्त्व दे दिया है। खंड १९७ में बहुत सी बातें अस्पष्ट हैं, जिन्हें समझाने का श्री सी० सी० शाह प्रयत्न करेंगे, ताकि सभासद समवाय के प्रबन्ध की उलझनों को समझ सकें। खंड १९७ में कहा गया है कि समवाय के निदेशकों, प्रबन्ध अभिकर्ताओं, प्रबन्धकों आदि का पारिश्रमिक समवाय के शुद्ध लाभ के ११ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, तथा निदेशकों का पारिश्रमिक कुल लाभ में से नहीं लिया जाएगा, और बोर्ड की बैठक में सम्मिलित होने के लिए निर्देशकों को मिलने वाला शुल्क इस से भिन्न होगा। मैं इस खंड के अन्य उपखंडों से सहमत नहीं हूं, क्योंकि वे कई कठिनाइयां उत्पन्न कर देंगे। इसके दो अर्थ हो सकते हैं, एक यह कि कुल 'पारिश्रमिक' का केवल अंश और लाभों द्वारा दिये जाने वाले पारिश्रमिक से अभिप्राय है। इस अर्थ के अनुसार उपखण्ड केवल स्पष्टीकरण के लिए है कि मासिक पारिश्रमिक भी ग्यारह प्रतिशत के अंतर्गत आता है। इस खण्ड ३५१ के द्वारा खंड १९७ में निर्धारित पारिश्रमिक की अपेक्षा अधिक पारिश्रमिक दिया जा सकता है।

दूसरा अर्थ है "निषिद्ध करना" अर्थात् मासिक पारिश्रमिक को समूल सीमा से निकालना। कुल पारिश्रमिक के अन्दर दोनों आ जाते है, अतः स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। मैं पहला अर्थ स्वीकार करना चाहता हूं जिसे सरकार ने भी स्वीकार किया है।

सब प्रकार के प्रबन्ध सम्बन्धो पारिश्रमिक के लिए ११ प्रतिशत की समूची सीमा निर्धारित करने के समयानुसार विविध परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी समवाय को लीजिए, जिसकी कार्यकारी पूंजी १० लाख है। इसकी विक्रय आय साधारणतया १० लाख और ७·५ लाख के बीच होनी चाहिए। इस में से कोई भी समवाय २० प्रतिशत से अधिक अर्थात् २ लाख से अधिक लाभ नहीं कमा सकता। ११ प्रतिशत की सीमा लगाने से समवाय को प्रबन्ध पर २२,००० रुपये खर्च करने होंगे। यदि उस समवाय में केवल प्रबन्ध अभिकर्ता ही प्रबन्ध करते हैं और वहां कोई निदेशक अथवा प्रबन्धक नहीं हैं, तो प्रबन्ध अभिकर्ता को २२,००० रुपये देना बिल्कुल उचित होगा। परन्तु साधारणतया इतनी पूंजी वाला समवाय निदेशक या प्रबन्धक के बिना नहीं चलाया जा सकता। निदेशक को १००० प्रति मास देने से शेष १०,००० रुपये बचते जो प्रबन्ध अभिकर्ता के लिए बहुत कम हैं। फिर प्रबन्धक आदि को भी कुछ पारिश्रमिक देना होगा, इसलिए संयुक्त समिति का उद्देश्य नष्ट हो जाता है, क्योंकि यह सब मिला कर ११ प्रतिशत से कहीं बढ़ जाता है। इस का परिणाम होगा कि प्रबन्धक का और कोई नाम रख दिया जायेगा। जो बात असंभव है उस

का उपबन्ध करके हम पूंजीपति प्रबन्धकों को प्रवंचना करने का अवसर देते हैं। दूसरा परिणाम यह है कि योग्य व्यक्तियों को निदेशक या प्रबन्धक न रखकर प्रबंध अभिकर्ता स्वयं अपनी अल्पबुद्धि से उस का प्रबन्ध करेगा और फलस्वरूप समवाय को हानि होने से धन लगाने वाले लोगों को कोई लाभ न पहुंच कर हानि पहुंचेगी और जिस उद्देश्य से विधि बनाई जा रही है, वह नष्ट हो जायेगा और सरकारी क्षेत्र इन सब उद्योगों और समवायों को संभालने में असमर्थ रहेगा। वह इनका उचित प्रशासन भी नहीं चला सकेगा। इस का यह अर्थ नहीं है कि जिन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए हम उनका राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकते। परन्तु आर्थिक वास्तविकताओं की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हमें विधि इस प्रकार बनानी चाहिए कि प्रबन्ध अभिकर्ता आदि प्रबन्धक अपने अंश से अधिक पारिश्रमिक न लें। कोई भी समझदार व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि जो समवाय २० प्रतिशत लाभ कमाता है वह "अपर्याप्त लाभ" कमाता है। उपखंड ४ के अनुसार प्रबन्ध अभिकर्ताओं, आदि को पचास हज़ार रु० प्रति वर्ष तक पारिश्रमिक मिलेगा। जिस प्रकार के समवायों का मैंने उल्लेख किया है वे २० प्रतिशत लाभ कमाते हैं, और उन्हें ११ से २० प्रतिशत तक प्रबन्ध आदि पर खर्च करना पड़ता है, फिर वे हानि को कैसे पूरा कर सकेंगे। यह उपखंड छोटे समवायों के लिए हानि का कारण बनता है, जो सर्वथा उचित नहीं है। अतः हमें यथार्थताओं और वास्तविकताओं के दृष्किोण से इस पर विचार करना चाहिए। मेरा यह मत है कि यह उपखंड छोटे समवायों के लिए घातक है। अतः इसे समवाय विधि में स्थान नहीं मिलना चाहिए।

प्रबन्ध सम्बन्धी पारिश्रमिक के लिए लाभ ११ प्रतिशत निश्चित कर देने का बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि समवायों के लाभ में अन्तर होता रहता है। जिस वर्ष लाभ कम होगा, ये प्रबन्ध अभिकर्ता अपने निदेशकों, प्रबन्धकों आदि के पारिश्रमिक को कम न कर सकने की अवस्था में, नये नये पद बना कर उनको पारिश्रमिक देते रहेंगे। यह सर्वथा अनुचित कार्यवाही होगी, विशेष कर छोटे समवायों को इस से बड़ी हानि पहुंचेगी, इसलिए औद्योगिक विकास की दृष्टि से यह उपबन्ध करना हानिकारक है, अतः मंत्री महोदय को इस बात पर गंभीरतापूर्वक और अधिक समझदारी के साथ विचार करना चाहिए।

उद्योगों के आरंभ में प्रबन्ध सम्बन्धी पारिश्रमिक लाभ का बड़ा भाग होगा। यह भी अनिवार्य नहीं है कि समवाय में लाभ कम हो या वह हानि पर चलें। उद्योगों के विकास की दृष्टि से हमें अधिक योग्यता वाले व्यक्तियों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए उनको अधिक पारिश्रमिक देना होगा। यदि हम चाहते हैं कि ग़ैर-सरकारी क्षेत्र अच्छी तरह काम चला सकें, तो हमें उनके चलाने के लिए उचित सुविधाएं देनी चाहिएं और उचित उपबन्ध करना चाहिए, अन्यथा यदि हम ग़ैर-सरकारी क्षेत्र को काम करने नहीं देना चाहते, तो हमें सीधे ही उनका राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिए।

श्री सी० सी० शाह : इस स्थिति का सामना करने के लिए हमने जो परन्तुक जोड़ा है, माननीय मित्र को उस पर भी सोच-विचार करना चाहिए।

डा० कृष्णस्वामी : जिन मामलों के मैंने उदाहरण दिए हैं, वे इस परन्तुक के अन्तर्गत नहीं आते। माननीय मंत्री को इस समस्या को हल करने के लिए विचार करना चाहिए, और इस उपबन्ध को निकाल देना चाहिए, ताकि उद्योग और समवाय ईमानदारी के साथ काम करें, और उन्हें अपना काम सुचारु ढंग से चलाने के लिए बेईमानी का आश्रय न लेना पड़े।

इसका क्या हल है? छोटे समवायों की कठिनाइयों, आदि के लिए मैंने १५ लाख रुपये की राशि का सुझाव दिया था। यह आंकड़ा संकेत के रूप में या भावात्मक में था। मैं चाहता हूं कि मान्य मित्र इस बात पर विचार करें। सबसे अच्छे समवायों में, जहां १५ लाख रुपये की पुंजी का विनियोजन हुआ है और जहां वार्षिक विक्रय १५ लाख रुपये होता है तथा २० प्रतिशत का लाभ होता है, इस बात से कठिनाई पैदा होती है कि संस्थापित नियमों के अनुसार कार्य-संचालन हो यदि सर्वोपरि प्रबन्ध पारिश्रमिक संयुक्त समिति के सुझाव के अनुसार निश्चित हो। यदि आप प्रबन्ध की उपक्रमी आय की कोई सीमा रखना चाहते हों तो इस जैसा संशोधन ही स्वीकार कीजिए जो मैं ने प्रस्तुत किया है कि : "उपधारा १ और २ में सम्मिलित कोई भी बात किसी निदेशक या प्रबन्धक पर तब तक लागू नहीं होगी जब तक वह प्रबन्ध अभिकर्ता का सहकारी न हो या समवाय के लाभ का भागीदार न हो।"

आखिर पारिश्रमिक की सीमा निर्धारित करने का क्या अभिप्राय है? हम उपक्रमी वर्ग को इसमें शामिल करना चाहते हैं। हमें वेतन पाने वाले कार्यपालिका कर्मचारी वर्ग को सम्मिलित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए जिस से समवायों के कार्य-संचालन में कठिनाई और अड़चनें पैदा हों। इस बृहद् विधेयक के उपबन्धों के सम्बन्ध में मेरे ये विचार हैं कि समवाय के कार्यकुशल प्रबन्ध के लिए हमें राज्य का अधिक हस्तक्षेप सहना पड़ता किन्तु निजी तथा सार्वजनिक समवायों के बीच के भेद को ध्यान में रखते हुए हमारे हां इस विधेयक ने एक अस्वस्थ विकास की स्थिति पैदा की है। मैं वित्त मंत्री से यह निवेदन करता हूं कि वह अपने आप को इस वातावरण में से निकाल कर सभी को अभ्यर्थियों की निर्दयता से मुक्त कर के इन जटिल समस्याओं का कोई हल ढूंढ निकालें। आखिर हम जा किधर को रहे हैं? हम इस प्रकार के विधान से समाज को समाजवादी ढांचे पर नहीं लाएंगे बल्कि इसे उल्टी दिशा में कहीं दूर ले जाएंगे। यही मेरा अपना अनुभव है। कार्यपालिका को जो इतनी शक्तियां दी गई हैं उस से समाज में दासता फैलेगी और सभी लोग सरकार की हां भरते रहेंगे या इस से समाज में भृष्टाचार फैलेगा। क्या हमारा यही उद्देश्य है? क्या वित्त मंत्री ऐसे ही नए समाज के निर्माता बनना चाहते हैं जिस में कोई मुक्ति का साधन नहीं, और जो कालान्तर में लोकतन्त्र को उलट देगा?

श्री अशोक मेहता : मैं खंड १९७ और उस पर प्रस्तुत किए गए संशोधनों पर ही बोलना चाहता हूं। उक्त खंड लाभों की अनुपस्थिति या अपर्याप्त अवस्था में अधिकतम प्रबन्ध पारिश्रमिक और न्यूनतम प्रबन्ध पारिश्रमिक के सम्बन्ध में है। मैं प्रारम्भ में ही यह कहना चाहता हूं कि यह विशेष उपबन्ध

निजी समवायों पर लागू नहीं होता। दुर्भाग्यवश हमारे पास अद्यतन आंकड़े मौजूद नहीं हैं। अन्तिम आंकड़े १९५२–५३ के सम्बन्ध में हैं। १९५२–५३ में १७,३३७ निजी समवाय और १२,०५५ सार्वजनिक समवाय थे। निजी समवायों की प्रदत्त पूंजी २५३ करोड़ रुपये थी। इन १७,००० के करीब निजी समवायों का, जिनकी प्रदत्त पूंजी २५३ करोड़ थी। प्रबन्ध पारिश्रमिक इस उपबन्ध से प्रभावित नहीं होगा। यह स्मरण करना आवश्यक है कि यह विशेष उपबन्ध सार्वजनिक समवायों पर ही लागू हो सकता है। कहा जाता है कि यह खंड कुल पारिश्रमिक निर्धारित करता है, किन्तु इसके अतिरिक्त इस में यह विशेष उपबन्ध है कि इस से खंड ३५१ के कार्य-संचालन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। खंड ३५१ बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कहा गया है कि खण्ड ३४७ में विशेष रूप से उल्लिखित सीमाओं से अधिक अतिरिक्त पारिश्रमिक प्रबन्ध अभिकर्ता को तब दिया जा सकता है जब समवाय के विशेष संकल्प द्वारा ऐसे पारिश्रमिक की मंजूरी हो और सार्वजनिक हित होने के नाते केन्द्रीय सरकार की भी मंजूरी हो। इस में सार्वजनिक हित के नाते उच्चतर पारिश्रमिक की मंजूरी दी गई है। खंड १९७ के इस दुरुपयोग से क्षत्र से बाहर खंड ३५१ है। यहां मैं वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उच्चतर पारिश्रमिक क्यों सार्वजनिक हित में होगा। सरकार तो यही निश्चय करने जा रही है कि यह सार्वजनिक हित में है या नहीं। ऐसी कौन सी आकस्मिकता हो सकती है जिस में ११ या १० प्रतिशत से अधिक पारिश्रमिक को सार्वजनिक हित में समझा जाएगा ?

सम्भव है कि कम्पनियां इस प्रकार का संकल्प पास कर दें। यह भी माना जा सकता है कि कुछ कम्पनियों में इस प्रकार के विशेष संकल्प स्वीकार कर लिए जाएं। परन्तु सरकार ने कौन सी परिस्थितियां सोची हैं जिन में इस खंड में निर्धारित सीमा को बढ़ाया जा सकता है ?

खंड ३५६ से ३६० तक को देखिए। इनमें, कुछ शर्तों के अधीन, अतिरिक्त पारिश्रमिक दिए जाने का उपबन्ध है। इसलिए यह याद रखना चाहिए कि यह जो सीमा निर्धारित की जा रही है इस में फेर बदल की काफी गुंजाइश है।

वित्त मंत्री ने बहस का उत्तर देते समय इस खंड पर बहुत सी संगत बातें कही हैं। मैंने और शायद कुछ अन्य सदस्यों ने कहा था कि ब्रिटेन और अमेरीका में प्रबन्धकों का पारिश्रमिक लाभ का आधे से ले कर दो प्रतिशत तक होता है। इस युक्ति के उत्तर में कहा है कि जहां तक ब्रिटेन और अमेरीका का सम्बन्ध है, माननीय सदस्यों को उन के सम्बन्ध में ठीक ठीक हालत मालूम नहीं है।

मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री को सचिवालय की सहायता प्राप्त होने के कारण हम लोगों से अधिक बातें पता रहती हैं परन्तु पारिश्रमिक के सम्बन्ध में यह बात मैंने या मेरे किसी साथी ने नहीं कही बल्कि बम्बई शेयर होल्डर्स असोसीएशन ने कही है, क्या माननीय मंत्री का तात्पर्य यह है कि इस असोसीएशन के पास भी उतनी ही कम जानकारी है जितनी कि सभा के कुछ सदस्यों के पास जिन की कि उन्होंने आलोचना की है ?

मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि प्रबन्धकों का पारिश्रमिक कुछ मामलों में

[श्री अशोक मेहता]

१० प्रतिशत तक होता है और एक कैनेडियन कम्पनी २४ प्रतिशत पारिश्रमिक देती है। इस से उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि पारिश्रमिक १० प्रतिशत से २४ प्रतिशत तक होता है। मैंने प्रबन्धकों के पारिश्रमिक के सम्बन्ध में औसत आंकड़े मालूम करने की चेष्टा की है परन्तु असफल रहा हूं। मेरे पास ब्रिटेन और अमेरीका की बड़ी बड़ी कम्पनियों के आंकड़े हैं जो अपने लाभ का .११ प्रतिशत से ३.७७ प्रतिशत तक भाग पारिश्रमिक के रूप में देती हैं। मेरा विचार है कि यह जानकारी माननीय मंत्री के पास भी अवश्य रही होगी इसलिए यह कहना सभा के प्रति न्याय नहीं है कि ब्रिटेन और अमेरीका में पारिश्रमिक १० से २४ प्रतिशत तक होता है।

वित्त मंत्री ने आगे चल कर कहा है कि रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार १९५०, १९५१ और १९५२ में प्रबन्ध अभिकर्ताओं को शुद्ध लाभ (जोकि हमारी परिभाषा के अनुसार शुद्ध लाभ होगा) का लगभग २७.७ प्रतिशत पारिश्रमिक के रूप में मिला।

रिज़र्व बैंक की विवरणिका (बुलेटिन) में प्रबन्ध अभिकर्ताओं का पारिश्रमिक ३२.४१ करोड़ रुपये दिया हुआ है जबकि सारिणी ७ में लाभ की राशि २३३.७ करोड़ रुपये दी गयी है। वहां साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है सभा में भी कहा गया था—कि कर जांच आयोग ने भी यही आंकड़े माने हैं। आयोग के कथनानुसार प्रबन्ध अभिकर्ताओं का पारिश्रमिक लाभ का १४ प्रतिशत है। मालूम होता है कि माननीय मंत्री का तर्क यह है कि यदि हम नयी परिभाषा मान लें तो इस आंकड़े में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। यह कहा गया है कि रिज़र्व बैंक का विवरणिका (बुलेटिन) में जिस शुद्ध लाभ को आधार माना गया है वह हमारी परिभाषा के अनुसार शुद्ध लाभ नहीं होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस नयी परिभाषा से शुद्ध लाभ में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता है।

शुद्ध लाभ की परिभाषा विधेयक के खंड ३४८ में दी गयी है। आप इसे वर्तमान अधिनियम की धारा ८७ ग के साथ मिला कर देखें तो मालूम होगा कि इन दोनों परिभाषाओं का अन्तर कोई ठोस अन्तर नहीं है। इस अन्तर पर भाभा समिति ने अपने प्रतिवेदन के पैरा १३० में प्रकाश डाला है। मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस पैरे की ओर दिलाना चाहता हूं। इन दो परिभाषाओं का अन्तर इतना नहीं है कि १४ प्रतिशत का आंकड़ा बदल कर २७.७ प्रतिशत हो जायेगा। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि वित्त मंत्री ने यह निष्कर्ष कैसे निकाला कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं का पारिश्रमिक लाभ का २७.७ प्रतिशत होता है। यह जानने का महत्व इसलिए है कि वित्त मंत्री ने आगे चल कर कहा है कि “अब यह पारिश्रमिक २७.७ प्रतिशत से घट कर १० प्रतिशत रह जाएगा। सम्भव है कि यह ८ प्रतिशत ही हो। इसलिए मैं कहता हूं कि इस पारिश्रमिक को २७.७ प्रतिशत से घटा कर १० प्रतिशत कर देना कोई मामूली बात नहीं है और यह देश के समाजवादी ढांचे की धारणा के अनुकूल ही है।”

यह कहा गया है कि इस विधेयक के खंड १९७ के फलस्वरूप यह पारिश्रमिक २७.७१ प्रतिशत से घट कर १० प्रतिशत अर्थात् लगभग एक तिहाई रह जाएगा।

यह बात ग़लत है । माननीय मंत्री ने हमें एक विवरण देने की कृपा की है जिसमें १९५१–५२ के सम्बन्ध में आंकड़े दिए गए हैं । इसमें बताया गया है कि उस वर्ष में प्रबन्ध अभिकर्ताओं का पारिश्रमिक १०.४० करोड़ रुपये था जो कि वित्त-मंत्री के कथनानुसार लाभ (अर्थात् ३८ करोड़ रुपये) का २७.७ प्रतिशत था। क्या मैं यह मान लूं कि इस विधेयक के उपबन्धों से १९५५–५६ और १९५६-५७ में यह पारिश्रमिक कुल ३ करोड़ रुपये रह जाएगा ?

इस विधेयक द्वारा चेष्टा यह की जा रही है कि पारिश्रमिक १४ प्रतिशत से घटा कर ११ प्रतिशत कर दिया जाये । माननीय मंत्री हमें यह बता कर गलत रास्ते पर डाल रहे हैं कि पारिश्रमिक में ६६ प्रतिशत की कमी की जा रही है । माननीय मंत्री के पास जो आंकड़े हैं पहले वे उन से यह प्रमाणित करें कि इस विधेयक के उपबन्धों से इन्हीं कम्पनियों को ऐसी ही परिस्थितियों में १९५७ में १०.४ करोड़ नहीं बल्कि ३ करोड़ रुपये पारिश्रमिक मिलेगा । तभी वह उस श्रेय के भागी बन सकते हैं जिसका उन्होंने उल्लेख किया है।

मेरे मित्र श्री बोगावत और श्री के० पी० त्रिपाठी ने आप का ध्यान इस ओर आकर्षित किया हैं कि लाभ कुछ ही कम्पनियों के हाथ में केन्द्रित हैं। उन्होंने १९५३ के आंकड़े दिये हैं। यदि उन्होंने १९५१-५२ के सम्बन्ध में आंकड़े दिये होते तो हम उनकी तुलना वित्त मंत्री द्वारा दिये गए आंकड़ों से कर सकते थे। १९५३ में—जैसा कि इन माननीय मित्रों ने बताया—५२ कम्पनियों को ३२ करोड़ रुपये या इस से भी अधिक लाभ हुआ । इन में से पांच या छः का प्रबन्ध प्रबन्ध अभिकर्ताओं के हाथ में नहीं था। बाकी ४७ कम्पनियों को ३० करोड़ का लाभ हुआ। इन सभी कम्पनियों में से प्रत्येक का कम से कम लाभ २२ लाख था और सब से अधिक ५ करोड़ रुपये ।

यही नहीं प्रबन्ध भी कुछ ही लोगों के हाथ में केन्द्रित है। समवाय विधि समिति के सामने दिए गये लिखित साक्ष्य के अनुसार ४१५ कम्पनियां ६४ प्रबन्ध अभिकरणों के हाथ में थीं और इन कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी १३६ करोड़ रुपये थी । इस प्रकार न केवल लाभ ही कुछ लोगों के हाथ में केन्द्रित रहते हैं, बल्कि प्रबन्ध भी कुछ ही लोगों के हाथ में हैं। कम्पनियों की संख्या चाहे २९,००० हो, परन्तु लाभ का अधिकांश भाग लगभग ५० कम्पनियों को होता है जिन का नियंत्रण ५० या २५ परिवारों के हाथ में है। ये परिवार, जिनके हाथ में ५० मुख्य कम्पनियों का नियंत्रण है, देश में कमाये जाने वाले लाभ का ७० या ८० प्रतिशत भाग ले लेते हैं। इसलिये छोटी बड़ी सभी कम्पनियों को इकट्ठा कर के औसतें निकालना गलत है। हमें देखना यह है कि सारा ढांचा कैसा है क्योंकि शक्ति और धन चोटी के लोगों के हाथ में रहता है। हमारा उद्देश्य यह है कि चोटी के लोगों के पास जो कुछ है वह अनुपात के अनुसार ठीक हो।

खण्ड १९७ में यह भी कहा गया है कि कुछ परिस्थितियों, जबकि लाभ अपर्याप्त हो, कम्पनी ५०,००० रुपये तक पारिश्रमिक दे सकेगी । वित्त मंत्री ने हमें जो आंकड़े दिये हैं उन से पता चलता है कि १७२० कम्पनियों ने कार्यालय भत्ते के रूप में तीन करोड़ रुपये लिये । इस प्रकार औसत १५ हज़ार और १८ हज़ार के बीच बैठती है । मुझे कम्पनियों के प्रबन्ध के बारे में अधिक कुछ मालूम नहीं है परन्तु मैं जानता हूं कि यह

[श्री अशोक मेहता]

भत्ता एक हज़ार और ढाई हजार के बीच रहता है। परन्तु यह भत्ता कार्यालय के लिए नहीं होता, केवल नाम की बात है। यह प्रबन्धकों को दिया जाने वाला एक प्रकार का पारिश्रमिक मात्र है तो इस भत्ते की १८ हज़ार रुपये की राशि को बढ़ाकर पचास हज़ार नहीं कर देना चाहिये। विधेयक में यह उपबन्ध है कि न्यूनतम पारिश्रमिक के सम्बन्ध में कम्पनी के अन्तर्नियमों में जब भी कोई परिवर्तन करना हो तो उसके लिये प्रबन्ध अभिकरण करारों में समुचित रूपभेद करना पड़गा। मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री यह आश्वासन दें कि जब ऐसा परिवर्तन सरकार के अनुमोदन के लिए उसके सामने आयेगा तो वह इस बात का ध्यान रखेंगी कि उस समय तक पारिश्रमिक की जो कम से कम राशि है उसे बढ़ा कर अधिकतम नहीं कर दिया जाता। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि ५० हज़ार की राशि न्यूनतम होगी। उद्देश्य तो यह है कि यह उच्चतम सीमा हो और यह ध्यान रखा जाय कि इन उपबन्धों से लाभ उठा कर कोई अपना पारिश्रमिक अधिक न कर ले।

मैं दो बातें और कहना चाहता हूं। पहली यह कि मेरे विचार में ११ प्रतिशत बहुत अधिक रखा गया है। बम्बई शेयर होल्डर असोसीएशन ने पहले ७॥ प्रतिशत का सुझाव दिया था परन्तु बाद में उसने संयुक्त समिति के सामने अपने साक्ष्य में इस को १० प्रतिशत कर दिया। परन्तु असोसीएशन ने १० प्रतिशत का सुझाव यह सोचकर दिया था-कि प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली समाप्त होने को है, अन्यथा उसका निश्चित मत यही है कि पारिश्रमिक की प्रतिशतता ७॥ ही रहे। बम्बई स्टाक एक्सचेंज ने भी अपने ज्ञापन में यही कहा था कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं का कमीशन शुद्ध लाभ का साढ़ सात प्रतिशत हो और इसकी न्यूनतम राशि युक्तियुक्त ढंग पर निर्धारित कर दी जाये। जैसा कि श्री बोगावत ने बताया है, टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी भी साढ़े सात प्रतिशत से अधिक कमीशन नहीं लेती।

यह कम्पनी प्रबन्ध अभिकर्ता का कमीशन शुद्ध लाभ पर ५ प्रतिशत लेती है; यदि साधारण अंशधारियों को ८ और १० प्रतिशत के बीच लाभांश मिले तो ७ प्रतिशत लेती है और यदि १० प्रतिशत से अधिक लाभांश मिले तो ७॥ प्रतिशत कमीशन लेती है।

इस कम्पनी का नियम यह है कि प्रबन्ध अभिकर्ता का कमीशन इस आधार पर दिया जाता है कि कम्पनी के अंशधारियों को कितना लाभांश मिलता है। यदि अंशधारियों को उचित लाभांश नहीं दिया जाता तो प्रबन्धकों का पारिश्रमिक घटा कर ५ प्रतिशत कर दिया जाता है। मैं यह पूछता हूं कि हम ११ प्रतिशत पारिश्रमिक की व्यवस्था क्यों कर रहे हैं जब कि इतनी बड़ी कम्पनी साधारणतया ५ प्रतिशत कमीशन देती है और ७॥ प्रतिशत से अधिक देती ही नहीं।

इसलिए मैं सभा से अनुरोध करूंगा कि वह श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी द्वारा रखे गये संशोधनों--संख्या ७६ और ७७--पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे। यह खेद की बात है कि श्री कामत की अनुपस्थिति के कारण संशोधन संख्या ४०४ और ४४० नहीं रखे जा सके। इसलिए मैं श्री बोगावत के संशोधन संख्या ३९ का

समर्थन करता हूं । यदि सभा को श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी के सुझाव स्वीकार नहीं करने हैं तो श्री बोगावत का संशोधन अवश्य मान लिया जाना चाहिये जिससे कि प्रबन्धकों के पारिश्रमिक और कम्पनियों के लाभ में कोई सम्बन्ध रह सके । जितना अधिक लाभ हो, उतनी ही पारिश्रमिक की दर भी होनी चाहिए जिससे कि पारिश्रमिक की राशि चाहे अधिक हो परन्तु लाभ की तुलना में अधिक न हो ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों ने समवाय विधेयक के खण्ड १९७ से २०७ तक में जो संशोधन रखने—इस बात के अधीन रहते हुए कि वे अन्यथा ग्राह्य हों—की सूचना दी है, वे निम्नलिखित हैं :

खण्ड संख्या	संशोधन संख्या
१९७	१९६, १९७, १९८, १९९, ७६, ३९, २००, ४०५, ५४९, २०१, ४०, ७७, २८१ (सरकारी), ५०९ (सरकारी), ५९८, ६१५, ६१६, ६१७, ६१८, ६१९, ६२०, ६२१, ६४६, ६४७, ६४८, ६४९, ६५५ ।
१९८	६५० ।
१९९	२०२, २०३, २०४, ६२२, ६२४, ६५१ ।
२००क (नया)	६०६ ।
२०३	३०७ (सरकारी), ३०८ (सरकारी), ६०७, ६०८, ६०९, ६१०, ६५२, ६५३, ६५४ ।
२०४	७८, २४ ।

निम्नलिखित सदस्यों द्वारा निम्नलिखित खंडों पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किये गये :

सदस्य का नाम	खंड संख्या	संशोधन संख्या
श्री तुलसीदास	१९७	१९६, १९७, १९८, १९९, २०० और २०१
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	१९७	७६, ७७
श्री बोगावत	१९७	३९, ४०
श्री के० पी० त्रिपाठी	१९७	४०५
डा० कृष्णस्वामी	१९७	५४९
श्री बंसल	१९७	५९८
श्री साधन गुप्त	१९७	६१५, ६१६, ६१७, ६१८, ६१९, ६२०, ६२१
श्री के० के० बसु	१९७	६४६, ६४७, ६४८, ६४९, ६५५
श्री के० के० बसु	१९८	६५०
श्री तुलसीदास	१९९	२०२, २०३ और २०४
श्री साधन गुप्त	१९९	६२२, ६२३ और ६२४
श्री के० के० बसु	१९९	६५१
श्री साधन गुप्त	२००क	६०६
श्री साधन गुप्त	२०३	६०७, ६०८, ६०९ और ६१०
श्री के० के० बसु	२०३	६५२, ६५३, ६५४
श्री एम० एस० गुरुपादस्वाभी	२०४	७८
श्री एस० वी० रामस्वामी	२०४	२४

[सभापति महोदय]

खंड १९७–(प्रबन्धकों को सब मिला कर अधिकतम पारिश्रमिक आदि)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ ९९, उपखंड (४), पंक्ति १,—

उपखंड (४) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाये :

"Provided that where a monthly payment is being made to any managing or whole-time director or directors and the manager or to any one or more of them and the Central Government is satisfied that for the efficient conduct of the business of the company, the minimum remuneration of fifty thousand rupees per annum is insufficient, the Central Government may, by order, sanction an increase in the minimum remuneration to such sum for such period, if any, and subject to such conditions, if any, as may be specified in the order."

[परन्तु जब किसी प्रबन्धक या पूर्णकालीन निदेशक को या निदेशकों और प्रबन्धक को या उनमें से किसी एक या अधिक को मासिक भुगतान दिया जा रहा हो और केन्द्रीय सरकार को सन्तोष हो कि समवाय के कारबार के सक्षम रूप से चलाने के लिए पचास हजार रुपये प्रति वर्ष का न्यूनतम पारिश्रमिक अपर्याप्त है तो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, न्यूनतम पारिश्रमिक में उस अवधि के लिये, यदि कुछ दी गई हो, और उन शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कुछ रखी गई हों, जो आदेश में निर्दिष्ट की जायें, उस राशि तक वद्धि स्वीकृत कर सकेगी ।]

(२) मेरे द्वारा प्रस्तावित और संशोधनों की सूची संख्या ११ में संख्या २८१ के रूप में छपे संशोधन में :

(१) "is being made" [बनाया जा रहा है] के बाद "or is proposed to be made" [या बनाये जाने का विचार है] शब्द रखे जायें ।

(२) "fifty thousand rupees per annum is" [पचास हजार रुपये प्रति वर्ष है] के बाद "or will be" [या होगा] शब्द रखे जायें ।

(३) "for such period" [उस अवधि के लिये] के बाद "if any" [यदि कोई हो] शब्द रखे जायें ।

खंड २०३—नियुक्ति आदि पर प्रतिबन्ध

श्री सी० डी० देशमुख: मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १०२,—

पंक्ति १२ से २१ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

"(i) unless the firm or body corporate aforesaid is already the managing agent or secretaries and treasurers of the company; or

(ii) unless a partner in the firm aforesaid or a director or member of the company corporate aforesaid, being a private company, or a director of the body corporate aforesaid, not being a private company, is already the managing agent of the company or a

member of the firm

director or member of the private company

director of the body corporate,

not being a private company which firm private company or a body corporate is already the managing agent or the secretaries and treasurers of the company."

[(१) यदि पूर्वोक्त सार्थ या निगम-निकाय पहले से ही समवाय का प्रबन्धक एजेंट या सचिव या कोषाध्यक्ष नहीं है; या

(२) यदि पूर्वोक्त सार्थ का एक भागीदार या पूर्वोक्त निगम-निकाय के एक निजी समवाय होने पर उस का एक निदेशक या सदस्य, या पूर्वोक्त निगम-निकाय के एक निजी समवाय न होने पर उसका एक निदेशक पहले से ही समवाय का प्रबन्धक एजेंट न हो, या उसके एक निजी समवाय न होने पर ऐसे एक

सार्थ का एक सदस्य

निजी समवाय का सदस्य या निदेशक

निगम निकाय का निदेशक,

न हो, जो पहले से ही समवाय का प्रबन्धक एजेंट या सचिव या कोषाध्यक्ष हो ।]

(२) पृष्ठ १०२, उपखंड (५),

पंक्ति ३४ और ३५ में उपखंड ५ के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाये :—

"(5) Any office or place in a company shall be deemed to be an office or place of profit under the company within the meaning of this section, if the person holding it obtains anything by way of remuneration, whether as salary, fees, commission, perquisites, the right to occupy free of rent any premises as a place of residence, or otherwise."

[(५) समवाय में कोई पद या स्थान इस धारा के अर्थ में

[श्री सी० डी० देशमुख]

समवाय के अधीन एक लाभ का पद या स्थान समझा जायेगा, यदि उस पर आरूढ़ व्यक्ति पारिश्रमिक के रूप में, चाहे वेतन, शुल्क, कमीशन, परिलब्धि या बिना किराये के कुछ मकानादि निवास-स्थान के लिये प्राप्त करने का अधिकार हो या अन्यथा कुछ हो, कुछ प्राप्त करता है ।]

सभापति महोदय : ये सब संशोधन चर्चा के लिये सभा के सामने हैं ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टीयार (तिरूपुर): अमेरिका और इंगलैंड में प्रबन्ध अभिकर्ताओं के पारिश्रमिक के सम्बन्ध में श्री अशोक मेहता और सरकार ने भिन्न भिन्न आंकड़े दिये हैं । मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री अपने उत्तर में अधिकृत आँकड़े देने का कष्ट करें ।

अब में खंड १९७ पर आता हूं । इसमें कहा गया है कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं के प्रबन्धकीय व्यय सहित, समवाय के शुद्ध लाभ का ११ प्रतिशत भाग तक पारिश्रमिक के रूप में दिया जा सकेगा । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में कुल ३०,००० समवाय में से बड़े समवाय बहुत कम हैं, यह प्रतिशतता बिलकुल ठीक है । हां, मैं समझता हूं कि खंड ३४७ में जो १० प्रतिशत से कम दिये जाने का उपबन्ध है वह गलत है । इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि जिस संशोधन द्वारा केन्द्रीय सरकार को किन्हीं विशेष मामलों में पारिश्रमिक की राषि को बढ़ाने की शक्ति दी जाने का उपबन्ध किया जा रहा है उससे यह स्पष्ट नहीं होता कि यह उपबन्ध केवल नये समवायों पर ही लागू होगा या पुराने समवायों पर भी । मेरे विचार में यह केवल नए समवायों पर ही लागू होना चाहिये ।

खंड ३४७ में यह उपबन्ध है कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं को साधारणतया शुद्ध लाभ के १० प्रतिशत से अधिक पारिश्रमिक नहीं दिया जा सकेगा । आगे चलकर खंड ३५१ में यह कहा गया है कि कुछ मामलों में प्रबन्ध अभिकर्ताओं को खंड ३४७ में उल्लिखित पारिश्रमिक से अधिक भी दिया जा सकता है । उस के लिए शर्त यह है कि उक्त पारिश्रमिक सम्बन्धित समवाय के एक विशेष संकल्प द्वारा मंजूर कर लिया जाये और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हो जाये । इस का अर्थ यह हुआ कि खंड ३५१ के परिणामस्वरूप खंड ३४७ बेकार-सा हो जायेगा ।

अब मैं श्री बोगावत द्वारा उठाई गई बात पर आता हूं । यह बताया गया है कि १९५१-५२ में १७२० प्रबन्ध अभिकरण समवायों ने १०·४ करोड़ रुपये पारिश्रमिक के रूप में लिए। इस में से ५ करोड़ रुपये केवल ८० समवायों ने लिए और बाकी के लगभग ५ करोड़ रुपये शेष समवायों में बंटे । इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें यह उपबन्ध करना चाहिए कि अधिक लाभ वाले समवायों में पारिश्रमिक की प्रतिशतता कम हो और कम लाभ वाले समवायों में अधिक । सरकार कह सकती है कि यह चीज़ स्वयं अंशधारियों पर ही छोड़ दी जानी चाहिए । परन्तु मैं पूछता हूं कि कितने समवाय ऐसे हैं जिन में अंशधारियों की ऐसे मामलों में आवाज़ उठ सकती है । अतः

यह उपबन्ध इसी विधान में किया जाना आवश्यक है ।

कहा गया है कि समवाय विधि ने इस विषय पर विचार कर लिया है और इसे स्वीकार नहीं किया है । समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि इस पद्धति से व्यावहारिक रूप से कोई लाभ नहीं होगा । हां, समिति ने प्रबन्ध अभिकर्ताओं से अपील की है कि जो प्रबन्ध अभिकर्ता इस समय पारिश्रमिक की कम प्रतिशतता से सन्तुष्ट हैं वे इस अधिकतम सीमा का फायदा उठाने की चेष्टा न करें। परन्तु मेरा विचार यह है कि हमें उनसे यह आशा नहीं करनी चाहिए कि वे १० प्रतिशत का उपबन्ध रहते हुए इस से कम पारिश्रमिक लेकर सन्तुष्ट रहेंगे ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अब अपना भाषण कल जारी रखें ।

इसके पश्चात लोक-सभा, बुधवार, ३१ अगस्त, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

GIPD—HS—262 LSD—10-7-56—000